डाक पंजीयन क्र. ई-2/भो.स./186/2021-2023
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

प्रति सोमवार को प्रकाशित, भोपाल, 04.01.2021 से 10.01.2021 ▶ वर्ष-38 ▶ अंक-01 ▶ मूल्य ₹10.00

लाइट हाउस प्रोजेक्ट

आधुनिक तकनीक के माध्यम से इंदौर में बनेंगे एक हजार से अधिक आवास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 128 करोड़ रुपये लागत के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी

इंदौर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्यप्रदेश के इंदौर सहित छह राज्यों के छह स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया के तहत हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाओं (लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स) की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट के तहत इंदौर में 128 करोड़ रुपये की लागत से नवीन तकनीक पर आधारित एक हजार से अधिक आवास बनेंगे। प्रधानमंत्री ने अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलेरेटर्स-इंडिया के तहत विजेताओं की भी घोषणा की और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2019 के वार्षिक पुरस्कार भी दिये।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला कार्यक्रम को संबोधित करते हुये।

मध्यप्रदेश के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत नये वर्ष का पहला दिन एक जनवरी, 2021 उपलब्धि भरा रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इंदौर में 128 करोड़ रुपये लागत के लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुये। कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हुए।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश में आवासहीनों के लिये आवास निर्माण बनाने में नई तकनीकों का उपयोग शुरू किया गया है। इससे कम लागत में, कम समय में गुणवत्तापूर्ण आवास निर्मित होंगे। नई तकनीकों के उपयोग के लिये विभिन्न नवाचार किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट भी इसी का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण के लिये नवोन्मेषी निर्माण के लिये 54 नवोन्मेषी आवास निर्माण प्रौद्योगिकी चिन्हित की गई हैं। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार निर्माण क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स (एलएचपी) उपयोग में लाये जायेंगे जो कि वैकल्पिक वैश्विक प्रौद्योगिकी, सामग्रियों और प्रक्रियाओं का बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। इनका निर्माण जीएचटीसी-इंडिया के तहत किया जा रहा है, जो आवास निर्माण के क्षेत्र में नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए एक समग्र परिवेश तैयार करने की परिकल्पना है। ये परियोजनाएं पारंपरिक तौर पर ईंट एवं कांक्रीट वाले निर्माण के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से पूरी होंगी। इसके अलावा ये मकान उच्च गुणवत्ता के साथ किफायती और टिकाऊ भी होंगे।

श्री मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत इंदौर में प्रीफैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम, राजकोट के एलएचपी में टनल फॉर्मवर्क का उपयोग करते हुए मोनोलिथिक कांक्रीट कंस्ट्रक्शन, चेन्नई की परियोजना में प्रीकास्ट कांक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, रांची के एलएचपी में 3डी वॉल्यूमेट्रिक प्रीकास्ट कांक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, अगरतला की परियोजना में लाइट गेज स्टील इन्फिल पैनलों के साथ ढांचागत स्टील फ्रेम और लखनऊ के एलएचपी में पीवीसी स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क सिस्टम से आवास निर्माण किये जायेंगे।

नई तकनीक से आवास बनाना क्रांतिकारी पहल

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के माध्यम से नई तकनीक से आवास बनाना क्रांतिकारी पहल है। इसके तहत बने आवास आपदारोधी, पर्यावरण के अनुकूल तथा गुणवत्तापूर्ण रहेंगे। ये कम समय में भी तैयार होंगे। श्री चौहान ने कहा कि यह गौरव की बात है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का भी चयन हुआ है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लिये गये सभी को पक्के मकान देने का संकल्प प्रदेश में 2022 तक पूरा कर लिया जायेगा। प्रदेश में तेजी से आवास निर्माण किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 378 निकायों में अभी तक सात लाख 24 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किये गये हैं।

आदिम जाति कल्याण विभाग

शालाओं के संचालन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

भोपाल, आदिम जाति कल्याण विभाग की शालाओं को शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सत्र प्रारंभ करने एवं शालाओं के संचालन के संबंध में विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। दिशा-निर्देश गृह मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइन 30 सितम्बर, 2020 के आधार पर कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जारी किये गये हैं।

बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिये विद्यालय नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिये संचालित होंगे। विद्यालयों में विद्यार्थियों को इस प्रकार से आमंत्रित किया जायेगा, कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या एक-साथ अधिक न हो। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। यह माता-पिता अथवा अभिभावकों की सहमति पर निर्भर करेगा। विद्यार्थी के लिये दी गई सहमति पूरे सत्र के लिये मान्य होगी। कक्षा-9वीं एवं 11वीं के लिये विद्यार्थियों की दर्ज संख्या एवं उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। समय-समय पर जारी विभागीय आदेश अनुसार ऑनलाइन अथवा दूरस्थ शिक्षण अध्यापन की पद्धति के रूप में बना रहेगा। जो विद्यार्थी विद्यालय की अपेक्षा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जायेगी।

विभाग द्वारा विभागीय विद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक स्टाफ को शत-प्रतिशत उपस्थित रहने के निर्देश जारी किये गये हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों को खोले जाने की अनुमति नहीं होगी। आवासीय विद्यालयों को डे-स्कूल के रूप में खोला जा सकेगा। यदि विद्यालय द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंध किया जा रहा है, तो वाहनों में समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।

खास खबर

जनजाति वर्ग के 15 हजार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण

भोपाल, मध्यप्रदेश में जनजाति वर्ग के युवाओं को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिलवाये जाने के लिये मध्यप्रदेश रोज़गार एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। पिछले वर्ष 15 हजार 426 जनजाति वर्ग के युवाओं को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिलाया गया। वर्तमान में मैपसेट द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिये एमपीएसएस-डीईजीवी के पोर्टल का सेपरेट इंस्टेंट निर्मित कराया गया है।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश

प्रदेश को विकास और जनकल्याण के लिए नयी ऊंचाईयों तक ले जायें

भोपाल, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार है। सभी विभाग अपने लक्ष्य को समय-सीमा में हासिल कर मध्यप्रदेश को समृद्धि, विकास और जनकल्याण के लिये नयी ऊचाईयों तक ले जाएं। हम सभी इसके लिये अधिकतम परिश्रम और प्रयास करें। पूरा विश्वास है कि नया और विकसित मध्यप्रदेश तेजी से उभरेगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मंत्रीगणों को सम्बोधित करते हुए कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष मंत्रीगणों और अधिकारियों ने जबरदस्त परिश्रम कर राज्य सरकार के प्राथमिकता के कार्यों और लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया है। कोरोना संक्रमण के चलते आर्थिक गतिविधियां ठप्प हो गयी थीं। लेकिन सभी के प्रयासों से आर्थिक गतिविधियां शुरू हुयीं।

राज्य सरकार ने अथक प्रयासों से अपने वित्तीय संसाधनों को सुदृढ़ कर विकास और जनकल्याण के कार्यों को गति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने गरीब कल्याण के साथ की नववर्ष की शुरुआत

कमजोर वर्ग के लोगों को उपलब्ध करवाई गई सहायता

इंदौर, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नववर्ष की शुरुआत गरीब कल्याण के साथ की। मुख्यमंत्री नववर्ष के पहले दिन इंदौर के पंचशील नगर बस्ती में पहुंचे और विभिन्न लोगों से मुलाकात कर जरूरतमंद कमजोर वर्ग के लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायताएं उपलब्ध कराईं। मुख्यमंत्री ने पंचशील नगर बस्ती में बने गरीब वर्गों के आवास में जाकर उनके दुःख दर्द को सुना। श्री चौहान यहां लकवा ग्रस्त 65 साल की द्वारिका बाई से मिले और उनके उपचार के निर्देश कलेक्टर श्री मनीष सिंह को दिए। मुख्यमंत्री चार साल के आदित्य से भी मिले और उसे दुलार किया। आदित्य जन्म से ही दिव्यांग हैं और कपड़े की दुकान में काम करने वाले उनके पिता गोविंद अपनी पूरी कोशिश के साथ उसका इलाज कराने में लगे हैं। मुख्यमंत्री ने उनके माता-पिता को आश्वस्त किया कि आदित्य का बेहतर से बेहतर उपचार किया जाएगा। श्री चौहान ने आदित्य के पिता गोविंद को आश्वस्त किया कि वे इस संघर्ष में उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि आदित्य का बेहतर इलाज कराएं।

त्वरित रूप से मिली सहायता

श्री शिवराज सिंह चौहान पंचशील नगर में जिन जरूरतमंद लोगों से मिले, उन्हें मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए सहायता उपलब्ध करायी गई। श्री चौहान ने एयरपोर्ट पर जरूरतमंदों के परिजनों को सहायता राशि वितरित की। मुख्यमंत्री द्वारा दिव्यांग शुभांगी पिता विक्की कांबले को लैपटॉप एवं ट्राई सायकल प्रदाय की गई। इसी क्रम में चार वर्षीय बालक आदित्य पिता गोविंद सावंग की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता देने और अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करने के लिये श्री चौहान ने जिला प्रशासन को निर्देश दिये।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

अंदर के पृष्ठों पर

- **खेल चर्चा**- प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी**- देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं
- **चर्चा में**- प्रमुख चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **पिछला सप्ताह**- देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण

पाठकों और एजेन्टों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी क्षेत्र, इंदौर

राज्य सेवा परीक्षा-2020, राज्य वन सेवा परीक्षा-2020 और राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2020

रोज़गार और निर्माण के इस अंक में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा, 2020, राज्य वन सेवा परीक्षा, 2020 और राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2020 का विस्तृत विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है।

प्रबंधक, प्रसार एवं विज्ञापन, रोज़गार और निर्माण
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल, मध्यप्रदेश, पिनकोड - 462011
फोन : 0755- 2760006 (प्रसार), 0755-4281330, 2551330 (पीबीएक्स)

विष्णुगुप्त एकेडमी

A new era begins

मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एवं अनुभवी शिक्षक टीम

MPPSC MAINS 2019
Hindi / English Medium
11 Jan 2021

MPPSC Pre+Mains
Hindi / English Medium
11 Jan 2021

MPSI
New Batch
11 Jan 2021

CONSTABLE
New Batch
11 Jan 2021

पूर्णतः सुरक्षित सेनिटाईज़ड कैम्पस

सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टडी

मास्क लगाना अनिवार्य

Amar Jyoti

वेदा बिजनेस पार्क, फर्स्ट फ्लोर, भंवरकुआ मेन रोड, इन्दौर +91 88899 00158 +91 88899 00159

2 DAYS FREE DEMO CLASSES

R-44933/2021

हमने प्रथम प्रयास में ही किया
MPPSC CRAKED

अब आपकी बारी
SELECTION आपका
मार्गदर्शन हमारा

टेस्ट सीरीज़ प्रारंभ

MAINS 2019	PRELIMS 2020
31 TEST	51 TEST

नयें सिलेबस के अनुसार

MPPSC PRELIMS 2020
MPSI | CONSTABLE

श्री अखिलेश द्विवेदी सर के नेतृत्व में
मध्यभारत की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम

नई कक्षाएं 5 जनवरी से

- अनुभवी तथा चयनित फैकल्टी
- नियमित 4 से 5 घंटे की कक्षाएँ
- प्रारंभिक परीक्षा के विषयों में विशेषज्ञता
- वास्तविक परिणाम देने वाला संस्थान

Civil JOBS
Academy for Public Services

सुंदरम काम्प्लेक्स, भंवरकुआं-टावर चौराहा रोड़, इंदौर
Call :- 95228 23999, 98260 81648, 93022 55300

R-44932/2021

www.prayasksg.com

प्रयासKSG
An institute for MPPSC Examination
Build Your Own Success Story

UPSC में 2000 से अधिक सलेक्शन देने के बाद MPPSC को समर्पित KSG का प्रतिबद्ध संस्थान
प्रयासKSG

Our Proud Achievers (MPPSC)

Rachna Sharma — 2nd Rank

Gagan Bisen — 7th Rank

Tanmay — 15th Rank

MPPSC SPECIAL PRELIMS BATCH Starting from .....
18th JAN. 2021

Special Power Pack
75 DAYS
OFFLINE & Online Platform
in Hindi & English Medium

(Registration Open)

Available on all major platform such as
Android, IOS and Web

Convenience through Online mode with the same quality of Offline Classes

93029 63679, 72239 01339, 0755-4940022

R-44957/2021

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
(शासन द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान)
तृतीय मंजिल, महाराजा कॉम्पलेक्स, कोठारी मार्केट के पास, इन्दौर

प्रवेश सूचना
स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा कोर्स
छात्रवृत्ति उपलब्ध

अवधि -1 वर्ष, योग्यता-हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण, माध्यम-हिन्दी/अंग्रेजी

सफल उम्मीदवारों हेतु सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के विभागों जैसे नगर निगम, स्वास्थ्य, रेलवे, बहुउद्देशीय कंपनियों में रोजगार के अवसरों की संभावना

स्वच्छता निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक पद के लिये अनिवार्य योग्यता शासकीय कर्मचारियों के लिये हॉलिडे बैच की सुविधा

लॉकडाउन के दौरान ऑनलाईन कक्षा की सुविधा

लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिप्लोमा (पत्राचार) LSGD(DLP)
नगरीय निकायों में राजस्व निरीक्षक पद के लिये अनिवार्य योग्यता
अवधि -1 वर्ष, योग्यता-हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण, माध्यम-हिन्दी/अंग्रेजी

अधिक जानकारी एवं प्रवेश हेतु संपर्क करें
Ph.: 0731-2540101
Mo.: 98260-78003 7000990610
E-mail : indore@aiilsg.org Website : www.aiilsg.org
Aiilsg Indore

R-44937/2021

APPOINTMENT

SACRED HEART COLLEGE OF ARTS & SCIENCE
Affiliate to DAVV, Indore & Rec. by The Govt. of M.P.
Mission Road, Dhani, Dhamnod, Dist.- Dhar (M.P.)
454552 E-Mail:- sacredheartcollegedhani@gmail.com
Contact-6262630202

FACULTY REQUIRED FOR U.G. COURSES

- **B.A.**- Economics, History, Computer Application, English Lit, Political Science, Sociology
- **B.Sc.**- Mathematics, Physics, Chemistry, Computer Science, Botany, Zoology,
- **B.Com**-Commerce, Account Management, Computer Application

Principal- 1 Post, Mathematics-1 Post, Physics-1 Post, Chemistry-1 Post, Botany- 1 Post, Zoology-1 Post, English - 1 Post, Economics-1 Post, History-1 Post, Political Science-1 Post, Sociology-1 Post, Commerce- 1 Post, Account- 1 Post, Hindi Lit. - 1 Post, Lab Assistants (Physics, Chemistry, Computer,) - 3 Post, Librarian- 1 Post, Receptionist-1 Post, Sports Officer- 1 Post

Appointment shall be done as per UGC norm. Ph.D., Net/Set qualified male and female candidates will be given first priority / Necessary. Interested candidates may mail or contact with resume other testimonials and two latest passport size photo within 10 days.

Management

R-44935/2021

पंचायत भवनों का नाम कुशाभाऊ ठाकरे तथा सामुदायिक भवन का नाम राजमाता सिंधिया के नाम से होगा

भोपाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में नवनिर्मित पंचायत भवनों का नाम स्व. कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से और सामुदायिक भवनों का नाम स्व. राजमाता सिंधिया के नाम से रखा जाये। उन्होंने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो, किसी भी प्रकार भ्रष्टाचार वर्दाश्त नहीं किया जायेगा। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

श्री सिसौदिया ने कहा कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ऐसा पोर्टल बनाए जिसमें स्व-सहायता समूह अपने उत्पादकों की ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकें। मनरेगा अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों की विस्तारपूर्ण समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि मनरेगा के अधिकारी प्रतिदिन 4-5 हितग्राहियों से बात करें। मनरेगा के तालाबों का स्पाट वेरिफिकेशन करें। वृक्षारोपण के लिए पहाड़ियों को चिन्हित किया जाये।

पंचायत मंत्री ने निर्देश दिए ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम रोज़गार सहायक सप्ताह में दो दिवस सोमवार और गुरुवार को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दें एवं ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करें।

सम्पादकीय

शिखर खेल अलंकरण समारोह

मध्यप्रदेश में खेलों का निरंतर विकास हो रहा है। आने वाले दिनों में यह संभव होगा, जब हमारे खिलाड़ी ओलिंपिक खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त करेंगे। मध्यप्रदेश में खिलाड़ियों को बेहतर खेल प्रशिक्षण एवं खेल-सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। साथ ही खिलाड़ियों की आवश्यकताओं का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। हमारा लक्ष्य है देश को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तैयार करके देना। उपरोक्त बातें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहीं। श्री चौहान भोपाल स्थित मिंटो हॉल में मध्यप्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह-2019 में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश के लिये गौरव की बात है कि पिछले ओलिंपिक में महिला हॉकी टीम में मध्यप्रदेश की 6 खिलाड़ी शामिल हुई थीं। इस वर्ष प्रदेश की दो खिलाड़ियों द्वारा भारत के लिये ओलिंपिक कोटा लाना गर्व का विषय है। जब प्रदेश के खिलाड़ियों के गले में मेडल टंगते हैं, तो मुख्यमंत्री का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में खेलों में निरंतर विकास हो रहा है। खेलों के क्षेत्र में मध्यप्रदेश आज भारत के अग्रणी राज्यों में है। वर्ष 2006 में जहां हमारा खेल बजट 5 करोड़ रुपये था वह आज 150 करोड़ रुपये है। आगे भी खेलों के विकास के लिये पैसों की कमी नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश के खिलाड़ी खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। एशियन गेम्स 2018 में मध्यप्रदेश की मुस्कान किरार ने तीरंदाजी में तथा हर्षिता तोमर ने सेलिंग में पदक प्राप्त किये। प्रदेश में खेलों के विकास के लिये विभागीय मंत्री सहित खेल विभाग का पूरा अमला बधाई का पात्र है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के खिलाड़ियों को संबोधित करते हुये कहा कि आप में अनंत शक्तियां हैं, आप अमृत की संतान हैं, हिम्मत और हौंसले के साथ खेलें। आप को सभी सुविधायें हम दिलवायेंगे। इस अवसर पर उपस्थित खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि यह मध्यप्रदेश के लिये गौरव की बात है कि हमारे खिलाड़ी देश के लिये 2 ओलिंपिक कोटा लेकर आये हैं। मध्यप्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह और चिंकी यादव ने अगले ओलिंपिक के लिये ओलिंपिक कोटा हासिल किया है। खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान खेलों के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। कोविड संकट के बावजूद प्रदेश में पूरी सुरक्षा और सावधानियों के साथ अगस्त से खेल प्रशिक्षण हो रहा है। व्यक्तिगत खेलों में भिंड के श्री अजातशत्रु शर्मा केनोइंग-क्याकिंग, देवास के श्री आदित्य दुबे सॉफ्ट टेनिस, खरगौन के श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, भोपाल की कुमारी गार्गी सिंह परिहार कराते, जबलपुर की कुमारी अंशिता पांडे वुशू, इंदौर के श्री परम पद्म बिरथरे तैराकी, भोपाल के श्री शंकर पांडेय फैंसिंग, उज्जैन के श्री अक्षत जोशी घुड़सवारी, इंदौर की सुश्री अनुषा कुटंबले टेबल टेनिस, धार के श्री प्रियांशु राजावत बैडमिंटन और राजगढ़ के श्री गोविंद बैरागी सेलिंग को एकलव्य पुरस्कार प्रदान किये गये। दलीय खेलों में टीकमगढ़ की कुमारी शिवांगनी वर्मा सॉफ्ट बॉल और ग्वालियर की कुमारी इशिका चौधरी हॉकी तथा परंपरागत खेलों में इंदौर की कुमारी नित्यमा जैन शतरंज को प्रदान किये गये। व्यक्तिगत खेलों में भोपाल की कुमारी राजेश्वरी कुश्राम केनोइंग-क्याकिंग, भोपाल के श्री फराज खान घुड़सवारी, इंदौर के श्री अद्वैत पागे तैराकी, जबलपुर की कुमारी मुस्कान किरार आर्चरी, देवास के श्री जय मीणा सॉफ्ट टेनिस तथा भोपाल की कुमारी चिंकी यादव शूटिंग को वर्ष 2019 के लिये विक्रम पुरस्कार दिये गये। दलीय खेलों में इंदौर की कुमारी पूजा पारखे सॉफ्ट बॉल और ग्वालियर की कुमारी करिश्मा यादव हॉकी को पुरस्कार दिया गया। दिव्यांग वर्ग में कुमारी जानकी बाई जूडो तथा परंपरागत खेलों में भोपाल के श्री चंद्रकांत हर्डे थ्रो बॉल को पुरस्कार मिला। व्यक्तिगत खेलों में इंदौर के श्री अभिलास एम.टी. तैराकी और भोपाल के श्री गिरधारी लाल यादव सेलिंग तथा दलीय खेल में इंदौर के श्री शरद जपै खो-खो को विश्वामित्र पुरस्कार प्रदान किया गया।

ब्रह्मांड को जानें

पृथ्वी

ऊष्मा चक्र - (गतांक से आगे) इसी के साथ वायुमंडल द्वारा विकसित भाग में से 16 प्रतिशत भाग अन्ततोगत्वा विकसित विकिरण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है, जबकि शेष 6 प्रतिशत भाग वायुमंडल में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार कुल मिलाकर वायुमंडल तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 47 प्रतिशत पृथ्वी को प्राप्त होती है। इसी बीच सूर्य और पृथ्वी के धरातल के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करने वाला वायुमंडल संवैद्य ऊष्मा के रूप में 5 प्रतिशत ऊर्जा और जल वाष्प की गुप्त ऊष्मा के रूप में लगभग 24 प्रतिशत ऊर्जा रोक लेता है। यह आवश्यक है कि ऊष्मा का अवशोषक और पुनः विकिरण संतुलित रहे अन्यथा विकिरण के ऊष्मा परिणामों की वृद्धि या कमी के अनुसार पृथ्वी को ऊष्मा में सकल वृद्धि या सकल कमी का अनुभव होगा। अवशोषण और पुनः विकिरण के बीच संतुलन का नियमन मुख्यतया वायुमंडल में जल वाष्प द्वारा होता है। वायुमंडल में बहुत कम परिमाण में जल है। वायुमंडलीय जल का यह नगण्य परिमाण, पृथ्वी की जलवायु पर प्रभाव डालता है। ऊष्मा के अवशोषण और विकिरण के बीच संतुलन बनाये रखने के अलावा यह जल आबंटन को नियंत्रित रखता है और हमारी वायु संबंधी दशाओं का निर्धारण करता है।

- देवेश तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लिखते हैं)

राष्ट्रीय युवा दिवस | **12 जनवरी**

युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिये प्रेरित करना ही इस दिन का लक्ष्य है

राजा दुबे
(लेखक, जनसम्पर्क विभाग से सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं)

राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र के निर्माण के लिये प्रेरित करके देश का बेहतर भविष्य बनाना है। इस दिन युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह युवाओं की ऊर्जा को जागृत करने के साथ-साथ देश को विकसित बनाने का भी बड़ा कदम है।

राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवा लोगों की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करना भी है। सामाजिक-आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास और युवाओं की पसंद को नकारा नहीं जा सकता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का मतलब है कि युवाओं के मुद्दों और उनकी बातों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मंगल आरती, भक्ति के गीत, धार्मिक भाषण, संध्या आरती वगैरह इस मौके पर किए जाते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। स्वामी विवेकानंद पर भाषण प्रतियोगिता, गीत, निबंध लेखन आदि का आयोजन भी किया जाता है। उन पर संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है। इस वर्ष कोरोना से बचाव के अनुशासन को देखते हुए कार्यक्रम के स्वरूप में कुछ परिवर्तन सम्भव है मगर विवेकानन्द के विचारों का उपलब्ध माध्यम से प्रचार-प्रसार होगा।

राष्ट्रीय युवा दिवस को युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानन्द से जोड़ा गया

बारह जनवरी, दिन-तिथि और वार के इतिहास में और उत्सव, पर्व और त्योहार के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण दिन है। भारत के लिये तो यह दिन काफी अहम है। यही वह तारीख है जब वर्ष 1863 में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, जिन्होंने दुनिया में अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण भारत को गौरवान्वित किया। उन्हीं के जन्मदिन को समूचे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1984 में पहली बार भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की थी। उसके बाद वर्ष 1985 से देश भर में निर्बाध रूप से 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है।

विवेकानंदजी का जन्म वर्ष 1863 में एक कुलीन परिवार में कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंदजी के बचपन का नाम नरेंद्र था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बनने के बाद आपका नामकरण स्वामी विवेकानंद हुआ। आपने रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन का सबसे मुख्य उद्‌बोधन, शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म संसद में दिया था। वर्ष 1902 में स्वामी विवेकानंद का उन्तालिस वर्ष की उम्र में देहावसान हो गया।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर वर्ष एक विशेष थीम पर मनाया जाता है।

राष्ट्रीय युवा दिवस

वर्ष 2020 में युवा दिवस की थीम 'वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी' (यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन) थी। असल में युवाओं की उन्नति ही राष्ट्रोन्नति की बुनियाद है और इसी से इस थीम के माध्यम से युवाओं को दिशा देने की कोशिश की जाती है। इस थीम का एक उद्देश्य स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर युवाओं की भागीदारी के तरीकों को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संस्थानों और प्रक्रियाओं को समृद्ध करने के साथ-साथ औपचारिक संस्थागत राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व और भागीदारी को बढ़ावा देना भी है। वर्ष 2019 में युवा दिवस की थीम थी- 'शिक्षा में परिवर्तन' (ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन)। इस थीम का तात्पर्य शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे परिवर्तन लाना है जिससे युवाओं को अपने लक्ष्य पाने में सफलता मिले। वर्ष 2018 की थीम थी 'युवाओं के लिए सुरक्षित स्थान' (सेफ स्पेस फॉर यूथ)। इसके पूर्व वर्ष 2017 की थीम थी 'यूथ बिल्डिंग पीस'। वर्ष 2016 की थीम थी 'द रोड टू 2030'। इस थीम में वर्ष 2030 सतत विकास लक्ष्यों के सभी सोपान पर युवाओं की भूमिका को सुनिश्चित किया गया था।

कोरोना नियंत्रण में भी अहम है युवाओं की भूमिका

भारत में सकल आबादी में युवाओं की आबादी वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। इसी से देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र में सभी पेशों और रोज़गार में युवाओं की बहुलता है। देश के मजदूरों में युवा मजदूरों की बहुलता के कारण ही कोरोना संक्रमण के दौरान अनलॉकिंग के बाद युवा कामगारों की बड़ी संख्या में काम पर वापसी हुई जिसे पूंजी की संज्ञा दी गई। देश की विशाल श्रमिक आबादी, जो दुनिया में सबसे युवा है, उसने न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में मदद की, बल्कि कोविड-19 वायरस से लड़ने वाले योद्धा की भूमिका भी निभाई। एक-एक करके सेक्टरों को छूट देने के बाद खुदरा और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को छूट देने की योजना बनाई गई। अभी यह अनुमान लगाना कठिन है कि कोविड-19 के खिलाफ समूहों की प्रतिरोध क्षमता हासिल करने के लिए कितनी बड़ी आबादी की जरूरत पड़ेगी या किस सीमा के बाद ऐसा हुआ माना जाएगा, लेकिन एक सीमा के बाद, जब आबादी के बड़े हिस्से यानी अधिकतर युवाओं को वायरस से सुरक्षित किया जा सकेगा तब उसका वाहक कोई नहीं होगा और इसी से कोरोना पर नियंत्रण में युवाओं की भूमिका अहम मानी जा रही है।

विश्व में सर्वाधिक युवा आबादी होने का लाभ भारत को उठाना चाहिए

भारत में 'राष्ट्रीय युवा दिवस' मनाये जाने का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि विश्व में जो लगभग एक सौ इक्कीस करोड़ युवा आबादी है इनमें सबसे ज्यादा इक्कीस प्रतिशत युवा आबादी अर्थात पच्चीस करोड़ के करीब युवा आबादी भारत में है। विश्व की कुल जनसंख्या सात सौ उन्यासी करोड़ में से सोलह प्रतिशत आबादी युवाओं की है। इनमें से सत्तावन प्रतिशत युवा केवल दस देशों में रहते हैं। विश्व में 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है, इस एक वैश्विक आयोजन और भारत में मनाये जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस का मंतव्य भी युवाओं की आवाज, कार्यों और पहल को लेकर युवाओं के समारोह को अवसर देना है। दुनिया की आबादी की स्थिति के बारे में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट आई है उस पर भी राष्ट्रीय युवा दिवस पर इस बार चर्चा संभावित है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपनी बड़ी युवा आबादी के साथ भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाएं नई ऊंचाई पर जा सकती हैं, बशर्ते वे युवा लोगों की शिक्षा व स्वास्थ्य में भारी निवेश करें और उनके अधिकारों का संरक्षण करें। इन देशों में युवा आबादी में 60 करोड़ किशोरियां हैं जिनकी अपनी विशेष जरूरतें, चुनौतियां और भविष्य के लिए आकांक्षाएं हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सबसे निर्धन देशों में युवा जनसंख्या सबसे तेजी से बढ़ रही है। इस समय वैश्विक स्तर पर युवाओं की जनसंख्या अपने सार्वकालिक उच्च स्तर पर है, जिसका लाभ लेने को विकासशील देशों को आगे आना चाहिए।

राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं से जुड़े सभी पक्षों पर गहन विमर्श होता है

राष्ट्रीय युवा दिवस पर समूचे देश में युवाओं से जुड़े सभी पक्षों पर गहन विमर्श होता है। असल में इन दिनों युवा से जुड़े शिक्षा के मुद्दे पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा प्रणालियों को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन की दिशा में अब भी बहुत काम किया जाना है। केवल कुछ प्रतिशत बच्चों ने ही निम्न आय वाले देशों में उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की है और बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालय में स्कूलत्यागी बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं। इसके अलावा अवसादग्रस्त युवाओं, दिव्यांग युवाओं, युवतियों, कमजोर समूहों या कमजोर परिस्थितियों में रह रहे युवाओं और शिक्षा के लिए अतिरिक्त चुनौतियों का सामना कर रहे युवाओं और उनकी विविध आवश्यकताओं और क्षमताओं पर भी इस बार विचार प्रस्तावित है। युवाओं के अद्वितीय व्यक्तित्व और उनकी पहचान को भी दर्शाने वाले परिप्रेक्ष्य पर भी इस दिन विमर्श होगा।

राष्ट्रीय युवा उत्सव

- राष्ट्रीय युवा दिवस के साथ ही राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन भी किया जाता है।
- सरकार 1995 से इसका आयोजन कर रही है।
- इसका उद्देश्य देश के युवाओं को मंच प्रदान करना है, ताकि उन्हें विभिन्न गतिविधियों द्वारा अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सके।
- वर्ष 2020 में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी तक लखनऊ में किया गया था।
- 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव की थीम 'फिट यूथ फिट इंडिया' थी।

(फोटो गूगल से साभार)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 03/2020 दिनांक 28.12.2020 **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.02.2021**

राज्य सेवा परीक्षा 2020

प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 11.04.2021 (रविवार)

प्रथम प्रश्न पत्र : सामान्य अध्ययन प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

द्वितीय प्रश्नस पत्र : सामान्य अभिरुचि परीक्षण अपरान्ह 02:15 बजे से 04:15 बजे तक

महत्वपूर्ण

1. राज्य सेवा परीक्षा 2020 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के लिए संयुक्त प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र में राज्य सेवा परीक्षा अथवा राज्य वन सेवा परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाओं हेतु विकल्प सावधानीपूर्वक चयन करें। चयनित विकल्प के अनुसार ही अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार किया जाएगा और इस संबंध में आवेदन-पत्र अंतिम रूप से Submit होने के पश्चात कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थी, राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु भी एक ही कामन ऑनलाइन आवेदन-पत्र भर सकेंगे बशर्ते कि वे राज्य वन सेवा परीक्षा में भी बैठने की अर्हता रखते हों। इस संबंध में आयोग का राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 का विज्ञापन क्रमांक 04/2020 **दिनांक 28.12.2020** भी देखें।
3. राज्य सेवा परीक्षा 2020 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किये जावेंगे। किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे। **आयु की गणना 01 जनवरी 2021 के संदर्भ में की जायेगी।**
4. **उपरोक्त परीक्षा के लिये आवेदक द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जावेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**
5. उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिये ऑनलाइन आवेदन **दिनांक 11.01.2021 को (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 10.02.2021 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात ये लिंक बंद हो जाएगी।
6. **आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 15.01.2021 से 12.02.2021 तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र, रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।**
आवेदक यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा अतः वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-2) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जायेगी।
7. ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग(महिला/पुरुष)/दिव्यांगता/भूतपूर्व सैनिक/शासकीय सेवक/जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग/जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन अमान्य किये जायेंगे एवं आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।
8. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारम्भिक परीक्षा **दिनांक 11.04.2021** को दो सत्रों में सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी SMS/E-mail द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र **दिनांक 06.04.2021 से 10.04.2021 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे।
9. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनायें, प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किये जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
पात्रता : 1. राज्य सेवा परीक्षा 2020 हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण अथवा स्नातक के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी पात्र हैं।
2. रोज़गार कार्यालय में पंजीयन : अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
10. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जायेंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जावेगी। मुख्य सूची/प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
11. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 एवं इससे संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
12. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आयें और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें, ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

1. भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से राज्य सेवा परीक्षा 2020 के अतंर्गत निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। वर्गवार पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रेषित मांगपत्रों के अनुसार दर्शायी गयी है। भरी जाने वाली रिक्तियाँ निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या					वेतनमान (वेतनमान छठे वेतन आयोग के अनुसार है। सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान देय होंगे)
		UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	VH	HH	OH	MD	Total	
	द्वितीय श्रेणी राजपत्रित																					
	सामान्य प्रशासन विभाग																					
1.	राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष	8	4	5	7	3	3	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	27	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	गृह (पुलिस) विभाग																					
2.	राज्य पुलिस सेवा उप पुलिस अधीक्षक (जी.डी.)	4	2	3	3	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
3.	जिला सेनानी	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	जनसम्पर्क विभाग																					
4.	सहायक संचालक, जनसम्पर्क	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	स्कूल शिक्षा विभाग																					
5.	सहायक संचालक	10	7	8	11	4	3	2	3	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	40	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	सहकारिता विभाग																					
6.	सहायक आयुक्त, सहकारिता एवं सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें	2	1	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	जेल विभाग																					
7.	अधीक्षक, जिला जेल	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक																					
	राजस्व विभाग																					
8.	नायब तहसीलदार	10	6	8	10	4	3	2	3	3	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	38	9300-34800+3600 ग्रेड पे
	सहकारिता विभाग																					
9.	सहकारिता निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी	6	3	3	5	1	2	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	18	9300-34800+3600 ग्रेड पे
	वित्त विभाग																					
10.	मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा	21	3	22	33	9	7	1	7	11	3	2	0	2	3	1	1	2	1	1	88	9300-34800+3600 ग्रेड पे
	कुल रिक्तियों की संख्या	**61**	**27**	**49**	**75**	**23**	**20**	**8**	**17**	**25**	**6**	**4**	**0**	**2**	**4**	**1**	**3**	**5**	**2**	**1**	**235**	

Abbreviations : UR -Unreserved, SC-Scheduled Caste, ST-Scheduled Tribe, OBC-Other Backward Classes, EWS- Economically Weaker Section, OH-Orthopedic Handicapped, VH-Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped, MD- Multiple Disability

आरक्षण प्रकिया आरक्षण प्रकिया 'मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994" के उपबंधों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु मध्यप्रदेश शासन के अनुदेशानुसार होगी।

टीप : अ. तालिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। **वेतनमान छठे वेतन आयोग के अनुसार है। सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान देय होंगे।**

ब. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व आवेदक नियमों का अवलोकन कर स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

स. प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र तथा बाद में प्रस्तुत होने वाले मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों में भिन्नता पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

द. समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होंगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे। जिन पदों हेतु किसी श्रेणी/वर्ग हेतु पद आरक्षित नहीं हैं उन पदों हेतु संबन्धित श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित के रूप में ही विचारित किये जायेंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के नान क्रीमीलेयर के आवेदकों को ही आरक्षण तथा अन्य लाभ देय होंगे। मध्यप्रदेश के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो क्रीमीलेयर में आते हैं, आवेदन-पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किये जावेंगे तथा इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व 'परिशिष्ट- ख' विन्दु 5 में उल्लेखित यह घोषणा-पत्र (Declaration) देना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आते हैं।

इ. **आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं अन्य आरक्षित वर्गों के आवेदकों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए।**

फ. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासन द्वारा 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी (परिवीक्षा के संदर्भ में व्यवस्था संबंधित विभागों के भर्ती नियमों के अनुसार रहेंगी)।

अत्यंत महत्वपूर्ण :

- आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिए गये निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें।
- त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, शासकीय सेवक, विक्रम अवॉर्ड, लिंग (महिला/पुरुष) एवं परीक्षा केन्द्र से संबंधित विवरण में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।

2. यदि किसी भी अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिए अग्रणित (Carry Forward) नहीं किये जायेंगे। ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे।

3. विज्ञापन में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में अधिसूचित अन्य पदों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक शुद्धिपत्र के माध्यम से जोड़ा जा सकेगा। विज्ञापित पदों की संख्या राज्य शासन के द्वारा पुनरीक्षण किये जाने पर परिवर्तित हो सकती है। पदों की संख्या में परिवर्तन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम घोषणा के पूर्व तक शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जा सकेगी, परन्तु ऐसे पदों के लिए पृथक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जायेंगे तथा विज्ञापन के संदर्भ में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों के आवेदक पात्र रहेंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकती है।

4. अ. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले के अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई अभ्यर्थी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा यदि उसके पूर्व में एक जीवित संतान है और आगामी प्रसव 26.01.2001 को या उसके पश्चात होता है जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतानों का जन्म होता है।

5 परीक्षा योजना :

(1) राज्य सेवा परीक्षा निम्नलिखित तीन चरणों में होगी -

(अ) मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओ.एम.आर. आधारित)

(ब) सेवाओं तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिये उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित विवरणात्मक)

(स) साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण

राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर इस विज्ञापन के साथ ही प्रकाशित किया जा रहा है। अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट से परीक्षाओं की योजना तथा पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं।

(2) प्रारम्भिक परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर/मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (रुपये 40/-) पृथक से देय होगा। आपत्ति सही पायी जाने पर आपत्ति शुल्क वापस किया जाएगा किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी :-

1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर-कुंजी में दिये गये विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही हैं तब प्रावधिक उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा।
3. ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।
4. ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा।
5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट www.mppsc.nic.in, www.mppscdemo.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति/पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. **उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।**

6. प्रारम्भिक परीक्षा के प्रस्तावित शहर :-

कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर	कोड	शहर
01	इन्दौर	10	छिंदवाड़ा	19	नीमच	28	मुरैना	37	श्योपुर	46	बुरहानपुर
02	उज्जैन	11	जबलपुर	20	पन्ना	29	रतलाम	38	सतना	47	डिण्डोरी
03	उमरिया	12	झाबुआ	21	बड़वानी	30	राजगढ़	39	सागर	48	अनूपपुर
04	कटनी	13	टीकमगढ़	22	बालाघाट	31	रायसेन	40	सिवनी	49	अलीराजपुर
05	खण्डवा	14	दतिया	23	बैतूल	32	रीवा	41	सीधी	50	सिंगरौली
06	खरगोन	15	दमोह	24	भिण्ड	33	विदिशा	42	सीहोर	51	आगर मालवा
07	ग्वालियर	16	देवास	25	भोपाल	34	शहडोल	43	हरदा	52	निवाड़ी
08	गुना	17	धार	26	मण्डला	35	शाजापुर	44	होशंगाबाद		
09	छतरपुर	18	नरसिंहपुर	27	मंदसौर	36	शिवपुरी	45	अशोक नगर		

नोट :- आवेदक परीक्षा शहर कोड सावधानीपूर्वक देखकर भरें। परीक्षा शहर के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा।

शहर केंद्र आवंटन के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-

अभ्यर्थियों को परीक्षा के शहर केंद्र का आवंटन उनके निवास के पते के आधार पर होगा। शहर केंद्र आवंटन में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

- **केवल मध्यप्रदेश के निवासियों हेतु**
  - वर्तमान पता - इसका प्रमाण आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जावे।
  - परीक्षा शहर - यह आटोमेटिक निम्नानुसार भरे जावेंगे :-
    - प्रथम आवंटन - वर्तमान पते का जिला
    - द्वितीय आवंटन - वर्तमान पते का संभाग मुख्यालय
    - तृतीय आवंटन - स्थायी पते का जिला
    - चतुर्थ आवंटन - स्थायी पते का संभाग मुख्यालय

टीप:- आवेदक को उपरोक्त क्रम में परीक्षा केन्द्र आवंटित किये जावेंगे किन्तु परीक्षा केन्द्र की क्षमता तथा प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप अन्य केन्द्र आवंटित किये जा सकेंगे। केन्द्र परिवर्तन हेतु कोई भी पत्राचार मान्य नहीं किया जावेगा।

- **अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर तथा जबलपुर में से दो विकल्पों का चयन करना होगा। परीक्षा केन्द्र का आवंटन आयोग द्वारा प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिगत किया जावेगा।**

7. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

अभ्यर्थी, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 (अधिसूचना क्रमांक 03 सन् 1956) के अधीन समझे गए विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक होना चाहिए या समतुल्य अर्हता रखता हो।

1. ऐसे अभ्यर्थी, जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों जिसमें उत्तीर्ण होने के पश्चात् वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे किन्तु जिनका परिणाम घोषित नहीं हुआ है तथा ऐसे अभ्यर्थी भी, जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखते हों, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह घोषित किये गये हों, मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने की अन्तिम तारीख तक स्नातक/समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिन तक या उसके पूर्व स्नातक/समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन पत्र के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. ऐसे अभ्यर्थी भी, जिनके पास ऐसी व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी उपाधि के समकक्ष हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।
3. जिला/क्षेत्र संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग के पद हेतु उन अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लिया है। अधिमान्यता से तात्पर्य यह है कि समान अंक होने की स्थिति में अंतिम चयन में उस अभ्यर्थी को गुणानुक्रम में पहले चयनित किया जावेगा जिसने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में लिया है।

8.	**आयु सीमा :-**	
	गैर वर्दीधारी पदों हेतु	21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
	वर्दीधारी पदों हेतु	21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 33 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।
	आयु संगणना तिथि	**01.01.2021**

अधिवार्षिकी आयु : 62 वर्ष

आयुसीमा में देय छूट हेतु **परिशिष्ट - "एक"** देखें।

9. शारीरिक मापदंड :- गृह (पुलिस) विभाग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के वर्दीधारी पदों हेतु निम्नानुसार शारीरिक मापदंड निर्धारित हैं :-

लिंग	ऊंचाई से.मी. में	सीने का घेरा	
		बगैर फुलाए से.मी. में	पूर्णतः फुलाने पर से.मी. में
1	2	3	4
पुरुष	168	84	89
महिला	155	सीने का माप अपेक्षित नहीं	सीने का माप अपेक्षित नहीं

10. विनष्टीकरण :- इस परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाएं/दस्तावेज (घोषित अंतिम चयन परिणाम तथा लम्बित न्यायालयीन प्रकरणों को छोड़कर) अंतिम चयन परिणाम की घोषणा तिथि के एक वर्ष पश्चात विनष्ट कर दी जायेंगी।

11. राज्य सेवा परीक्षा 2020, राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के अनुसार आयोजित की जायेगी। उक्त नियम आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किये गये हैं। यदि प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम के पूर्व उक्त नियमों में कोई संशोधन अधिसूचित होते हैं, तो वे इस परीक्षा में भी लागू होंगे।

12. राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा तथा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के साथ ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

13. **कोविड-19 के संदर्भ मे अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।**

14. **परिशिष्ट :-**
(1) आयु सीमा में छूट हेतु **परिशिष्ट-एक** देखें।
(2) ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश हेतु **परिशिष्ट-दो** देखें।
(3) आप्टिकल स्केनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेशों हेतु **परिशिष्ट-तीन** देखें।

सचिव

परिशिष्ट-एक
आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

गैर वर्दीधारी पदों हेतु

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।

वर्दीधारी पदों हेतु

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-14/2019/एक/3, दिनांक 19 दिसंबर 2019 के अनुसार महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग), पुरुष/महिला आवेदक (अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

स्पष्टीकरण :-
भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट- "एक" में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। वर्दीधारी पदों के संदर्भ में यह आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।

परिशिष्ट - दो
राज्य सेवा परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. राज्य सेवा परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैः-
   1. ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट पर **www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in** पर उपलब्ध है। जिसे ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं।
   2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त आवेदक निम्न माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं :-
      अ. स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेविट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं।
      ब. ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
   3. अभ्यर्थी MPONLINE के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से शुल्क का नगद भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। MPONLINE के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
   4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर की 25 KB से 200 KB तक की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय Upload करना होगा। www.mponline.gov.in के KIOSK पर स्कैनिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

   फोटो स्कैनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-
   1. स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
   2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
   3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
   4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
   5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
   6. कृपया सेल्फी द्वारा ली गयी फोटो का प्रयोग न करें।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
7. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी जानकारी ही प्रमाणिक जानकारी मानी जावेगी। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
8. आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop up window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग, आधार कार्ड आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Pop up window में OK बटन दबाकर फार्म सब्मिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

   अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद 'proceed to payment' बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा 'Payment Done' स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। आवेदक उक्त आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी 'Payment Done' उल्लेखित आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा माने।
9. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 15.01.2021 से 12.02.2021 तक** प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये ऐसे अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

   ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा।

   महत्वपूर्ण :- त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात अभ्यर्थी से प्राप्त अभ्यावेदनों के द्वारा अथवा आयोग को प्राप्त शिकायतों से यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों में मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की गयी है तो उसके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकेगी।
10. आवेदक उक्त आवेदन पत्र को सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र में अंकित आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंटआउट ले सकेंगे।
11. **अत्यावश्यक :-**
    यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में वर्टिकल श्रेणी (अना./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) गलत भरी गयी है तो उसे अनारक्षित (ओपन) के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी और यदि होरीजोंटल आरक्षण (महिला/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांगजन) में गलत श्रेणी भरी है तो उसी वर्ग के ओपन के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर उस वर्ग के ओपन में उम्मीदवारी मान्य की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि :-

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन पत्र **दिनांक 11.01.2021 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 10.02.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक** ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
2. आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 11.01.2021 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 12.02.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जावेगी।
4. **आवेदन एवं परीक्षा शुल्क :-**

म.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी एवं मध्यप्रदेश से बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
250/-	500/-

सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रु. 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा। जो अभ्यर्थी राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा।

टीप :-	1.	प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com** तथा **www.mppscdemo.in** पर उपलब्ध कराये गए ऑनलाइन माड्यूल की सहायता से रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी उनकी OMR शीट Download कर सकेंगे।
	2.	सूचना के अधिकार के तहत प्रारंभिक परीक्षा की OMR शीट की फोटोकापी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रदान की जाएगी किन्तु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का अवलोकन अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आवेदक द्वारा आवेदन करने पर कराया जा सकेगा। किन्तु उत्तरपुस्तिका की फोटोकापी प्रदान नहीं की जायेगी।
	3.	प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान निर्धारित तिथि तक अलग से करना होगा।

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हेल्पलाइन - 0755-6720200 तथा 0755-6720201

केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

5. **ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी :-**
   मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2020 के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट **https://www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** एवं **www.mppsc.com** पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आवेदक परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए https://www.mponline.gov.in पर locateKiosk/CSCsLink देखें। आवेदक हेल्पलाइन - 0755-6720200 तथा 0755-6720201 से भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
6. **परीक्षा दिनांक :- 11.04.2021**
7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म/परीक्षा शुल्क भरने की विधिः-

आवेदक https://www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर CitizenServices पर क्लिक करें इसके उपरांत Application लिंक पर जाकर MPPSC बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे।

Click here to Apply

Pay for unpaid Application/DuplicateReceipt

Click here to Edit

Download Admit Card Duplicate Receipt/View Application Status

Click Here to View Advertisement

आवेदक फार्म भरने से पहले **Click here to View Advertisement** को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही आवेदक **Click here to Apply** को क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन **Upload Image** दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर आवेदक को फोटो-हस्ताक्षर के (प्रारूप हेतु इस लिंक्स) दिखाई देगी। Links. को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक **Upload Image** बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ ले और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई हैं वह सही हैं। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही Submit बटन दबाएं। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए **Proceed to Payment** बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे :-

1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)
2. क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है। आवेदक फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देखा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें एवं संभालकर रखें।

क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed to Payment का बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर बैंक का पैमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखे।

सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिस पर भुगतान की गयी राशि तथा '**Payment Done**' अंकित हो।

8. **एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म/परीक्षा शुल्क भरने की विधि :-**

आवेदक आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक **https://www.mponline.gov.in** वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉगिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में MPPSC सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध कराएगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क संचालक आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिस पर भुगतान की गयी राशि तथा 'Payment Done' अंकित हो।

जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का ही होगा।

9. यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application/Duplicate-Receipt लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है :-

इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताये गये विन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक **Pay for unpaid Application/Duplicate-Receipt** लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक द्वारा भरी गई समस्त जानकारियां अंकित होंगी। **अभ्यर्थी ध्यान रखें कि उनका आवेदन पत्र तभी जमा मान्य होगा जब उसके पास ऑनलाइन आवेदन की वह प्रिंटआउट हो जिस पर भुगतान की गयी राशि तथा 'Payment Done' अंकित हो।**

- आवेदकों से निवेदन है कि 'ऑनलाइन आवेदन' की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभालकर रखें।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपीऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट :- यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए एम.पी. ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें

हेल्पलाइन - 0755-6720200 तथा 0755-6720201

2. **अन्य निर्देश/जानकारी :-**

1. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आवेदक का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है, क्योंकि आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/जन्मतिथि/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर/मूल निवासी प्रमाण पत्र/दिव्यांगता/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आदि की मांग नहीं की गयी है। अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न करें। समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा में सफल आवेदकों द्वारा व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं अनुप्रमाणन-पत्रक के साथ संलग्न कर आयोग को भेजना आवश्यक होगा, आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उम्मीदवारी स्वतः निरस्त मानी जायेगी। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुये अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत अभ्यर्थियों की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
2. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिये केवल अनुवीक्षण [Screening] परीक्षा होती है। उम्मीदवारों के अंतिम चयन में इस परीक्षा में प्राप्तांकों को नहीं जोड़ा जाएगा।
3. **आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।**
4. आवेदक को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक, परीक्षा केन्द्र, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए।
5. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. पर ही SMS या ई-मेल द्वारा आवश्यक होने पर सूचनाएं दी जाएंगी।
6. परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, आपस में बातचीत करना, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुंचाना, धौंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका को क्षति पहुंचाना एवं उत्तर पुस्तिका को जमा न करना आदि को दण्डनीय माना जायेगा।
7. **पहचान चिन्ह** :- ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य अंक, अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिन्ह लगायेंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाया माना जायेगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।
8. परीक्षा परिसर तथा साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्जित है।
9. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि सभी स्थानों अर्थात उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किये गये समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किये गये हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिये यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

3. **आवेदन की अंतिम तिथि :-**

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 10.02.2021** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4. **नियोक्ता की अनापत्ति :-**

जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत है, उनको यह अभिवचन [Under taking] (जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को चयन के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. **आवेदक को प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण-पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा के परिणाम में निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं अनुप्रमाणन-पत्रक के साथ निम्न अभिलेख संलग्न कर आयोग को प्रस्तुत करना होगा :-**

आयु संबंधी प्रमाण के लिये - केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जायेगा।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की स्वसत्यापित अंकसूचियां। **उपाधि संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।**

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु मध्यप्रदेश शासन के विहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

जाति प्रमाण-पत्र- उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अनुप्रमाणन-पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण-पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि आवेदक क्रीमीलेयर में नहीं आता है। जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को अनुप्रमाणन पत्रक के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों में निम्न प्रारूप में घोषणा-पत्र (Declaration) प्रस्तुत करना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित नवीनतम मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आते :-

क्रीमीलेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में मान्य किये जायेंगे।

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ..... आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/2020 दिनांक 28.12.2020 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी ग्राम/ कस्बा/शहर/..... जिला ....., मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ..... जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :- .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
रोल नंबर .....

यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। वांछित प्रमाण-पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र- दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-01-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 9.1.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी एवं वैध प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। **अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा। बहु-विकलांगता युक्त दिव्यांगजन को दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम में प्रावधानित प्रारूप में बहु-विकलांगता का स्थायी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।**

शासकीय सेवकों/भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत देय छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को देय छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

महत्वपूर्ण टीप :- उपरोक्त में से आवेदक द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

यदि आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदकों के अभिलेख आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होते हैं, तो ऐसे आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त मानी जायेगी। डाक विभाग अथवा अन्य किसी भी माध्यम से निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त अभिलेख मान्य नहीं किये जायेंगे। अतः आवेदक अंतिम निर्धारित तिथि के

पूर्व स्वयं के अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. कदाचरण और उसके लिए कार्यवाही :- कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है :-

01. जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो, या
02. प्रतिरूपण किया हो; या
03. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05. ऐसे कथन किए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
06. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो, या
07. परीक्षा कक्ष में अथवा अन्य किसी भी स्थान पर अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
08. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
09. उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या
10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
11. परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् यदि अभ्यर्थी कर्तव्यरत अधीक्षणकर्ता (इनविजिलेटर) के पास उसकी ओ.एम.आर. शीट जमा करने में असफल रहता है या ओ.एम.आर. शीट को क्षति पहुंचाता है, या
12. परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्नपत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग-
    (एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा, ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
    (दो) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
    (तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

7. प्रवेश पत्र -

01. अभ्यर्थी को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, यदि :-
    (क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र धारण न करता हो, और
    (ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/प्रवेश-पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय-पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय-पत्र धारण न करता हो, और
    (ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो, और
    (घ) आयोग द्वारा जारी किये गये प्रवेश-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाये गए फोटोयुक्त परिचय-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।
02. प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जायेंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी SMS/E-mail द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 06.04.2021 से 10.04.2021 (रात्रि 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in**, **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे। आवेदकों को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रुपये पोर्टल शुल्क देय होगा।
03. यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम.पी. ऑनलाइन से संपर्क करें।
04. यदि किसी आवेदक का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें। केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।
05. **अत्यंत महत्वपूर्ण** - आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र में से कोई एक प्रस्तुत करने एवं उससे आवेदक की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी :-

1.	आधार कार्ड	6.	शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2.	मतदाता पहचान पत्र	7.	बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3.	ड्रायविंग लायसेंस	8.	शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4.	पैन कार्ड	9.	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र
5.	पासपोर्ट		

मुख्य परीक्षा में सफल आवेदकों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक की पहचान की पुष्टि न होने पर आवेदक को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।

06. आयोग द्वारा अंतिम चयन सूची जारी किये जाने के पश्चात् लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंक सूची आवेदकों को ऑनलाइन उपलब्ध करायी जावेगी। आयोग द्वारा पहचान चिन्ह प्रकरण एवं अनुचित साधन प्रयोग करने वाले आवेदकों की परीक्षा निरस्त की जाएगी। अतः ऐसे आवेदकों की अंक सूची ऑनलाइन उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी का प्रदाय :-

1. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि सूचना के अधिकार के तहत उक्त परीक्षा से संबंधित जानकारियां केवल अंतिम चयन परिणाम के पश्चात ही प्रदान की जा सकेंगी।
2. प्रारम्भिक परीक्षा की OMR Sheet परीक्षा के बाद ऑनलाइन उपलब्ध करायी जाएगी। अतः इस हेतु सूचना के अधिकार के तहत आवेदन न करें।
3. अभ्यर्थी को सूचना के अधिकार के तहत केवल स्वयं की जानकारी प्रदान की जावेगी, अन्य अभ्यर्थियों की नहीं।

07. विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय आवेदकों से प्राप्त किया जाता है तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में आवेदकों का चयन किया जाता है। आवेदकों द्वारा अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत करने के पश्चात् उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे अग्रमान्यता पत्रक भरते समय विशेष सावधानी बरतें। अग्रमान्यएता पत्रक में केवल जिन पदों पर अग्रमान्यता दी गयी है, आवेदक को उन्हीं पदों पर विचारित किया जाएगा। जिन आवेदकों द्वारा नियत अवधि तक अग्रमान्यता प्रस्तुत नहीं की गयी है, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा निर्धारित क्रम में अग्रमान्यता मान्य की जावेगी।

08. मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिये जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे आवेदक जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हों (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित आवेदक मान्य नहीं होंगे) उन्हें भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। नमूना निम्नानुसार है :-

अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप

मैंने राज्य सेवा परीक्षा-2020 के विज्ञापन क्रमांक 03/2020 दिनांक 28.12.2020 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूं। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाये। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर .....
नाम .....
रोल नंबर .....

8. राज्य सेवा परीक्षाओं के पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

(अ) राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा

01. राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम केवल "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in**, **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जायेगा। आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जावेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जावेगा।
02. राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जावेंगी। अतः सफल आवेदक उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन पत्र राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में उल्लेखित मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आवेदन Submit करें।
03. मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र जमा न करने पर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त हो जावेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को विना विचार किये नस्तीवद्ध किया जायेगा।

(ब) राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा

01. राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा का परिणाम केवल "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in**, **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जायेगा। आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जावेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जावेगा।
02. राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जावेंगी। परीक्षा परिणाम में ही साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी निर्धारित रहेगी। अभ्यर्थी निम्नानुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेख आयोग को प्रेषित करेंगे :-
    अ. आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in**, **www.mppsc.com** तथा **www.mppscdemo.in** में 'Download Format' लिंक पर उपलब्ध कराये गये अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक Download करें।
    ब. अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक की प्रविष्टियों की पूर्ति करें। एक सेट के साथ अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र तथा निम्न अभिलेखों की छायाप्रतियां अधोलिखित क्रम में अनिवार्यतः संलग्न करें :-
        1. मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र
        2. प्रारम्भिक परीक्षा का आवेदन पत्र
        3. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां।
        4. मूल निवास/स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, अपिव के अभ्यर्थियों के क्रीमीलेयर में न आने संबंधी घोषणा-पत्र (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु)
        5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र की प्रति।
        6. दिव्यांगजन श्रेणी होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु)
        7. भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र की प्रति।
        8. अनुप्रमाणन-पत्रक की तीन मूल प्रति प्रस्तुत करें।
        9. व्यक्तिगत विवरण-पत्रक की एक मूल प्रति एवं 05 छायाप्रति प्रस्तुत करें।
        10. उपस्थिति पत्रक की एक मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।
        11. पहचान प्रमाण-पत्र हेतु आधार कार्ड की प्रति।
        12. अन्य अनुसंगत अभिलेख।
    स. उक्त अभिलेखों के सेट की एक प्रति स्वप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग को निम्न पते पर प्रस्तुत करें :-

सचिव,
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया, इंदौर, मध्यप्रदेश - 452001

टीप -

1. लिफाफे के शीर्ष पर 'राज्य सेवा परीक्षा 2020 के साक्षात्कार हेतु अभिलेख' तथा प्रेषक के स्थान पर अभ्यर्थी के मुख्य परीक्षा के रोल नम्बर, नाम एवं पते का उल्लेख अनिवार्यतः करें।
2. अभिलेखों के दो सेट सुरक्षित रखें। उक्त सेट मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के समय अनिवार्यतः साथ लायें।

03. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जावेगा जिन्हें अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात अर्ह पाया जावेगा।

10. यात्रा व्यय का भुगतान -

(अ) निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।
2. मध्यप्रदेश के मूल निवासी 40% या अधिक दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संवन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. दिव्यांगता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ एवं आधार कार्ड की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु देय यात्रा भत्ता का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होता है वे इस संदर्भ में कलेक्टर/कमिश्नर कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। इस संदर्भ में आयोग से कोई पत्र व्यवहार न करें। इस संदर्भ में आयोग में प्राप्त पत्र बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किए जायेंगे।

(ज) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट-तीन

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश

टीप - ओ.एम.आर. शीट का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा अतः ओ.एम.आर. शीट का उपयोग नीचे बताई गई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानीपूर्वक करें।

1. आप अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम दो काले बाल पाईन्ट पेन अवश्य लाएं।
2. गोले भरने के लिए केवल काला बाल पाईन्ट पेन का ही उपयोग करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा अस्पष्ट या हल्का काला करने पर ओ.एम.आर. शीट स्कैनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी।
3. ओ.एम.आर. शीट पर किसी प्रकार का रफ कार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है, उस स्थान का ही उपयोग करें।
4. ओ.एम.आर. शीट अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि ओ.एम.आर. शीट पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई हैं। अभ्यर्थी द्वारा उसे प्रदत्त प्रश्न पत्र सेट ए.बी.सी.डी. अंकन न करने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
6. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने पर किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (×) लगाने पर ओ.एम.आर. शीट कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जायेगी।
7. **ओ.एम.आर. शीट पर उत्तर अंकन के लिये - सामान्य निर्देश -**

(अ) प्रश्नों के उत्तरः ओ.एम.आर. शीट पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ओ.एम.आर. शीट पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से एक सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला काले बाल पाईन्ट पेन से गहरा काला करें। एक से अधिक गोलों को काला करने पर प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
OMR Sheet में उत्तर अंकित कर उसे काटने/मिटाने/वाईटनर लगाने से उक्त प्रश्न का मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

(ब) ओ.एम.आर. शीट के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा तिथि, प्रश्नपत्र कोड आदि भरने के लिये बने खानों में प्रविष्टि के लिये काले बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र A, B, C, D set में से कोई एक ही सेट दिया जायेगा। अपने सेट का कोड क्रमांक सावधानी से नियत स्थान पर भरें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें।

(स) **हस्ताक्षर**- ओ.एम.आर. शीट पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें।

(द) ओ.एम.आर. शीट के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, प्रश्नपत्र कोड के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिये काला बाल पाईन्ट पेन का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। अभ्यर्थी उसे आवंटित प्रश्न पत्र के सेट कोड ध्यान से देखें तथा सेट की जानकारी सुनिश्चित होने के पश्चात ही प्रश्न पत्र के सेट कोड के गोले को अत्यंत सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (ABCD के गोले) के आधार पर ही उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जायेगा। सेट कोड गलत भरने पर त्रुटि सुधार नहीं होगा। मूल्यांकन अभ्यर्थी द्वारा भरे गये सेट कोड की उत्तर कुंजी के आधार पर होगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवश्यक प्रविष्टियां सही स्थान पर उचित रूप से न भरने पर अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य नहीं किया जायेगा।

8. **रोल नम्बर की प्रविष्टि (चित्र एक)**

रोल नं. चित्र 1

6	8	4	0	2	1
0	0	0	●	0	0
1	1	1	1	1	●
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	●	4	4	4
5	5	5	5	5	5
●	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	●	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

रोल नम्बर के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ का लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़े का, पांचवा स्तम्भ दहाई का एवं छटा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नम्बर भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाइन में चौकोर खानों में दर्शाये अनुसार रोल नम्बर काला बाल पाईन्ट पेन से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवें स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को काला बाल पाईन्ट से गहरा काला करें।
अनुक्रमांक के गोले न भरने पर या गलत भरने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अंकों में तथा गोले भरने में भिन्नता होने पर भी ओ.एम.आर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी आयोग द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा।

एक - प्रवेश

01 परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।

02 परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की घड़ी का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जायेगा। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

03 परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र तथा मान्य फोटो युक्त परिचय-पत्र आवश्यक रूप से अपने साथ रखें।

04 परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी की जाँच की जाएगी। परीक्षार्थी अपने साथ केवल दो काले बाल पाईन्ट पेन, प्रवेश पत्र एवं मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर आएं। इसके अतिरिक्त मोबाइल, केलक्युलेटर, पेजर एवं किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

दो - निर्गमन

01 सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।

02 किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।

03 प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा ओ.एम.आर. शीट एकत्रित किये जाने के उपरांत वीक्षक की अनुमति से ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। ओ.एम.आर. शीट सहित कक्ष से बाहर जाने पर अभ्यटर्थी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा।

04 निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा (केवल दृष्टिबाधित तथा ऐसे अस्थिबाधित जो दोनों ही हाथों से लिखने में असमर्थ हैं तथा जिन्होंने सहलेखक की सुविधा ली है, ऐसे आवेदकों को प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनिट प्रति घण्टा अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - नाम और अनुक्रमांक

ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। ओ.एम.आर. शीट के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और ना ही पता अंकित करें। ओ.एम.आर. शीट के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है। ओ.एम.आर. शीट में (आपको दिये गये A, B, C, D प्रश्नपत्र सेट में से कोई एक सेट मिलेगा) प्रश्नपत्र का सेट अवश्य लिखें एवं सेट के गोले को काले पेन से काला करें। आपके द्वारा प्रश्नपत्र सेट के गोले को काला करने पर ही उक्त सेट की उत्तर कुंजी से ही ओ.एम.आर. शीट मूल्यांकन होगा। जैसा चित्र में सेट-ए को काला किया है।

प्रश्नपत्र सेट

A	○
B	●
C	○
D	○

चार - अनुचित साधन

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट के निकट, उनके पास कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज Electronic Gadget इत्यादि जो परीक्षा में प्रश्नपत्र हल करने में सहायक हो, न हों। परीक्षार्थी अनुचित साधन के प्रयोग से बचें।
परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दण्डनीय है। परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप विशेषकर मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य वर्जित वस्तुएं आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जायेगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी ओ.एम.आर. शीट से नकल करना अथवा अपनी शीट से अन्य परीक्षार्थी को नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से ओ.एम.आर. शीट बदलना, परीक्षा भवन में जोर-जोर से बोलना, किसी भी प्रकार की सांकेतिक भाषा अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अन्तर्गत माना जायेगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिये जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं, अन्य आयोगों की परीक्षा एवं साक्षात्कारों से वंचित किये जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।
परीक्षा की गोपनीयता :- परीक्षा पूर्व/दौरान/पश्चात प्रश्न-पत्र की गोपनीयता के भंग होने की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों/व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाकर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पांच- प्रश्न संबंधी शिकायत

प्रश्न से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत होने पर परीक्षार्थी परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर निर्धारित शुल्क (100 रुपये प्रति प्रश्न तथा रुपये 40 प्रति त्रुटि सुधार सत्र पोर्टल चार्ज) जमा कर ऑनलाइन पद्धति से आपत्ति दर्ज कराये। परीक्षा के प्रावधिक उत्तर कुंजी प्रकाशन के 07 दिवस के अंदर ऑनलाइन पद्धति से दर्ज शिकायतों पर ही विचार किया जायेगा। इसके पश्चात एवं अन्य किसी पद्धति से प्रस्तुत आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति, विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा सही पायी जाएगी उस प्रश्न हेतु दिया गया आपत्ति शुल्क आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा। इस हेतु आपत्तिकर्ता अभ्यर्थियों को आपत्ति मॉडयूल में उसके बैंक खाते की जानकारी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।

छः- ओ.एम.आर. शीट का लौटाना

परीक्षार्थी परीक्षा के उपरान्त ओ.एम.आर. शीट कक्ष के वीक्षक को ही सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में ओ.एम.आर. शीट परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना गम्भीर अपराध माना जायेगा और इस हेतु उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाएगी।

सात- ओ.एम.आर. शीट पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य पूर्तियाँ

1. ओ.एम.आर. शीट पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड के सही गोले भरें। साथ ही प्रश्नपत्र सेट और भी अत्यंत सावधानी से भरें एवं सेट के गोले को काला करें। इस संबंध में दिये गये निर्देशों को गम्भीरतापूर्वक पढ़ने के पश्चात ही आवश्यक प्रविष्टियां की जावें।
2. ओ.एम.आर. शीट पर कोई दाग/चिन्ह न लगने पाए, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ- प्रश्नपत्र पर अंकन

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखे तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिये गये पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ- उपस्थिति पत्रक

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हों। हस्ताक्षर के नीचे अपना नाम भी लिखें।

दस- सहलेखक

दृष्टिबाधित तथा ऐसे दिव्यांगजन जो दोनों हाथों से लिखने में असमर्थ हैं उन्हें प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा में 20 मिनट प्रतिघन्टा अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा तथा सहलेखक के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

अ उक्त श्रेणी के केवल ऐसे दिव्यांगजन को अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा जो सहलेखक का प्रयोग करेंगे।

आ सहलेखक की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं करनी होगी। आयोग द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। सहलेखक की शैक्षणिक अर्हता पद हेतु निर्धारित अर्हता से कम से कम एक स्तर नीचे होनी चाहिए। चूंकि राज्य सेवा परीक्षा हेतु अर्हता स्नातक है अतः सहलेखक की अर्हता स्नातक अथवा स्नातक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इ अभ्यर्थी को उसके सहलेखक का मूल फोटो युक्त मान्य परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (मान्य परिचय-पत्र सूची हेतु देखें परिशिष्ट-2 विन्दु -7 (5))

ई सह लेखक को किसी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा मानदेय का भुगतान आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा।

उ सहलेखक के प्रयोग की अनुमति केंद्राध्यक्ष द्वारा दी जाएगी इस हेतु अभ्यर्थी परीक्षा के एक दिवस पूर्व केंद्राध्यक्ष से संपर्क करें।

ऊ सहलेखक सुविधा की अनुमति हेतु अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा-मण्डल/सम्भागीय चिकित्सा-मण्डल/राज्य चिकित्सा-मण्डल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

ग्यारह विविध

1. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जायेगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टेंन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे।
2. परीक्षार्थियों को अपने साथ डिजिटल डायरी, वॉच, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर तथा अन्य electronic gadgets लाना वर्जित है।

बारह- परीक्षार्थी ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं/निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व अनिवार्यता से उनका पालन करें।

तेरह- अनुशासन व शालीनता

1. परीक्षा कक्ष में धुम्रपान करना/अशिष्ट, अनर्गल वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
3. परीक्षा भवन के फर्नीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिष्ट आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किये जाएं। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र इंदौर

राज्य वन सेवा परीक्षा - 2020

राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि - **11.04.2021**

विज्ञापन क्रमांक 04/2020/28.12.2020
वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10.02.2021

महत्वपूर्ण

1. राज्य वन सेवा परीक्षा के लिये आवेदन कर रहे उम्मीदवार कृपया यहां नोट करें कि राज्य वन सेवा (लिखित एवं साक्षात्कार) परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए उन्हें राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में सम्मिलित होना एवं अर्ह होना अनिवार्य होगा। राज्य सेवा परीक्षा 2020 के विज्ञापन हेतु आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/2020, दिनांक 28.12.2020 का अवलोकन करें।
2. राज्य सेवा तथा वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार एक ही कॉमन ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं बशर्ते वे पात्रता संबंधी आवश्यक मापदण्ड पूरे करते हों।
3. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 11.01.2021 (दोपहर 12:00) से दिनांक 10.02.2021 (रात्रि 12:00) बजे तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर भरे जा सकते हैं।
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 15.01.2021 से 12.02.2021 तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
   आवेदक यह ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा अतः वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
   त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि 250/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जावेगी।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्रों में आवेदक द्वारा भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, आयु/जन्मतिथि, शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदन सरसरी तौर पर अमान्य किये जायेंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा।
6. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें तथा परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेवसाइट **www.mppsc.nic.in**, तथा **www.mppsc.com** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गये Email Address तथा मोबाइल नंबर पर Email तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते, मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
7. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आयें और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।
8. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 एवं इससे संबंधित अन्य याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

एक- भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के अंतर्गत **सहायक वन संरक्षक** (Assistant Conservator of Forest) तथा **वन क्षेत्रपाल** (Forest Ranger) के स्थायी पदों की भर्ती संयुक्त परीक्षा द्वारा किये जाने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों की वर्गवार संख्या विभाग द्वारा प्रेषित मांगपत्र के अनुसार दर्शाई गयी है-

पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				
		अना.	अनु.जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.ब.	EWS
सहायक वन संरक्षक	6	3	1	1	1	0
वन क्षेत्रपाल	105	47	11	06	31	10

टीप :-

(1) शासन द्वारा पदों का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। किन्तु पदों की संख्या में वृद्धि केवल राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के परिणाम घोषित होने के पूर्व तक ही की जा सकेगी। पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जायेंगे तथा सभी पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया है। चयन के किसी भी स्तर पर पदों की संख्या में कमी की जा सकती है।

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 में अधिसूचना क्रमांक सी 3-10-12- एक-3, दिनांक 26 सितम्बर 2015, द्वारा महिला आरक्षण वन विभाग को छोड़कर प्रावधानित किया गया है।

(3) **सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल के पदों हेतु किसी भी श्रेणी के दिव्यांगजन आवेदक आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं। उक्त पद हेतु शारीरिक मापदंड निर्धारित हैं आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शारीरिक मापदंड पूरा करते हैं। (देखें विज्ञापन की कंडिका-3)**

दो- पद का विवरण -

(A) पद का नाम : **सहायक वन संरक्षक**
(B) विभाग का नाम : मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
(C) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
(D) पदस्थिति : स्थायी
(E) वेतनमान (7वें वेतनमान अनुसार) : रुपये 56,100-1,77,500/- तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
(F) अर्हता :

1. शैक्षणिक

अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न विषयों में से कम से कम एक के साथ विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक (या समकक्ष) होना चाहिये :- प्राकृतिक विज्ञान (भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणि शास्त्र) गणित, सांख्यिकी, भू-विज्ञान, कृषि, पर्यावरण विज्ञान, वानिकी, उद्यानिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान (वैटिनरी साइंस), कम्प्यूटर एप्लीकेशन/साइंस, इंजीनियरिंग (कृषि/रसायन/सिविल/कम्प्यूटर/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/मैकेनिकल) में स्नातक उपाधि धारण करता हो या समतुल्य विदेशी अर्हता धारण करता हो, परन्तु विशुद्ध गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक की दशा में उसने हायर सेकेण्ड्री/मेट्रीकुलेशन या समतुल्य परीक्षा में निम्नलिखित विषयों में से कोई एक विषय लिया हो :-

1. जीव विज्ञान
2. भौतिक शास्त्र
3. रसायन शास्त्र

2. प्रशिक्षण

दो वर्ष की पत्रोपाधि लेने हेतु वन महाविद्यालय देहरादून अथवा शासन द्वारा निर्धारित उसके समकक्ष भारतवर्ष के किसी भी अन्य प्रशिक्षण, वन विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा दो वर्ष का प्रशिक्षण विभाग में प्राप्त करना होगा एवं नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

3. शारीरिक मापदण्ड एवं क्षमता परीक्षण -

विन्दु तीन में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा।

(G) कर्तव्य : वानिकी संबंधी समस्त कार्य।

(A) पद का नाम : **वन क्षेत्रपाल**
(B) विभाग का नाम : मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
(C) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
(D) पदस्थिति : स्थायी
(E) वेतनमान : रुपये 36,200-1,14,800/- तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
(F) अर्हता :

1. शैक्षणिक

उम्मीदवार के पास भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान/यांत्रिकी/कृषि/वानिकी में स्नातक उपाधि अथवा समतुल्य विदेशी अर्हता होनी चाहिए तथा (2) उसने स्नातक उपाधि में निम्नलिखित में से कम से कम एक विषय लिया हो :-

भौतिक शास्त्र/रसायन शास्त्र/प्राणी शास्त्र/वनस्पति शास्त्र/भू-गर्भ शास्त्र/गणित/सांख्यिकी/वानिकी/कृषि/उद्यानिकी/यांत्रिकी (सिविल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रीकल/केमिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर)

2. प्रशिक्षण

18 माह की प्रशिक्षण अवधि होगी। प्रशिक्षण भारतवर्ष के किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय में प्राप्त करना होगा।

3. शारीरिक

विन्दु तीन में उल्लेखित शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता परीक्षण के प्रावधानों को पूर्ण करना होगा।

(G) कर्तव्य : वनों का प्रबंधन, विकास एवं सुरक्षा।

टीप - उपर्युक्त पदों के लिए आवेदक के पास निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं, राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। इसके पश्चात किसी भी दिनांक को उक्त अर्हताएं अर्जित करने वाले आवेदक उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे। परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित किए जाने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आवेदक को पद के योग्य मान लिया गया है। **चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अयोग्य पाये जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।**

तीन- शारीरिक मापदंड

		पुरुष	महिला
1.	ऊंचाई अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	163 से.मी.	150 से.मी.
2.	ऊंचाई अनुसूचित जनजाति	152 से.मी.	145 से.मी.
3.	सीने की परिधि • न्यूनतम विस्तार • पूर्ण विस्तारित	79 से.मी. 5 से.मी. 84 से.मी.	74 से.मी. 5 से.मी. 79 से.मी.
4.	शारीरिक क्षमता परीक्षण चार घंटे पैदल चलना	25 कि.मी.	सहायक वन संरक्षक हेतु : 14 कि.मी. वन क्षेत्रपाल हेतु : 16 कि.मी.

टीप- (1) चिकित्सा मंडल द्वारा उम्मीदवारों की ऊंचाई एवं सीने के मापदंड लिये जावेंगे तथा उम्मीदवारों की श्रवण शक्ति, दृष्टि एवं वन विभाग में बाह्य सेवा (आउट डोर वर्क) हेतु न्यूनतम शारीरिक मापदंड का परीक्षण किया जावेगा।

(2) शारीरिक क्षमता परीक्षण राज्य शासन द्वारा किया जायेगा।

(3) जो अभ्यर्थी शारीरिक मापदण्ड को पूरा करने में अथवा शारीरिक क्षमता परीक्षण अथवा मेडिकल परीक्षण में असफल होते हैं, उनका चयन शासन द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

चार- (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित हैं। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हैं आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।

(2) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

पांच - मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अंतर्गत अनर्हता -

(अ) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

(ब) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

छ - **आयु सीमा** -

- **सहायक वन संरक्षक हेतु** - 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो।
- **वन क्षेत्रपाल हेतु** - 21 की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 33 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो।

आयु संगणना तिथि 01.01.2021 होगी।
आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिये **परिशिष्ट-1** देखें।

सात - **महत्वपूर्ण** - यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

आठ - अधिवार्षिकी आयु - **62 वर्ष**

नौ - **परिवीक्षा** - सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल के पदों पर आवेदकों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

दस - **अनुबंध निष्पादन** - चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण संस्थान में जाने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित अनुबंध निष्पादित करना होगा -

1. चयनित अधिकारी बीच में प्रशिक्षण छोड़ता है तो प्रशिक्षण पर होने वाला समस्त व्यय चयनित अधिकारी को राज्य सरकार को देना होगा।
2. प्रशिक्षण उपरांत विभाग में सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के पद पर नियुक्ति प्राप्त हो जाने पर चयनित अधिकारी को विभाग में 5 वर्ष सेवा करना अनिवार्य होगा।

ग्यारह - **चयन प्रक्रिया** -
चयन प्रक्रिया के पांच क्रमिक चरण होंगे -

(अ) राज्य वन सेवा (मुख्य परीक्षा) के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार ओ.एम.आर. शीट आधारित)

(ब) राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार से ऑनलाइन परीक्षा पद्धति द्वारा)

(स) **साक्षात्कार** - लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा।

(द) **शारीरिक मापदण्ड तथा शारीरिक क्षमता का परीक्षण** - राज्य शासन द्वारा (पुरुष आवेदकों को 25 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तथा महिला आवेदकों को सहायक वन संरक्षक हेतु 14 कि.मी. तथा वन क्षेत्रपाल हेतु 16 कि.मी. की दूरी चार घंटे में पैदल चलकर तय करनी होगी।)

(इ) **स्वास्थ्य परीक्षण** - मध्यप्रदेश शासन के चिकित्सा मंडल द्वारा।

(फ) **परीक्षा योजना** -

प्रारंभिक परीक्षा - राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2020 ही राज्य वन सेवा परीक्षा-2020 हेतु आयोजित अर्हकारी परीक्षा होगी। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के (बहुविकल्पीय प्रश्न) दो प्रश्न पत्र होंगे। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गुणानुक्रम सूची केवल प्रथम प्रश्न पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जाती है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में अनारक्षित श्रेणी में 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है। किन्तु राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की गुणानुक्रम सूची बनाते समय प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों में ही प्राप्त अंकों के योग के आधार पर गुणानुक्रम सूची वर्गवार, श्रेणीवार बनाई जायेगी। क्योंकि राज्य वन सेवा परीक्षा हेतु केवल विज्ञान संकाय के अभ्यर्थी ही पात्र हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम अनारक्षित 40 प्रतिशत अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 30 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक होगा। यह परीक्षा केवल छानवीन परीक्षण के रूप में ली जाएगी। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु योग्य/अर्ह घोषित किया जाएगा। अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल रिक्त स्थानों के 15 गुना अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जावेगा। Negative Marking नहीं होगी।

मुख्य परीक्षा :- प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा आयोजित की जायेगी। यह परीक्षा एक प्रश्न पत्र की होगी जिसके दो खण्ड "अ" तथा "ब" होंगे तथा परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से ली जायेगी। मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के साथ ही आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जा रहा है।

परीक्षा परिणामों के संदर्भ में आवश्यक निर्देश -
प्रारम्भिक तथा मुख्य परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की पेपर सेटर/मॉडरेटर द्वारा तैयार प्रावधिक उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क (रुपये 40/-) पृथक से देय होगा। आपत्ति सही पायी जाने पर आपत्ति शुल्क वापस किया जाएगा किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी :-

1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक उत्तर-कुंजी में दिये गये विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्पों में अन्य विकल्प सही हैं तब प्रावधिक उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति मे केवल हिन्दी अनुवाद ही मान्य होगा।
3. ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा।
4. ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक भी सही उत्तर न हो को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा।
5. विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग द्वारा वेबसाइट **www.mppsc.nic.in, www.mppscdemo.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर-कुंजी के प्रकाशन के पश्चात कोई भी आपत्ति/पत्र-व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।
6. **उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।**

मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुने तथा अंतिम चयनित आवेदक के समान अंक पाने वाले आवेदक साक्षात्कार के लिये अर्ह घोषित किये जायेंगे। सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल हेतु मुख्य परीक्षा में अर्ह आवेदकों की दो पृथक गुणानुक्रम सूची बनाई जायेगी तथा दोनों पदों हेतु अर्ह आवेदक दोनों ही सूची में सम्मिलित रहेंगे।

बारह - **चयन विधि**

(1) आवेदक सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल में से किसी एक पद के लिये अथवा दोनों पदों के लिये आवेदन कर सकेंगे। आवेदक इस विज्ञापन में दर्शित अर्हता का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर यह सुनिश्चित कर लें कि वे पद हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, तत्पश्चात ही आवेदन करें।

(2) मुख्य परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में पद चयन हेतु तीन विकल्प हैं (A) सहायक वन संरक्षक हेतु (B) वन क्षेत्रपाल हेतु तथा (C) दोनों पदों हेतु। दोनों पदों हेतु वे आवेदक ही आवेदन करें जो दोनों पदों हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हों।

(3) राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के पन्द्रह गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु अर्ह घोषित किया जायेगा। समान रूप से मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु अर्ह घोषित किया जायेगा। **इस हेतु सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल हेतु पृथक-पृथक गुणानुक्रम सूची वर्गवार, श्रेणीवार बनाई जाएगी।**

(4) साक्षात्कार के पश्चात अंतिम मेरिट सूची A+C (सहायक वन संरक्षक) B+C (वन क्षेत्रपाल) के आधार पर बनाई जायेगी। A+C (सहायक वन संरक्षक) का चयन परिणाम बनाने के बाद उसमें चयन हेतु सफल उम्मीदवारों के अतिरिक्त C श्रेणी के जो आवेदक होंगे वे वन क्षेत्रपाल के पद हेतु भी विचारित किये जायेंगे।

तेरह - **महत्वपूर्ण**

- आयोग में परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
- **चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।**

चौदह **आवेदन प्रक्रिया** - उक्त पद हेतु आवेदन पत्र मात्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-दो** का अवलोकन करें।

पंद्रह **प्रवेश पत्र प्राप्त प्रक्रिया** - अभ्यर्थियों को परीक्षा के 10 दिन पूर्व से परीक्षा शहर की जानकारी SMS/ E-mail द्वारा तथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 06.04.2021 से 10.04.2021 (रात्रि 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध रहेंगे। अर्हताधारी आवेदक अपने प्रवेश पत्र उक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकेंगे। पृथक से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु आवेदक को वेबसाइट में विहित स्थान पर उसके आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि करनी होगी। एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु 5 रुपये पोर्टल शुल्क देय होगा।

सोलह - अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान ई-मेल आई.डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र-व्यवहार किया जाएगा। अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नये ई-मेल आई.डी. की सूचना आयोग को आवश्यक पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ई-मेल आई.डी. परिवर्तन की स्थिति में नये ई-मेल आई.डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने ई-मेल आई.डी. पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को सूचना प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक अपने वर्तमान डाक पते में परिवर्तन के संबंध में भी आयोग को तत्काल लिखित में सूचना प्रेषित करें।

सत्रह - **कोविड-19 के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।**

अठारह - अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -
(1) आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट-एक
(2) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट-दो
(3) आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली ओ.एम.आर. शीट के उपयोग संबंधी निर्देश तथा अन्य अनुदेश हेतु राज्य सेवा परीक्षा 2020 के परिशिष्ट-तीन का अवलोकन करें
(4) प्रारंभिक परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम राज्य सेवा परीक्षा 2020 के विज्ञापन के साथ तथा मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के साथ आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किए जा रहे हैं।

सचिव

परिशिष्ट - एक
आयु सीमा में छूट

(01) **वन क्षेत्रपाल हेतु** -
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-14/2019/एक/3, दिनांक 19 दिसंबर 2019 के अनुसार महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग), पुरुष/महिला आवेदक (अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी।

सहायक वन संरक्षक हेतु -
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।

(02) भूतपूर्व सैनिकों को उनके द्वारा की गई सेवा के आधार पर अधिकतम 03 वर्ष की छूट होगी जो कि अधिकतम आयुसीमा 45 वर्ष के अध्यधीन होगी।

स्पष्टीकरण -
(1) भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में अद्यतन संशोधन द्वारा यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।
(2) ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को जो सैनिक सेवा में है उन्हें भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व सेना से डिस्चार्ज होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(03) **प्रोत्साहन स्वरूप देय छूट** -
(01) अधिकतम 5 वर्ष तक - यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अन्तर्जातीय विवाह योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त सवर्ण पार्टनर हो;
(02) अधिकतम 5 वर्ष तक - यदि अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/8/85/3/1, दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के अनुसार 'विक्रम अवॉर्ड' से सम्मानित खिलाड़ी हो :
परन्तु उक्त शिथिलीकरण के मामले में अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के

पश्चात अधिकतम लाभ वाली किसी एक छूट का ही हकदार होगा।

टिप्पणी -

(1) समस्त छूटों को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित अधिकतम आयु सीमा (45 वर्ष) से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष या अधिक होगी वे सहायक वन संरक्षक के पद हेतु आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। वन क्षेत्रपाल के पद हेतु यह आयु सीमा 38 वर्ष होगी।

(3) आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट के समस्त लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के सन्दर्भ में उपलब्ध होंगे, अतएव अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट तथा अन्य लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अनुज्ञेय होंगे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के रूप में माने जाएंगे।

(4) अभ्यर्थी को शासकीय सेवक के तौर पर आयु सीमा में छूट तभी प्रदाय की जाएगी जब वह प्रारम्भिक परीक्षा से साक्षात्कार तक निरंतर शासकीय सेवक हो।

(छः) उक्त उपबंध, इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अधिक्रमण में है।

उक्त रियायतों के सिवाय आयु सीमा में कोई भी अन्य छूट अनुज्ञेय नहीं होगी। अभ्यर्थियों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ-साथ हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो अनिवार्य रूप से अपलोड की जाना चाहिए, इसमें असफल रहने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों इत्यादि से लिए गए जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र में उक्त प्रक्रिया के अनुसार एक बार जन्म तिथि सत्यापित होने तथा अभिलिखित हो जाने के बाद इसमें परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा तथा सभी अभ्यावदेन अमान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों में विसंगतियां पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।

परिशिष्ट - दो

राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं -

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट पर **www.mponline.gov.in, www.mppsc.com, www.mppsc.nic.in** पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदक MPonline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भर कर कियोस्क पर ही परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।
2. उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त आवेदक निम्न माध्यमों से भी शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं -
   1. स्वयं अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड (Master card/VISA/Maestro अथवा Rupay) के माध्यम से कर सकते हैं।
   2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
3. MPonline के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अपने अद्यतन पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइल तैयार रखें जिसे उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। **www.mponline.gov.in** के KIOSK पर स्कैनिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी में दिये गये निर्धारित स्थान पर सही पूर्णांक, प्राप्तांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, औसत प्रतिशत एवं अन्य जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गयी है को सही रूप से अंकित करें।
7. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन Submit करें।
8. आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले pop up window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग, आधार कार्ड आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Pop up window में OK बटन दबाकर फार्म सब्मिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।

   अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed to payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें। आवेदक उक्त आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि का प्रयोग कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।
9. **त्रुटि सुधार सुविधा** - आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 15.01.2021 से 12.02.2021 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीवद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

   ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/निःशक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई भी पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीवद्ध किया जायेगा।
10. आवेदक उक्त आवेदन पत्र को सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र में अंकित आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक की प्रविष्टि कर इंटरनेट के माध्यम से वे प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रिंटआउट ले सकेंगे।
11. **अत्यावश्यक** -

    यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में वर्टिकल श्रेणी (अना./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) गलत भरी गयी है तो उसे अनारक्षित (ओपन) के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में उम्मीदवारी मान्य होगी और यदि होरीजोंटल आरक्षण (महिला/भूतपूर्व सैनिक/निःशक्तजन) में गलत श्रेणी भरी है तो उसी वर्ग के ओपन के कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने पर उस वर्ग के ओपन में उम्मीदवारी मान्य की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देश और विधि -

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदन पत्र दिनांक 11.01.2021 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 10.02.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।
2. आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 15.01.2021 को दोपहर 12.00 बजे से दिनांक 12.02.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाइन किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटि सुधार शुल्क के भुगतान के पश्चात आवेदन पत्र में वांछित सुधार किया जा सकेगा।
3. श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग करने की मांग की जाती है तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि रु. 250/- का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जावेगी।
4. **आवेदन एवं परीक्षा शुल्क** -

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी एवं मध्यप्रदेश से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
रु. 250/-	रु. 500/-
सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रु. 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा। जो अभ्यर्थी राज्य सेवा तथा वन सेवा दोनों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें भी उपरोक्त अनुसार ही शुल्क एक बार ही देना होगा।	

टीप -

1. प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम के बाद आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com** तथा **www.mppscdemo.in** पर उपलब्ध कराये गए ऑनलाइन माड्यूल की सहायता से रु. 50/- शुल्क का भुगतान कर अभ्यर्थी उनकी OMR शीट Download कर सकेंगे।
2. सूचना के अधिकार के तहत प्रारंभिक परीक्षा की OMR शीट की फोटोकापी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पश्चात प्रदान की जाएगी किन्तु राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के संदर्भ में ऑनलाइन परीक्षा संबंधी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में जानकारी हेतु परिशिष्ट-चार देखें।
3. प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान अलग से करना होगा

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

हेल्पलाइन - 0755-4019400

किसी भी स्थिति में आयोग को भुगतान किये गये शुल्क की वापसी के किसी भी दावे पर ना तो विचार किया जावेगा और ना ही शुल्क को किसी अन्य परीक्षा/चयन के लिये आरक्षित रखा जा सकेगा।

5. **ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी** -

   मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 के लिए आवेदन पत्र वेबसाइट **https://www.mponline.gov.in, www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** एवं **www.mppsc.com** पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आवेदक परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए **https://www.mponline.gov.in** पर **locateKiosk/CSCsLink** देखें। आवेदक **हेल्पलाइन - 0755-4019400** से भी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
6. **प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक - 11.04.2021**
7. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म/परीक्षा शुल्क भरने की विधि -

आवेदक **https://www.mponline.gov.in** वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर **CitizenServices** पर क्लिक करें इसके उपरांत **Application** लिंक पर जाकर MPPSC बटन को क्लिक करें। अब उसे यहां निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे।
Click here to Apply
Pay for unpaid Application/DuplicateReceipt
Click here to Edit
Download Admit Card Duplicate Receipt/View Application Status
Click Here to View Advertisement

आवेदक फार्म भरने से पहले **Click here to View Advertisement** को क्लिक कर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही आवेदक **Click here to Apply** को क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन **Upload Image** दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के दाहिनी ओर आवेदक को फोटो-हस्ताक्षर के **(प्रारूप हेतु इस लिंक्स)** दिखाई देंगी। **Links.** को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर **jpg** फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक **Upload Image** बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो-हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही **Submit** बटन दबाएं। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए **Proceed to Payment** बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु निम्नानुसार आप्शन दिखाई देंगे -

1. इंटरनेट बैंकिंग (सभी राष्ट्रीयकृत बैंक)
2. क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड (मान्य कार्ड जैसे **Visa, Rupay, Master Card, Maestro card**)

इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या

इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अथवा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की नेट बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक फार्म भरने के उपरांत **Proceed to Payment** का बटन दबाएगा। यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देखा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें एवं संभालकर रखें।

क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान - आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये **Proceed to Payment** का बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर आईसीआईसीआई बैंक का पैमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।

सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट लेकर रसीद अवश्य लें।

8. **एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म/परीक्षा शुल्क भरने की विधि** -

आवेदक आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक **https://www.mponline.gov.in** वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉगिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में **MPPSC** सिलेक्ट कर सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध कराएगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियां फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियां अच्छी तरह पढ़ ले। आवेदक सभी जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने का कहे। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और तथा अपने पास संभाल कर रखें।

जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का ही होगा।

9. यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से **Pay for unpaid Application/Duplicate Receipt** लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है -

इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताये गये विन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक **Pay for unpaid Application/Duplicate Receipt** लिंक पर क्लिक कर उक्त जानकारियां भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत **Proceed to Payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक द्वारा भरी गई समस्त जानकारियां अंकित होंगी।

- आवेदकों से निवेदन है कि "ऑनलाइन आवेदन" की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
- ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या एमपीऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट :- यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें

एमपी ऑनलाइन लिमिटेड
निरुपम शापिंग मॉल
द्वितीय तल अहमदपुर
होशंगाबाद रोड,
भोपाल-422026, हेल्पलाइन - 0755-4019400

2. **अन्य निर्देश/जानकारी** -

1. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आवेदक का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है, क्योंकि आयोग ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/जन्मतिथि/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/मूल निवासी प्रमाण पत्र/विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र आदि नहीं मांग रहा है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न न करें। समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा हेतु सफल आवेदकों द्वारा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना है तथा साक्षात्कार के समय मूलतः प्रस्तुत करना है।
2. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिये केवल अनुवीक्षण [Screening] परीक्षा होती है। उम्मीदवारों के अंतिम चयन में इस परीक्षा में प्राप्तांकों को नही जोड़ा जाएगा।
3. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा की अंकसूचियां जारी नहीं की जाती हैं।
4. आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
5. आवेदक को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक परीक्षा केन्द्र, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर लिखना चाहिए।
6. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान ई-मेल आई.डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक होने पर पत्र-व्यवहार किया जाएगा। अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. में परिवर्तन की दशा में अभ्यर्थी को तत्काल नये ई-मेल आई.डी. की सूचना आयोग को आवश्यक पत्र व्यवहार हेतु लिखित में देनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ई-मेल आई.डी. परिवर्तन की स्थिति में नये ई-मेल आई.डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र व्यवहार पुराने ई-मेल आई.डी. पर ही किया जाएगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

   आवेदक अपने वर्तमान डाक पते में परिवर्तन के संबंध में भी आयोग को तत्काल लिखित में सूचना प्रेषित करे।
7. परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास, दी गई ओ.एम.आर. शीट एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुंचाना, धोंस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिष्ट आचरण, परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिका जमा न करना आदि को दण्डनीय माना जायेगा।
8. **पहचान चिन्ह** - ओ.एम.आर. शीट पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अन्य अंक, अपना नाम या अन्य नाम या किसी प्रकार का चिन्ह लगायेंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाया माना जायेगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं होगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।
9. परीक्षा परिसर तथा साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन या अन्य संचारी यंत्र वर्जित हैं।
10. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि सभी स्थानों अर्थात उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किये गये समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किये गये हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिये यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
11. आवेदक की अर्हता/पात्रता हेतु देखिए राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 के नियम 6, 8, 9, 10 एवं 12 तथा दंड/शास्ति हेतु देखिये नियम 14

3. **आवेदन की अंतिम तिथि** -

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि **10.02.2021** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12.00 के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4. **नियोक्ता की अनापत्ति** -

जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवक के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत है, उनको यह अभिवचन [Under taking] (जैसा कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को चयन के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

5. आवेदक को प्रारम्भिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है। निम्नांकित समस्त प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने आवश्यक होंगे।

आयु संबंधी प्रमाण के लिये - केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जायेगा।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र - हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है। समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की सत्यापित अंकसूचियां। **उपाधि संलग्न करना आवश्यक नहीं होगा।**

जाति प्रमाण-पत्र - उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण अथवा अन्य किसी रियायत के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है, अनुप्रमाणन पत्र के साथ अनिवार्यतः अपलोड करना चाहिए। विवाहित महिलाओं के मामले में उसके पिता के नाम का उल्लेख करने वाला जाति प्रमाण-पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में जाति प्रमाण पत्रों में यह प्रमाणन आवश्यक है कि आवेदक क्रीमीलेयर में नहीं आता है। जिन प्रमाणपत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे किसी भी प्रकार की छूट हेतु मान्य नहीं किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रारूप में घोषणा-पत्र (Declaration) अपलोड करना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित नवीनतम मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आते -

टीप - क्रीमीलेयर में आने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ———— आयोग के विज्ञापन क्रमांक 04./2020 दिनांक 28.12.2020 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं ———— पुत्र/पुत्री श्री————निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/————जिला ————,मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/करती हूं कि मैं ————जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इस संदर्भ में जारी अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :- ————

हस्ताक्षर————
नाम————
रोल नंबर————

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करें)

यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय मूल जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति मूलतः प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उसकी अभ्यर्थिता अस्वीकृत कर दी जाएगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के किसी वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा। वांछित प्रमाण.पत्रों के अभाव में किसी शिथिलीकरण/रियायत की पात्रता के बारे में विचार नहीं किया जाएगा।

शासकीय सेवकों/भूतपूर्व सैनिकों को देय छूट हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र। **अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत देय छूट हेतु** शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

विक्रम पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों को देय छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

महत्वपूर्ण टीप - उपरोक्त में से आवेदक द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6. **कदाचरण और उसके लिए कार्यवाही** - कोई अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है -

01 जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो या वैसा करने का प्रयास किया हो, या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन किए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो, या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन का आश्रय लिया हो, या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृन्द को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

09 उनके प्रवेश-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृन्द द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो, या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या

11 परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात यदि अभ्यर्थी कर्तव्यरत अधीक्षणकर्ता (इनविजिलेटर) के पास उसकी ओ.एम.आर. शीट जमा करने में असफल रहता है या ओ.एम.आर. शीट को क्षति पहुंचाता है, या

12 परीक्षा के पूर्व किसी भी रीति से प्रश्नपत्र अभिप्राप्त करता है या उसके लिए प्रयास करता है, तो आयोग-

(एक) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा, ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(दो) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(तीन) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

ऐसे अभ्यार्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु वर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

7. प्रवेश पत्र -

01 अभ्यर्थी को राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, यदि -

(क) वह, आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र धारण न करता हो, और

(ख) वह, आयोग द्वारा जारी विज्ञापन/प्रवेश-पत्र में उल्लिखित फोटो परिचय-पत्रों की कोई एक मूल फोटो परिचय-पत्र धारण न करता हो, और

(ग) आयोग द्वारा जारी किए गए प्रवेश-पत्र के संलग्न फोटो से उसके चेहरे का मिलान न होता हो, और

(घ) आयोग द्वारा जारी किये गये प्रवेश-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो का, आयोग द्वारा विहित उसके द्वारा लाये गए फोटोयुक्त परिचय-पत्र में उल्लिखित नाम एवं फोटो से मिलान न होता हो।

02 प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जायेंगे। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.com** एवं **www.mppsc.nic.in** तथा **https/: www.mponline.gov.in** पर दिनांक 06.04.2021 से 10.04.2021 तक उपलब्ध होंगे। आवेदकों को वेबसाइट से ही परीक्षा के प्रवेश पत्र प्राप्त करना होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा। प्रवेश पत्र एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से डाउनलोड करने पर पांच रुपये पोर्टल शुल्क देय होगा।

03 यदि प्रवेश पत्र प्राप्त करने में कोई समस्या आती है तो आयोग अथवा एम.पी. ऑनलाइन से संपर्क करें।

04 यदि किसी आवेदक का नाम नामिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें। केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।

05 **अत्यंत महत्वपूर्ण** - आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्न मान्य मूल फोटो युक्त पहचान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे आवेदक की पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी -

1.	आधार कार्ड	6.	शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2.	मतदाता पहचान पत्र	7.	बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3.	ड्रायविंग लायसेंस	8.	शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4.	पैन कार्ड	9.	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय पत्र
5.	पासपोर्ट		

परीक्षाओं में सफल आवेदकों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्व-प्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक की पहचान की पुष्टि न होने पर आवेदक को साक्षात्कार देने की अनुमति प्रदान नहीं कि जावेगी।

06 आयोग द्वारा अंतिम चयन सूची जारी किये जाने के पश्चात लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंक सूची आवेदकों को ऑनलाइन उपलब्ध करायी जायेगी। आयोग द्वारा पहचान चिन्ह प्रकरण एवं अनुचित साधन प्रयोग करने वाले आवेदकों की परीक्षा निरस्त की जाएगी। अतः ऐसे आवेदकों की अंक सूची ऑनलाइन उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।

07 विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय आवेदकों से प्राप्त किया जाता है तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में आवेदकों का चयन किया जाता है। आवेदकों द्वारा अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही इस संबंध में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे अग्रमान्यता पत्रक भरते समय विशेष सावधानी बरतें।

08 मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिये जो पद आरक्षित किए गए हैं ऐसे आवेदक जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हों (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित आवेदक मान्य नहीं होंगे) उन्हें भूतपूर्व सैनिक के डिस्चार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। नमूना निम्नानुसार है -

अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप

मैंने राज्य वन सेवा परीक्षा-2020 के विज्ञापन क्रमांक 04/2020 दिनांक 28.12.2020 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूं। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाये। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
रोल नंबर.....

(उक्त अभिवचन पत्र एवं प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करें)

8. राज्य वन सेवा परीक्षाओं के पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश -

(अ) राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा

01. राज्य वन सेवा प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम केवल "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जायेगा। आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जावेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जावेगा।

02. राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जावेंगी। अतः सफल आवेदक उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में उल्लेखित मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जमा करें तथा अपनी पात्रता और संबन्धित सभी अभिलेख अपलोड करें।

03. मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन जमा न करने पर आवेदक की उम्मीदवारी समाप्त हो जावेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किये नस्तीबद्ध किया जायेगा।

(ब) राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा

01. राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा का परिणाम केवल "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जावेगा। आवेदक को उसके परीक्षा परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जावेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जावेगा।

02. राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा के परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जावेंगी। परीक्षा परिणाम में ही साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि भी निर्धारित रहेगी। अभ्यर्थी निम्नानुसार निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेख आयोग को प्रेषित करेंगे।

अ. आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in, www.mppsc.com** तथा **www.mppscdemo.in** में "Download Format" लिंक पर उपलब्ध कराये गये अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक Download करें।

ब. अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक की प्रविष्टियों की पूर्ति करें। एक सेट के साथ अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र तथा निम्न अभिलेखों छायाप्रतियां अधोलिखित क्रम में अनिवार्यतः संलग्न करें -

1. मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र
2. प्रारम्भिक परीक्षा का आवेदन पत्र
3. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की उन समस्तप परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियां।
4. मूल निवास/स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, अपिव के अभ्यर्थियों के क्रीमीलेयर में न आने संबंधी घोषणा पत्र (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु)
5. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र की प्रति।
6. भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र की प्रति।
7. अनुप्रमाणन-पत्रक की तीन मूल प्रति प्रस्तुत करें।
8. व्यक्तिगत विवरण-पत्रक की एक मूल प्रति एवं 05 छायाप्रति प्रस्तुत करें।
9. उपस्थिति पत्रक की एक मूल प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।
10. पहचान प्रमाण-पत्र हेतु आधार कार्ड की प्रति।
11. अन्य अनुसंगत अभिलेख।

उक्त अभिलेखों के सेट की एक प्रति स्व-प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग को निम्न पते पर प्रस्तुत करें -

स. **सचिव,**
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी एरिया,
इंदौर, मध्यप्रदेश 452001

03. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित किया जावेगा जिन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात अर्ह पाया जायेगा।

9. परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुएं - परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस/केंद्र पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी द्वारा तलाशी (Frisking) की जावेगी। जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुएं अन्दर न ले जा सके।

सामान्यतः परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफलिंक, चश्मा, जूते-मोज़े, हाथ के बैंड, हाथ के बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अतः परीक्षा में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढंककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज जैसे बालों को बांधने का क्लचर/बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स, वालेट, टोपी वर्जित हैं।

सिर, नाक, कान, गला, हाथ, पैर, कमर में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/कलावा/रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी।

10. यात्रा व्यय का भुगतान -

(अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कहीं सेवारत नहीं है, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने जाने के यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केंद्र पर केंद्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केंद्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होगा -

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(द) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने हेतु देय यात्रा भत्ता का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त नहीं होता है वे इस संदर्भ में कलेक्टर/कमिश्नर कार्यालय से पत्र व्यवहार करें। इस संदर्भ में आयोग से कोई पत्र व्यवहार न करें। इस संदर्भ में आयोग में प्राप्त पत्र बिना किसी कार्यवाही के नस्तीबद्ध किए जायेंगे।

(ज) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2020

विज्ञापन क्रमांक 05/2020 दिनांक 29.12.2020
शासन के विभिन्न विभाग, मध्यप्रदेश शासन

परीक्षा तिथि
30.05.2021

परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14.02.2021

महत्वपूर्ण

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन हेतु राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापित पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	अर्हता	संबन्धित अभियांत्रिकी विषय
1.	**सहायक यंत्री (सिविल)** जल संसाधन विभाग	बी.ई. (सिविल)	Civil Engineering
2.	**सहायक यंत्री (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक**, ऊर्जा विभाग	बी.ई. (इलेक्ट्रिकल)	Electrical Engineering
3.	**निरीक्षक बायलर ग्रेड-1** वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग	बी.ई. (मेकेनिकल, विद्युत संयंत्र, प्रोडक्शन, धातु विज्ञान)	Mechanical Engineering Power Engineering Production Engineering Metallurgical Science
4.	**निरीक्षक बायलर ग्रेड-2** वाणिज्य उद्योग एवं रोज़गार विभाग		
	समतुल्य अर्हता	**Associate Member of Institution of Engineers (AMIE)**	

2. उक्त विज्ञापन में शासन से मांगपत्र प्राप्त होने पर निम्न पदों का भी संयोजन किया जा सकेगा। आवश्यक होने पर आवेदन प्राप्ति तिथि संशोधित की जाएगी :-

क्र.	पद का नाम	अर्हता	संबन्धित अभियांत्रिकी विषय
1.	**सहायक यंत्री (सिविल)** (शासन के विभिन्न विभाग) **सहायक यंत्री (मेकेनिकल)** (शासन के विभिन्न विभाग) **सहायक यंत्री (इलेक्ट्रिकल)** (शासन के विभिन्न विभाग)	बी.ई. (सिविल) बी.ई. (मेकेनिकल) बी.ई. (इलेक्ट्रिकल)	Civil Engineering Mechanical Engineering Electrical Engineering
2.	**उप पुलिस अधीक्षक (एम.टी.)** गृह विभाग	बी.ई. (मेकेनिकल या ऑटोमोबाइल)	Mechanical Engineering Automobile Engineering
3.	**उप पुलिस अधीक्षक (रेडियो)** गृह विभाग	बी.ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलीकम्यूनिकेशन/प्रौद्योगिकी)	Electronics/Telecommunication Engineering/Technology
4.	**उप पुलिस अधीक्षक (कंप्यूटर)** गृह विभाग	बी.ई. (कंप्यूटर साइंस/प्रौद्योगिकी)	Computer Science (Technology)

2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेंगे। आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2021 (दोपहर 12:00 बजे) से 14.02.2021 (रात्रि 12:00 बजे) तक **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर भरे जा सकते हैं।
3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में 20.01.2021 से 16.02.2021 तक त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा।
4. ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/निःशक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जायेंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा। **मध्यप्रदेश शासन के शासकीय सेवकों/निगम मण्डल कर्मियों/स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को देय आयु सीमा में छूट अभ्यर्थियों को तभी देय होगी यदि वे ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि अथवा उसके पूर्व से साक्षात्कार दिवस तक सतत रूप से मध्यप्रदेश शासन की सेवा में हों। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यदि साक्षात्कार दिवस के पूर्व त्यागपत्र/नौकरी से हटाये जाने अथवा अन्य किसी कारण से वह मध्यप्रदेश शासन की सेवा में नहीं रहते हैं तो उन्हें शासकीय सेवकों को देय आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा।**
5. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन परीक्षा दिनांक 30.05.2021 को (दोपहर 12:00 बजे से दोपहर पश्चात 02:00 बजे तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की सूचना परीक्षा के 10 दिन पूर्व e-Mail से प्रेषित की जाएगी तथा परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 25.05.2021 से दिनांक 29.05.2021 तक **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध रहेंगे।
6. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यकता होने पर E-mail तथा SMS Alert प्रेषित किए जा सकेंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते।
7. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
8. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आयें और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें, ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020**, के अंतर्गत निम्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विभिन्न वर्गों हेतु उल्लेखित पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रेषित मांगपत्रों के अनुसार है :-

क्र.	विषय	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	सहायक यंत्री (सिविल)															
1.	जल संसाधन विभाग	10	4	6	7	3	30	3	1	2	2	1	2	0	0	0
	सहायक यंत्री (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक															
2.	ऊर्जा विभाग	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	बायलर निरीक्षक ग्रेड-1															
3.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	1	0	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	बायलर निरीक्षक ग्रेड-2															
4.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Abbreviations : UR Unreserved; SC Scheduled Caste; ST Scheduled Tribe; OBC Other Backward Classes; EWS Economically Weaker Section; OH Orthopedically Handicapped; VH Visual Handicapped; HH Hearing Handicapped; MD Multiple Handicapped

दो - पद का विवरण

(1) (अ) पद का नाम : **सहायक यंत्री (सिविल)**
Assistant Engineer (Civil)

(ब) विभाग का नाम : मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग

(स) अर्हता : **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समतुल्य अर्हता।
समतुल्य अर्हता :-
Associate Member of Institution of Engineers (AMIE)

(द) कर्तव्य : अभियांत्रिकी कार्यालयीन तथा मैदानी कार्य

(इ) श्रेणी तथा वेतनमान : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी (अस्थायी पद)
15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
छठे वेतन आयोग अनुसार। सातवें वेतन आयोग के तत्स्थानी वेतनमान देय होंगे

(2) (अ) पद का नाम : **सहायक यंत्री (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक**

(ब) विभाग का नाम : मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग

(स) अर्हता : **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपाधि या उसके समतुल्य अर्हता।
समतुल्य अर्हता :-
Associate Member of Institution of Engineers (AMIE)

अनुभव : विद्युत इंजीनियरिंग के व्यवसाय में 3 वर्ष का अधिकारी के स्तर का

अनुभव ऐसे प्रतिष्ठानों का जो कम से कम 500 अश्वशक्ति की मोटर का उपयोग करता हो और/या उच्च वैभव (हाईटेंशन) उपभोक्ता हो।

(द) कर्तव्य : स्थापनाओं का निरीक्षण कार्य।
(इ) श्रेणी तथा : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी (अस्थायी पद)
वेतनमान : 15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
छठे वेतन आयोग अनुसार। सातवें वेतन आयोग के तत्स्थानी वेतनमान देय होंगे

(3) (अ) **पद का नाम** : **बायलर निरीक्षक ग्रेड-1**
(ब) विभाग का नाम : मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
(स) अर्हता : **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेकेनिकल या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातु विज्ञान इंजीनियरिंग में उपाधि
समतुल्य अर्हता :-
Associate Member of Institution of Engineers (AMIE)
अनुभव : बायलरों के डिजाइन, संनिर्माण, परिनिर्माण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या निरीक्षण में या बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में प्रबंधकीय हैसियत से तीन वर्ष का अनुभव
(द) कर्तव्य : बायलरों का निरीक्षण।
(इ) श्रेणी तथा : राजपत्रित प्रथम श्रेणी (स्थायी पद)
वेतनमान : 67300-206900 (मेट्रिक्स-13)
सातवें वेतन आयोग के अनुसार।

(4) (अ) **पद का नाम** : **बायलर निरीक्षक ग्रेड-2**
(ब) विभाग का नाम : मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
(स) अर्हता : **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता**
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेकेनिकल या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातु विज्ञान इंजीनियरिंग में उपाधि
समतुल्य अर्हता :-
Associate Member of Institution of Engineers (AMIE)
अनुभव : बायलरों के डिजाइन, संनिर्माण, परिनिर्माण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या निरीक्षण में या बायलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) और उसके अधीन विरचित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में प्रबंधकीय हैसियत से दो वर्ष का अनुभव
(द) कर्तव्य : बायलरों का निरीक्षण।
(इ) श्रेणी तथा : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी (अस्थायी पद)
वेतनमान : 56100-177500 (मेट्रिक्स-12)
सातवें वेतन आयोग के अनुसार।

तीन निःशक्तजन चिन्हांकन के संदर्भ में जानकारी
उक्त पदों को निःशक्तजन हेतु निम्नानुसार चिन्हांकित किया गया है :-

क्र.	पद का नाम	विभाग का नाम	चिन्हांकित निःशक्त श्रेणी
1.	सहायक यंत्री (सिविल)	मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग	अस्थिबाधित

चार (i) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। किन्तु पदों की संख्या में वृद्धि केवल परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक ही की जा सकेगी। पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जायेंगे तथा सभी पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया है।

(ii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(iii) **किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।**

(iv) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा निःशक्तजन को देय आरक्षण एवं आरक्षण तथा आयु सीमा की छूट एवं भूतपूर्व सैनिकों को देय आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित अभ्यर्थी के रूप में मान्य किए जाएंगे। जो पद उक्त वर्गों के लिए आरक्षित नहीं हैं उन पर इन वर्गों के अभ्यर्थी अनारक्षित के रूप में विचारित किए जायेंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर में आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य लाभ देय नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर में न आने के संदर्भ में परिशिष्ट-2 में यथा विनिर्दिष्ट अभिवचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

पांच आयु सीमा : आयु सीमा- 21 की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 40 वर्ष पूर्ण न की हो।

छः आयु संगणना तिथि 01.01.2021 होगी।
अधिकतम आयु सीमा में दी गयी छूट के लिए **परिशिष्ट-1 देखें।**

सात मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-
अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।
ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

आठ महत्वपूर्ण :- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है या नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गयी कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

नौ अधिवार्षिकी आयु :- 62 वर्ष

दस चयन प्रक्रिया :-
1. चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्न-पत्र की ऑनलाइन पद्धति से कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
2. ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के अधिकतम तीन गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा।
3. ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्र के खंड 'अ' तथा 'ब' में पृथक-पृथक 40% अंक तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी एवं मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
4. ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेख प्राप्त किए जायेंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत अर्ह पाये जायेंगे।
5. साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिए अनर्ह माना जाएगा। साक्षात्कार के संदर्भ में अभ्यर्थियों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से e-mail/SMS द्वारा सूचना भेजी जाएगी तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर भी उपलब्ध रहेगी।
6. अंतिम चयन ऑनलाइन परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांकों के योग के गुणानुक्रम तथा जो पद एक से अधिक विभागों हेतु विज्ञापित हैं उनमें अभ्यर्थी द्वारा विभागों के संदर्भ में प्रस्तुत अग्रमान्यता पत्रक के आधार पर होगा।
7. आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

विशेष :-1. अभ्यर्थियों का ऑनलाइन परीक्षा परिणाम उसी श्रेणी में घोषित किया जाएगा जो उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज है।
2. आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग की भांति, बिना किसी रियायत के चयनित होते है उन्हें आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
3. उक्त समायोजन केवल अंतिम चयन के अवसर पर होगा। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के स्तर पर नहीं।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

उक्त ऑनलाइन परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जा रहा है।

ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-
ऑनलाइन परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्राविधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क पृथक से देय होगा। आपत्ति सही पाये जाने पर आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापस किया जाएगा किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

केवल ऑनलाइन प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी:-
1. ऐसे प्रश्न जिनका प्राविधिक उत्तकर-कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब प्राविधिक उत्तर-कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्नपत्र से विलोपित किया जायेगा :-
(अ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो।
(आ) ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों।
(इ) प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद मे भिन्नता हो। किन्तु यदि **प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में ऐसी आंशिक भिन्नता हो जिससे प्रश्न की मूल भावना व सही विकल्प उत्तर पर कोई परिवर्तन न होता हो तब ऐसे प्रश्न को विलोपित नहीं किया जाएगा और इस संबंध में विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय अंतिम होगा।**

समिति द्वारा अंतिम उत्तर-कुंजी तैयार की जाएगी तथा उसे आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जायेगा। अंतिम उत्तर-कुंजी पर किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विलोपित किए गये प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के लिए बनी अंतिम उत्तर-कुंजी के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

ग्यारह ऑनलाइन परीक्षा की तिथि तथा केंद्र :- ऑनलाइन परीक्षा **दिनांक 30.05.2021 को दोपहर 12:00 बजे से दोपहर पश्चात 2:00 बजे तक)** निम्न शहरों में स्थित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी:-

कोड	शहर	कोड	शहर
01	इंदौर	05	सागर
02	भोपाल	06	उज्जैन
03	ग्वालियर	07	सतना
04	जबलपुर		

अभ्यर्थी उक्त शहरों में से उनकी अग्रमान्यता क्रम में सभी शहर केंद्र चुन सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आवेदक द्वारा चयनित अग्रमान्यता अनुसार ही शहर आवंटित किए जायें। आयोग प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से चयनित अग्रमान्यता क्रम से अलग परीक्षा शहर केंद्र आवंटित कर सकता है तथा परीक्षा केन्द्रों की संख्या कम या अधिक कर सकता है।

प्रश्नपत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि के संदर्भ में आवेदक परीक्षा तिथि के 07 दिवस पश्चात तक ऑनलाइन अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त अवधि के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

बारह प्रवेश-पत्र प्राप्ति प्रक्रिया :- ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 25.05.2021 से 29.05.2021 दिनांक तक **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध रहेंगे। अर्हताधारी आवेदक अपने प्रवेश पत्र उक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु आवेदकों को वेबसाइट में विहित स्थान पर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि करनी होगी। प्रवेश पत्र अन्य किसी भी विधि से आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे।

तेरह आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

चौदह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनायें, ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in**, तथा **www.mppsc.com** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किये जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

पंद्रह कोविड-19 के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

सोलह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-
(i) आयु सीमा की छूट परिशिष्ट-1
(ii) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट-2
(iii) ऑनलाइन परीक्षा के संदर्भ में आवश्यक निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट-3

सचिव

परिशिष्ट-एक
आयु सीमा में छूट

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांगजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।
(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :- (01) उपरोक्त परिशिष्ट- 'एक' में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
   1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे:-
      1. www.mppsc.com
      2. www.mppsc.nic.in
   3. अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
   4. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।

फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेशः-

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिंचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सिर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिंचवाए। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।
7. आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।
अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद 'proceed for payment' बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा 'Payment Done' स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8. **त्रुटि सुधार सुविधा** :- अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 20.01.2021 से 16.02.2021 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रुपये 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। **नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा।** अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क 1200 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु 600 निर्धारित है अतः आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपये 600 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा।

9. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

2. ऑनलाइन परीक्षा हेतु तथा आवेदन तथा परीक्षा शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) एवं दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रुपये 600/-	रुपये 1200/-

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में वापस किया जाएगा।

3. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 14.02.2021** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें:-

दूरभाष :- हेल्पलाइन नं. 0755-6720200 तथा 0755-6720201
ई-मेल :- mppsconline@gmail.com

4. अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी होना चाहिए तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी निःशक्तता प्रमाणित किया होना चाहिए। निःशक्तजन चिन्हांकन हेतु विज्ञापन की कंडिका-तीन देखें।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ..... आयोग के राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 के विज्ञापन क्रमांक 05/2020 दिनांक 29.12.2020 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मै ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी ग्राम/कस्बा/शहर/..... जिला ....., मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/करती हूं कि मै ..... जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मै शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन परिपत्र में निर्धारित मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :- .....

हस्ताक्षर .....
नाम .....
रोल नंबर .....

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

कार्यरत/छंटनी किये गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र। **परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1)** के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकेगी।

6. अनुशासनिक निर्देश :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हतायें :-** ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **ऑनलाइन परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

01 परीक्षा का परिणाम केवल 'रोज़गार और निर्माण' समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जायेगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा।

02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध कराये गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयमेव समाप्त हो जायेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जायेगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना होगा। साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुनें।

(फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

परिशिष्ट-3

ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश

ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश निम्नानुसार हैं :-

परीक्षा पूर्व निर्देश

01 परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** अथवा **www.mppsc.com** में निर्धारित लिंक पर आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि कर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र क्रमांक गुम गया है तो वे ऑनलाइन रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर, नाम एवं जन्मतिथि डालकर OTP (One Time Password)/टोल फ्री नम्बर (आयोग द्वारा जारी)/वेबसाइट पर उपलब्ध know your application number लिंक से प्राप्त कर सकते हैं।

02 परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गये विकल्प (शहर) के आधार पर रेण्डम विधि से रोल नम्बर प्रदाय किये जावेंगे।

03 परीक्षार्थियों हेतु निम्न हेल्प लाईन तथा ई-मेल के द्वारा हेल्प डेस्क पर की गई पूछताछ की समुचित व्यवस्था की जाएगी:-
हेल्पलाइन नम्बर- 0731-2700406
ई-मेल- mppsconline@gmail.com

04 आयोग की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली से अपने आप को प्रशिक्षित कर सकेगा।

05 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 01:30 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रवेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सके।

06 परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं अन्य अनावश्यक सामग्री साथ में नहीं लावे तथा अपने हथेलियों पर किसी प्रकार का रंग, स्याही अथवा मेहंदी न लगी हो, क्योंकि इस कारण बायोमेट्रिक दर्ज नहीं हो पाता है।

07 परीक्षार्थी के परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर परीक्षार्थी के मूल फोटो परिचय पत्र, एडमिट कार्ड, एवं फोटो की जांच प्रवेश पत्र एवं परीक्षार्थी के साथ मिलान किया जायेगा। तत्पश्चात बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा न होने पर बायें हाथ का अंगूठा एवं दोनों अंगूठे न होने पर बायें/दाएं हाथ की प्रथम उंगली एवं दोनों हाथ न होने की स्थिति में सहलेखक के अंगूठे का वेरिफिकेशन किया जावेगा।

08 परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस द्वारा तलाशी (Frisking) की जावेगी। जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुएं अन्दर न ले जा सके।

परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुयें

सामान्यतः ऑनलाइन परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफ़लिंक, चश्मा, जूते-मोजे, हाथ के बैंड/हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अतः परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढंककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज़ जैसे बालों को बांधने का क्लचर/बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्में, पर्स/वालेट, टोपी वर्जित है।
सिर, नाक, कान, गला, हाथ-पैर, कमर आदि में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/कलावा/रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी।

09 आयोग द्वारा निम्न फोटो आई-डी कार्ड मान्य किये गये हैं, इनमें से किसी एक की मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक होगा। फोटो आई-डी की फोटोकापी मान्य नहीं की जावेगी।
1. मतदाता परिचय पत्र
2. आधार कार्ड
3. ड्राइविंग लायसेंस
4. पेन कार्ड
5. पासपोर्ट
6. फोटो सहित बैंक पासबुक
7. केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र।
8. शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र।
9. अभ्यर्थी का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो।

उपरोक्त के अभाव में परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

ऑनलाइन परीक्षा की मुख्य विशेषतायें

10 सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी में संचालित की जावेगी।

11 आयोग द्वारा परीक्षार्थी को केन्द्र पर रफ कार्य किये जाने हेतु पेपर एवं पेन की सुविधा प्रदान की जावेगी। रफ कार्य किये जाने हेतु प्रदत्त पेपर परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षा कक्ष में छोड़कर जाना होगा।

12 रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन के पश्चात् परीक्षार्थी को रूम नम्बर एवं सीट नम्बर अलाट किये जावेंगे।

13 ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी केन्द्रों पर आयोग द्वारा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं जो प्रश्नपत्र को आयोग से सुरक्षितरूप में प्राप्त कर केन्द्रों पर परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करायेंगे।

14 परीक्षार्थी को जो मशीन आवंटित की गई है, उस पर सीट नम्बर, मशीन नम्बर, आई.पी. एड्रेस, एवं कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्वयं का फोटो है, यह सुनिश्चित कर सीट पर बैठें।

15 परीक्षार्थी अपने रोल नम्बर एवं प्रवेश-पत्र पर अंकित पासवर्ड द्वारा लाग-इन कर सकेंगे।

16 परीक्षार्थी द्वारा लाग-इन करने के पश्चात् स्क्रीन पर Instruction page, Symbol page display होगा।

17 परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षार्थी के स्क्रीन पर 05 प्रश्न दिये जावेंगे जो आवेदक द्वारा हल किये जावेंगे तत्पश्चात स्क्रीन पर माडल आंसर उपलब्ध होगा जिससे परीक्षार्थी अपने उत्तर चेक कर सकेगा। उक्त प्रक्रिया को परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अधिकतम 03 बार दोहराया जा सकेगा, जिससे परीक्षार्थी स्वयं यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उसके कम्प्यूटर का माउस उसके द्वारा चाहे गये विकल्प पर ही क्लिक हो रहा है। उक्त प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न होती है तो वह कक्ष में उपस्थित वीक्षक/तकनीकी सहायक को उक्त संबंध में अवगत कराएंगे, जिससे वीक्षक द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जा सके।

18 परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान लिये जावेंगे तथा वीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उसी मशीन पर परीक्षा दे रहा है जो उसे आवंटित की गई है।

19 प्रत्येक परीक्षार्थी का सत्यापन वेरिफिकेशन शीट के आधार पर बायें/दायें हाथ पर बैठे परीक्षार्थी द्वारा किया जावेगा कि बैठा हुआ परीक्षार्थी उसे आवंटित की गई मशीन पर ही पूरे समय बैठकर परीक्षा दे रहा था।

20 परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार प्रश्नों को हल कर सकेंगे एवं समय संबंधी अलार्म परीक्षा प्रारंभ होने पर, परीक्षा प्रारंभ होने के 01:00 घण्टे पश्चात, 01:30 घण्टे पश्चात परीक्षा समाप्ति के 10:00 मिनट पूर्व तथा अंतिम अलार्म परीक्षा समाप्ति पर बजेगा।

21 परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय में हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों को बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे वह चाहे गये प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय में बदल सकेगा।

22 परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर वीक्षक द्वारा तत्काल प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, प्रकरण तैयार किये जाने के पश्चात् भी यदि परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदाय की जा सकेगी, किन्तु यदि परीक्षार्थी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जावेगी। उक्त समस्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जावेगा।

23 यदि परीक्षार्थी हल किये गये उत्तरों को समय समाप्ति के पूर्व सबमिट नहीं करता है तो मशीन स्वतः ही समय समाप्ति पर उत्तरों को सबमिट कर बन्द हो जावेगी।

परीक्षा पश्चात की कार्य प्रक्रिया

24 अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों का P.D.F. Form में पुनः अवलोकन कर सकेंगे। अवलोकन किये जाने हेतु 05 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जावेगा जिसके अंतर्गत वे हल किये गये उत्तरों में किसी का बदलाव नहीं कर सकेंगे।

25 मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रवेश पत्र पर अंकित पते से परीक्षा केन्द्र शहर तक का यात्रा भत्ते का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जायेगा; इस हेतु अभ्यर्थियों को वांछित घोषणा-पत्र तथा निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-
- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की फोटो कापी
- यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा का विवरण तथा राशि का स्पष्ट उल्लेख हो जाति प्रमाण पत्र की फोटो कापी जमा करने पर ही प्रदान किया जायेगा।

26 परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों एवं दिये गये उत्तरों की उत्तरपुस्तिका एवं प्रावधिक उत्तर कुंजी अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ई-मेल आई-डी पर भेजी जावेगी।

27 प्रावधिक उत्तर परीक्षोपरान्त आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।

28 परीक्षा पश्चात परीक्षार्थी प्रश्नपत्र से संबंधित अपने Objection सात दिवस की अवधि में अपना नाम, रोल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर ऑनलाइन भेज सकेंगे। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा। **प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क आपत्ति के सही पाये जाने पर ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापस किया जाएगा किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।**

जी-17160/44914/2021

जैविक आदानों की आपूर्ति के लिए कृषि विश्वविद्यालय आएं आगे

भोपाल, जैविक आदानों की आपूर्ति के लिए कृषि विश्वविद्यालय आगे आएं। कृषि विश्वविद्यालय किसानों को जैविक बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने की कार्ययोजना पर अमल करें। किसानों को जैविक आदानों की आपूर्ति की आवश्यकता का संकलन किया जाए। उसके अनुसार आगामी दो-तीन वर्षों में आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों उन्नत जैविक खाद्यान्न, खाद और कीटनाशकों का उत्पादन किसानों के खेतों पर कराएं ताकि आसपास के अन्य किसान भी जैविक उत्पादन के लिए प्रेरित हों। ये बातें राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने पंवारखेड़ा होशंगाबाद में आयोजित जैविक उन्नत कृषि कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए कहीं।

राज्यपाल ने कहा कि रासायनिक खादों के उपयोग से होने वाले उत्पाद स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। उन्होंने कहा कि यदि आंकड़े लिए जाएं तो कैंसर से मरने वालों की संख्या किसी अन्य संक्रमण से होने वाली मौतों से अधिक होगी। उन्होंने कहा कि विकास के लिए एकीकृत दृष्टि के साथ प्रयास किये जाने जरूरी हैं। गोबर से जैविक खाद, कीटनाशक और पोषक तत्वों का सफल उत्पादन गुजरात में हो रहा है। उत्तरप्रदेश में भी 10 हजार गायों के गोबर से जैविक उत्पादों के उत्पादन की परियोजना शुरू हुई है। उन्होंने विकास के लिए खाकों में नहीं एकीकृत प्रयासों की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि गांवों के समग्र विकास की सोच के साथ कार्य किया जाए तो अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने कुपोषण की समस्या का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसान थोड़ी सी सब्जी आंगनवाड़ी और मध्यान्ह भोजन में देने लगे तो बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलने लगेगा।

कार्यक्रम में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया है। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नहीं, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर फसल बेचने का अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक उत्पादक किसान बहुत थे, मगर खरीददार व्यापारी थोड़े से होने के कारण फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता था। अब किसान स्वयं अपने उत्पादन को बेचने में सक्षम हो गया है। वह खाद्यान्न उत्पादक संघ बनाकर अधिकतम खुदरा मूल्य प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से आजादी के 70 सालों के बाद किसानों को आबादी की जमीन का अधिकार मिल रहा है। अब वह भी अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण लेकर अपना व्यवसाय खड़ा कर सकता है।

श्री पटेल ने कहा कि रासायनिक आदानों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी जहरीली हो गई है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी उसी का प्रतिफल है। उन्होंने कहा कि भूमि के उपचार की जरूरत है। इसलिए सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यालयीन समय में भूमि उपचार के लिए बहिरंग व्यवस्था (ओपीडी) चलाई जायेगी। कृषि वैज्ञानिक गांवों में जाकर चौपाल लगाकर किसानों को परामर्श देंगे, इसके लिए टोल फ्री हेल्पलाइन भी संचालित की जाएगी।

नगरीय विकास का बनेगा पंचवर्षीय रोडमैप

भोपाल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार नगरीय निकायों का पंचवर्षीय (वर्ष 2021-26) रोडमैप बनाया जायेगा। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जनवरी माह में सभी नगर निगमों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान नगर निगमों द्वारा 5 वर्ष के विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री सिंह ने बताया है कि नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायत का भी विकास रोडमैप बनाया जायेगा। इसकी समीक्षा अलग से संभाग स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जायेगी। पंचवर्षीय कार्ययोजना के मुख्य बिन्दु समावेशी शहरी विकास, संवहनीय विकास, राजस्व एवं प्रशासनिक सुधार, शहरी सेवा प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार और नगरीय नियोजन के माध्यम से शहरी अर्थव्यवस्था में सुधार होंगे।

डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020

प्रवासी श्रमिक और रोज़गार सेतु पोर्टल के लिए मध्यप्रदेश सम्मानित

खरगोन जिले को मिला 'डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता' के लिए प्लेटिनम पुरस्कार

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद डिजिटल इंडिया अवॉर्ड-2020 कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुये।

भोपाल, मध्यप्रदेश सरकार के श्रम विभाग द्वारा संचालित प्रवासी श्रमिक और रोज़गार सेतु पोर्टल को 'महामारी में नवाचार' श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समारोह डिजिटल इंडिया अवॉर्ड्स 2020 में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पोर्टल कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी और अन्य श्रमिकों की पहचान, पंजीकरण, कौशल और रोज़गार की सुविधा प्रदान करने के लिए पुरस्कृत किए गए हैं। जिला खरगोन को जिले की वेबसाइट के लिए 'डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता -जिला' श्रेणी के लिए प्लेटिनम पुरस्कार से नवाजा गया है। केंद्रीय विधि और न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, सचिव (MEITY) श्री अजय साहनी और अन्य गणमान्य व्यक्ति विज्ञान भवन, नई दिल्ली और भोपाल, कोलकाता, चेन्नई और विभिन्न स्थानों से पुरस्कार समारोह में शामिल हुए।

ये पोर्टल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति है और मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान इस तरह की योजना को लागू किया है। डिजिटल इंडिया अवॉर्ड की 'महामारी में नवाचार' श्रेणी ऐसी सरकारी संस्था का सम्मान करती है, जिसने संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा जैसे क्षेत्रों में महामारी के दौरान नागरिकों को विभिन्न गतिविधियों को आसानी से पूरा करने के लिए उत्कृष्ट, अभिनव और डिजिटल समाधान विकसित किया हो अथवा सरकारी सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित की हो। मध्यप्रदेश प्रवासी श्रमिक पोर्टल और श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप ने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की पहचान और पंजीकरण में मदद की। इस पोर्टल द्वारा बनाए गए प्रवासी श्रमिकों के एकीकृत डेटाबेस का उपयोग सरकारी विभागों और जिला प्रशासन द्वारा प्रवासी श्रमिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए किया जा रहा है। रोज़गार सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रवासी और अन्य श्रमिकों को उनके कौशल और पूर्व अनुभव के आधार पर उनके अपने गांव और शहर में रोज़गार प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

पुरस्कार श्रेणी 'डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता-जिला' में जिला प्रशासन की उन उपलब्धियों को पुरस्कृत किया जाता है जिसने नागरिकों को क्षेत्रीय भाषा में व्यापक जानकारी प्रदान करने पर अनुकरणीय ध्यान केंद्रित किया है।

खरगोन की जिला वेबसाइट को नागरिक केंद्रित आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रामाणिक और विश्वसनीय एकल खिड़की सूचना प्रसार प्रणाली होने के लिए प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह वेबसाइट दिव्यांग-अनुकूल होने के साथ-साथ जिले के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे पर्यटन, कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और उपयोगिताओं तक पहुंच को प्रदर्शित करती है। इस वेबसाइट पर सूचना अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

सरकार के लिये सुशासन का मतलब है आमजन के कार्य सुगमता से हों

किसान बिल से किसानों को उनकी उपज का मिलेगा बेहतर मूल्य

भोपाल, राज्य सरकार के लिए सुशासन का मतलब है आमजन का हर कार्य सुगमता से हो। शासन द्वारा अब ऐसी सुविधा आरंभ की जा रही है, जिससे आवेदकों को मोबाइल पर ही जाति एवं आय के प्रमाण-पत्र प्राप्त होने लगेंगे। ये बातें औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने धार जिले के विभिन्न ग्रामों में निर्माण एवं विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रमों में लोगों को संबोधित करते हुये कहीं।

श्री राजवर्धन सिंह ने कहा कि शासन द्वारा नामांतरण तथा बंटवारा की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जा रहा है, ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में बिचौलिये बीच में आकर उनकी मूल आय को कम कर देते हैं। किसान बिल से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने लगेगा। नए कानूनों के लागू होने से किसान अपनी उपज को जहां चाहेंगे, वहां अधिक मूल्य पर बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय किसानों के हित में ही लिया गया है। सभी कृषक इस बात को समझें तथा दूसरों को भी जागरूक करें, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उन पर ध्यान न दें। कार्यक्रम में श्री दत्तीगांव ने कहा कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से धार विकासखण्ड के लोगों को बड़ी सौगात मिली है।

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव धार जिले में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करते हुये।

श्री दत्तीगांव ने धार जिले के विभिन्न ग्रामों में लगभग सवा तीन करोड़ रुपये की लागत राशि के 5 निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा भूमि-पूजन किया। इनमें 35.44 लाख रुपये की लागत से आर.के.वी.वाय. योजनांतर्गत डेहरी उपड़ी (घाटाबिल्लौद) में 200 मीट्रिक टन गोदाम और कार्यालय का लोकार्पण, लेवड़ में 85.51 लाख रुपये तथा ग्राम नेकपुर में 75.25 लाख रुपये लागत से बनने वाली जल आवर्धन योजना का भूमि-पूजन, उटावद में 1.12 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नवीन नल-जल योजना का लोकार्पण तथा 12.94 लाख रुपये की लागत से पंचायत भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया।

विधायक धार श्रीमती नीना वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि नए किसान कानूनों से किसान अपनी फसल को कहीं भी अच्छे दाम में बेच सकता है। उन्होंने कहा कि डेहरी उपड़ी के इस गोदाम से खाद रखने की अच्छी व्यवस्था रहेगी। इसका फायदा सोसायटी के साथ ही किसानों को भी मिलेगा।

अशासकीय विद्यालय की मान्यता

नवीनीकरण आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च तक बढ़ी

भोपाल, स्कूल शिक्षा विभाग ने अशासकीय विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण का आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 कर दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध समस्त अशासकीय विद्यालय आगामी 31 मार्च तक मान्यता नवीनीकरण का ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। मान्यता नवीनीकरण शुल्क एकमुश्त या तीन किश्तों में 31 दिसंबर 2021 तक जमा किया जा सकेगा।

राज्य शासन ने कोविड-19 संक्रमण और छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया है। इसके तहत मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 के अनुसार प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए मान्यता नवीनीकरण को 31 मार्च 2022 तक की समयावधि के लिए मान्य किया गया है। इसके पूर्व ऑनलाइन आवेदन अपलोड करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 किया गया है।

जिन अशासकीय विद्यालयों ने पूर्व के निर्देशों के अनुसार सशुल्क आवेदन किए थे और उनकी मान्यता नवीनीकृत की जा चुकी है, उसे यथावत मान्य किया गया है। जो अशासकीय विद्यालय निर्धारित आवेदन एवं शुल्क जमा कर चुके हैं किंतु उनकी मान्यता का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उन्हें पुनः शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। नवीनीकरण के लिए निर्धारित शुल्क 31 दिसंबर 2021 तक जमा किया जा सकेगा जिसमें सत्र 2020-21 और सत्र 2021-22 का शुल्क भी शामिल होगा।

आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्द्धन केन्द्र का होगा विस्तार

सागर, पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने सागर जिले के ग्राम रतौना में आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्द्धन केन्द्र में गौ-शाला विस्तार कार्य का भूमि पूजन किया। मनरेगा में एक करोड़ 9 लाख 86 हजार रुपये की लागत से होने वाले विस्तार कार्य से गायों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में वृद्धि होगी।

पशुपालन मंत्री ने गौशाला और वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार करने का अवलोकन भी किया। वर्तमान में गौशाला में 1800 से अधिक गायों के देखरेख की जा रही है। गौशाला संचालनकर्ताओं ने बताया कि यहां ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या हो जाती है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

माणिकचंद्र वाजपेयी राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार पुनः प्रारंभ होगा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान माणिकचंद्र वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का द्वीप प्रज्ज्वलन कर शुभारंभ करते हुये।

भोपाल, प्रख्यात पत्रकार मामाजी श्री माणिकचंद्र वाजपेयी मामाजी कर्मयोगी, राष्ट्रभक्त, अहंकार शून्य, सागर-सी गहराई और आकाश-सी ऊंचाई रखने वाले व्यक्तित्व थे। उनके नाम से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता के लिए स्थापित राष्ट्रीय पुरस्कार पुनः प्रारंभ किया जाएगा। पूर्व सरकार द्वारा यह पुरस्कार बंद कर दिया गया था। मध्यप्रदेश सरकार श्री राजेन्द्र माथुर जी के नाम से भी पत्रकारिता पुरस्कार को जारी रखते हुए मामाजी के नाम से प्रारंभ पुरस्कार को पूर्व की तरह प्रदान करेगी। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल भोपाल में जनसंपर्क विभाग द्वारा मामाजी माणिकचंद्र वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत डाक टिकट अनावरण समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुये कहीं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मामाजी के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय अटल जी भी मामाजी का बेहद सम्मान करते थे। मामाजी के स्वर्गवास के समय अटल जी बहुत द्रवित हुए थे। लाखों कार्यकर्ताओं और सैकड़ों पत्रकारों के लिए मामाजी का समर्पित जीवन प्रेरणापुंज था। श्री चौहान ने गीता से आदर्श मनुष्य के गुणों को श्लोक के माध्यम से उद्धृत करते हुए कहा कि आपातकाल की संघर्ष-गाथा और अन्य ग्रंथों के माध्यम से मामाजी ने अलग पहचान बनाई। उन्होंने अनेक प्रतिभाओं को निखारा। वे सहज, सरल, समर्पित और स्वाभिमानी थे। वे एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। मुख्यमंत्री ने डाक विभाग और जनसंपर्क विभाग द्वारा मामाजी के जन्म शताब्दी वर्ष पर इस आयोजन को सराहनीय बताया।

कार्यक्रम में त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि मामाजी ने पूरा जीवन समाज के लिए जिया। वे प्रेरणा के केंद्र थे। उन्होंने संगठन को महत्वपूर्ण सेवाएं दीं। आपातकाल में कारावास गये। प्रो. सोलंकी ने कहा कि उनके जीवन की दिशा तय करने में भी मामाजी का योगदान था। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की कल्पना के लिए उन्होंने समर्पित भाव से कार्य किया। उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें डॉ. हेडगेवार प्रज्ञा पुरस्कार भी दिया गया था।

भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री श्रीधर पराड़कर ने कहा कि मामाजी ने विशिष्ट कृतियों से अपने असाधारण कृतित्व का परिचय दिया। उन्होंने स्वतंत्रता और देश-विभाजन से विस्थापित हुए समुदायों के करीब सात हजार व्यक्तियों के साक्षात्कार लेकर अद्भुत ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा मध्य भारत की संघ गाथा को भी लिपिबद्ध किया। मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल श्री जितेन्द्र गुप्ता ने कहा कि मामाजी स्व. श्री माणिकचंद्र वाजपेयी द्वारा पत्रकारिता को उच्च आयामों तक पहुंचाने के लिए उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया है।

शिल्पियों को रोज़गार दिलाने के लिये संकल्पित है सरकार - मुख्यमंत्री

जरी-जरदोजी की लुप्त होती कला फिर होगी जीवित

भोपाल, जरी-जरदोजी की लुप्त होती कला को जीवित रखने के साथ ही इस काम में लगे शिल्पियों को रोज़गार दिलाने के लिए सरकार कृत-संकल्पित है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित गौहर महल में 'राग भोपाली 2020' का उद्घाटन करते हुये कहीं।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे महिलाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पिछली कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में भोपाल के परम्परागत जरी-जरदोजी के कार्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और बाजार उपलब्ध कराने के कलेक्टर को निर्देश दिए थे। 'राग-भोपाली 2020' उसी की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के अच्छे परिणाम होंगे और हमारी बहनों को रोज़गार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि 'एक जिला-एक शिल्प' को प्रोत्साहित करने की यह शुरुआत है।

जरी-जरदोजी करते शिल्पकारों से हुए रू-ब-रू

श्री चौहान गौहर महल पहुंचते ही सबसे पहले जरी-जरदोजी का काम कर रही बहनों से मिले और उन्होंने इस बारीक कार्य को होते हुए देखा। उन्होंने शिल्पियों से जरदोजी कार्य की बारीकियां भी समझीं और कहा कि यह शुरुआत है, आगे आपको अपने कार्यों को पहचान देने के साथ ही बाजार उपलब्ध कराने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री को शिल्पियों ने अपने शिल्प भी भेंट किए।

जरी-जरदोजी और जूट शिल्प सेक्टर में हौसला अफजाई

श्री चौहान राग-भोपाली के जरी-जरदोजी और जूट शिल्प दोनों सेक्टर में गए और शिल्पियों से उनके उत्पादों की विशेषताएं भी जानीं। उन्होंने कहा कि इस परम्परागत कला को जीवित रखने के हरसंभव उपाय किए जाएंगे।

शिल्पियों को प्रमाण-पत्र वितरित

मुख्यमंत्री ने संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल द्वारा जरी-जरदोजी प्रशिक्षण अंतर्गत शिल्पियों को प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। निगम द्वारा उन्नत औजार उपकरण वितरण योजना के तहत सुश्री अंकिता जाटव, राजनंदनी चौधरी, नन्नी बाई अहिरवार सहित 40 लोगों को उपकरण वितरित किए। उन्होंने सुश्री उषा अहिरवार, मोहिनी किशवाद, सरीता अहिरवार सहित अन्य 20 शिल्पियों को शिल्पी पहचान-पत्र दिये गये।

1938 की जरदोजी देख अभिभूत हुए मुख्यमंत्री

प्रदर्शनी में भोपाल की कई जरी - जरदोजी शिल्प का प्रदर्शन किया गया है। ऐसे ही एक शिल्पी श्री मुमताज द्वारा असली चांदी और सोने की जरी से 1938 में दुपट्टे पर की गई जरदोजी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री श्री सिंह इस कला को देखकर अभिभूत हुए। उन्होंने कहा कि वे इस कला को आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने 'आत्मनिर्भर-राग भोपाली 2020' की जरी-जरदोजी और जूट से बनी प्रतिकृति भी भेंट की।

मुख्यमंत्री ने लिखा-रोज़गार मिलता रहे इसके लिए हर संभव उपाय करेंगे

मुख्यमंत्री ने गौहर महल से प्रस्थान करने से पूर्व विजिटर्स बुक में लिखा कि 'राग भोपाली के कारीगरों और हमारी बहनों द्वारा जरी का काम जो वर्षों से भोपाल में चला आ रहा है, उसे बाजार से जोड़ने का प्रयास किया है। यह कला आगे बढ़ती रहे और बहनों तथा कारीगरों को रोज़गार मिलता रहे, इसके लिए हरसंभव उपाय करेंगे।'

पीथमपुर में 498 करोड़ रुपये के निवेश का मिला प्रस्ताव

भोपाल, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से निवेशकों ने मुलाकात कर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में 498 करोड़ रुपये की लागत से नवीन इकाई की स्थापना का प्रस्ताव दिया। निवेशकों ने चर्चा के दौरान आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश रोडमैप-2023 तथा मध्यप्रदेश में उद्योग मित्र वातावरण की प्रशंसा की।

कम्पनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि मध्यप्रदेश में उद्योग मित्र वातावरण को देखते हुए सिप्ला कम्पनी स्मार्ट इन्डस्ट्रियल पार्क पीथमपुर में दूसरी यूनिट स्थापित करना चाहती है। यह यूनिट रेस्पेरेटरी एपरेटर्स का निर्माण करेगी। इससे क्षेत्र के 800 लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा कम्पनी के कार्यक्षेत्र की सहयोगी गतिविधियों से बड़ी संख्या में लोगों को अप्रत्यक्ष रोज़गार भी मिलेगा। प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि सिप्ला की एक यूनिट पहले से ही एसईजेड इंदौर में कार्यरत है।

सिप्ला कम्पनी के स्टेट हेड श्री आशीष जित्सी ने बताया कि सिप्ला एक मल्टी नेशनल कम्पनी है इसके उत्पाद 80 से अधिक देशों में मिलते हैं तथा फार्मास्युटिकल क्षेत्र में जानी पहचानी कम्पनी है। वर्तमान में कम्पनी भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका तथा अन्य देशों में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि कम्पनी द्वारा गत वर्ष लगभग 1230 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था। श्री दत्तीगांव से सिप्ला के स्टेट हेड श्री आशीष जित्सी तथा सिप्ला के कॉरपोरेट मामलों के प्रबंधक श्री संदीप जोशी ने मुलाकात की।

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर होगा रीयूजेबल कपड़े के नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण

भोपाल, कोविड-19 के दौरान किए गए अध्ययन के अनुसार लॉकडाउन में सेनेटरी नैपकिन की अनुपलब्धता होने से महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ा। शहरों में सेनेटरी नैपकिन का प्रयोग ज्यादा होता है। ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में सेनेटरी नैपकिन के उपयोग का प्रतिशत आर्थिक समस्या और जानकारी के अभाव में काफी कम आंका गया है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए महिलाओं और किशोरियों को स्थानीय स्तर पर रीयूजेबल कपड़े के नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

संचालक महिला बाल विकास श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने जानकारी दी कि 30 दिसंबर से 15 जनवरी 2021 तक प्रदेश के सभी 52 जिलों में कुल 17005 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कपड़े के सुविधाजनक रीयूजेबल सैनेटरी नैपकिन बनाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण वॉटर-एड संस्था के तकनीकी सहयोग से ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। श्रीमती नायक ने बताया कि प्रशिक्षण में बनाए गए सेनेटरी नैपकिन्स को महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को उपयोग के लिए दिया जायेगा एवं उनसे फीडबैक लिया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान बालिकाओं और महिलाओं को माहवारी स्वच्छता पर भी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 का अनुमोदन

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 अध्यादेशों का अनुमोदन कर राज्यपाल की स्वीकृति के लिये भेजने की मंजूरी दी। मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा अध्यादेश जारी करने के लिए आनुषांगिक विधिक कार्यवाही हेतु गृह विभाग को अधिकृत किया। बैठक में लिए गए अन्य निर्णय इस प्रकार हैं।

- मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने का विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु लोक सेवा प्रबंधन विभाग को अधिकृत किया गया।
- मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने के लिये पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अधिकृत किया गया।
- मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश वैट (द्वितीय संशोधन) 2020 विधेयक को मध्यप्रदेश वैट (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही के लिये वाणिज्यिक कर विभाग को अधिकृत किया गया।
- मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग को अधिकृत किया गया।
- मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु सहकारिता विभाग को अधिकृत किया गया।
- मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने का विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने हेतु विधि और विधायी कार्य विभाग को अधिकृत किया गया।
- मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को डॉ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 तथा पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने के लिये उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अनेक विशेष लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। इन लक्ष्यों में सिंगल सिटिजन डेटाबेस और सिंगल सर्विस डिलेवरी पोर्टल का निर्माण, सेवा प्रदाय के लिये दस्तावेजों के डिजिटल सत्यापन की व्यवस्था, कानूनों-नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण, सभी रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन, शासन की नीतियों और निर्णयों में अधिक से अधिक जनभागीदारी, ड्रोन-आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कम्प्यूटिंग आदि आधुनिक तकनीकों का सरकारी काम-काज में अधिक से अधिक उपयोग, मानव संसाधन का प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन, सिटीजन केयर के दायरे का विस्तार और एम. गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिये चैट बोट्स का विकास शामिल है।

राज्य सरकार ने सुशासन स्थापित करने के लिये महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। सी.एम. हेल्पलाइन 181 ने प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख नागरिकों की समस्याओं एवं शिकायतों का निराकरण किया। विगत 9 माह में 100 से अधिक नवीन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाया गया है। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिये 24 घंटे जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की गईं। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के रोडमैप में सुशासन को सबसे प्रमुख चार स्तंभों में शामिल किया गया है

प्रदेश की देश विदेश में फैली बहुमूल्य परिसंपत्तियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नए लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। लोक सेवा गारंटी क़ानून में संशोधन कर मान्य-अनुमोदन (डीम्ड अप्रूवल) का प्रावधान किया गया। 'आधार पंजीयन एवं सुधार' तथा 'आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड सेवा' जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रारंभ की गयीं। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था के तहत 'सिटीजन इंटरफ़ेस' पर 14 नवीन सेवाओं को जोड़ा गया है।

नागरिक सुविधा के लिए सी.एम. हेल्पलाइन एवं लोक सेवा के लिए व्हाट्सएप चैट-बोट सुविधा पर काम किया जा रहा है पारदर्शी मॉनीटरिंग व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से सी.एम. डैशबोर्ड पोर्टल विकसित किया गया। एम.पी. इनोवेशन पोर्टल विकसित कर लोगों से सुझाव प्राप्त किये गए। जन हितैषी योजनाओं के लिए आयोजित कार्यक्रमों का सोशल मीडिया मायगोवएमपी एवं एसएमएस के माध्यम से करोड़ों नागरिकों तक प्रचार-प्रसार किया गया। प्रदेश में नागरिकों का सिंगल सिटीजन डाटाबेस तैयार करने और सेवा प्रदाय के सिंगल पोर्टल के निर्माण का निर्णय लिया गया है। पिछले 9 माह में कोरोना से बचाव और हर स्तर पर प्रभावी संवाद के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है।

राष्ट्र के लिये समर्पित होने की प्रेरणा देता है शहीद भीमा नायक का बलिदान

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान अमर शहीद भीमा नायक के बलिदान दिवस पर पुष्प अर्पित करते हुये।

बड़वानी, अमर शहीद भीमा नायक का बलिदान दिवस मध्यप्रदेश और निवाड़ के लिए गर्व का दिन है। इस दिन भारत माता के चरणों में परतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए अमर शहीद भीमा नायक ने अपने प्राणों की आहूति दे दी थी। उनका बलिदान हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाने की प्रेरणा देता रहेगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी जिले के भीमा नायक प्रेरणा केन्द्र ग्राम धावा बावड़ी में अमर शहीद भीमा नायक के बलिदान दिवस पर आयोजित पुण्यतिथि समारोह को अपने वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए अनेकों योद्धाओं और वीरों ने अपने प्राणों की आहूति दे दी। यह स्वतंत्रता हमको चांदी की तश्तरी में रखकर नहीं मिली। हजारों लोगों ने अपनी जवानी और जिंदगियां भारत माता के लिए न्यौछावर कर दीं। ऐसे ही वीर सपूत अमर शहीद भीमा नायक ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया था। भीमा नायक से अंग्रेज कांपते थे। उनका कार्य क्षेत्र बड़वानी से लेकर महाराष्ट्र के खानदेश तक था। उनकी फौज में 10 हजार सेनानी शामिल थे। उन्होंने अंग्रेजी बंदूकों का मुकाबला तीर कमान से किया था। वे अंग्रेजों के खजाने को लूटकर गरीब जनता में बांट देते थे। इसलिए वे निमाड़ के रॉबिन हुड कहे जाते थे। ऐसे वीर योद्धा एक जनजाति समुदाय में जन्मे। उनमें गजब का देश प्रेम था। उन्हें अनेक प्रलोभन दिए गए। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। उन्हें गद्दारों के कारण धोखे से पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद भीमा नायक को काला पानी की सजा हुई। उन्हें अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेअर में रखा गया। यातना दी गई। 29 दिसम्बर 1876 को पोर्ट ब्लेअर में वे शहीद हुए। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। मुझे कहते हुए संतोष है कि उनकी स्मृति में धावा बावड़ी में स्मारक बनाया गया है। उनकी शहादत दिवस पर मेला लगाने की परंपरा शुरू की गई है। उनके बलिदान का कर्ज देश पर है। उनके प्रति श्रद्धा रखकर, प्रेरणा लेकर देश और समाज के लिए कार्य किया जाए। यही हमारे श्रद्धा सुमन हैं।

श्री चौहान ने कहा कि पुराने लोग बताते हैं कि शहीद भीमा नायक जी का अंजड़ से करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम पलासिया सजवाह में छोटी-छोटी पहाड़ियों के बीच निवास था। वहां गोल बयड़ी में गुफा बनाकर रहते थे तथा अंग्रेजों से लोहा लेते थे। लोग कहते हैं कि गोल बयड़ी में अंदर एक सुरंग भी है, जो पास के एक खेत की बावड़ी में निकलती है। गोल बयड़ी तक जाने वाले रास्ते को पत्थरों से बन्द कर दिया गया है। पुरातत्व विभाग के माध्यम से प्रयास किया जायेगा कि गोल बयड़ी और धावा बावड़ी में शहीद भीमा नायक की अनमोल धरोहरों को संरक्षित किया जायेगा और उनसे संबंधित जानकारी जनता के सामने लायी जायेगी। गोल बयड़ी का पुरातत्व विभाग ठीक ढंग से संरक्षण एवं संवर्धन करेगा और एक प्रेरणा स्थल के रूप में अमर शहीद भीमा नायक के स्मारक को और विकसित करने का प्रयास किया जायेगा। धावा बावड़ी में हर वर्ष शहादत दिवस पर विशाल मेला आयोजित किया जायेगा।

स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग की संयुक्त कमेटी का गठन

भोपाल, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश वर्ष 2023 की कार्य योजना एवं नीति बनाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है।

गठित समिति आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यों का स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों के साथ विलय संबंधी प्रस्ताव पर अपनी अनुशंसाए दिसम्बर 2021 तक सौंपेगी। यह समिति आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत की अध्यक्षता में गठित की गई है। समिति के अन्य सदस्यों में आयुक्त, आदिम जाति विकास श्री संजीव सिंह, उपसचिव लोक शिक्षण श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव आदिम जाति कल्याण विभाग श्री दिनेश श्रीवास्तव, अपर संचालक लोक शिक्षण सुश्री कामना आचार्य, अपर संचालक, आदिवासी विकास श्री विक्रमादित्य सिंह, संचालक लोक शिक्षण श्री डी.के. कुशवाह, अपर संचालक लोक शिक्षण श्री के.के. द्विवेदी, उपायुक्त आदिवासी विकास श्रीमती सीमा सोनी शामिल हैं।

किसान भी जवान के बराबर सम्मान के हकदार - कृषि मंत्री

भोपाल, अन्नदाता किसान यदि उत्पादन नहीं करेंगे तो हम जियेंगे कैसे? सीमा पर तैनात जवानों की तरह ही हमारे देश के किसान रात-दिन खून-पसीना बहाकर अन्न का उत्पादन करते हैं। हमारे किसान भी जवानों की तरह ही सम्मान के हकदार हैं। यह बात किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने नाबार्ड द्वारा भोपाल स्थित वाल्मी में किसान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुये कही। समारोह में प्रदेश के किसान, महिला समूह एवं गैर सरकारी संगठन (NGO) को 09 विभिन्न श्रेणियों में 28 पुरस्कार प्रदान किये गये हैं।

श्री पटेल ने किसानों को प्रणाम करते हुए कहा कि किसान अन्नदाता भी हैं और जीवनदाता भी हैं। हमारे लिये हर दिन किसान दिवस है, क्योंकि किसान अन्न उत्पादन के लिये दिन-रात मेहनत करता है। गांधी जी ने कहा था भारत गांव में ही बसता है। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिये पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिये प्रधानमंत्री सड़क योजना और किसानों के लिये फसल बीमा योजना के साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित कीं। वर्तमान में उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण विकास के लिये प्रदेश और

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल किसान दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में प्रमाण-पत्र वितरित करते हुये।

केन्द्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है। गांवों को भी शहरों की तरह विकास की रफ्तार प्रदान करने और दोनों के बीच विकास की दूरी को पाटने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किसानों और संस्थाओं को कृषि संबंधी नवीन कानूनों की जानकारी दी। श्री पटेल ने कहा कि एक देश एक बाजार का लाभ किसानों को मिलेगा।

श्री पटेल ने कहा कि नये कानूनों के आने के बाद किसान सिर्फ खेती ही नहीं करेंगे। वे उद्यमी बनेंगे, व्यवसाय करेंगे और उद्योगपति भी बनेंगे। किसान अपने खेतों में सिर्फ टमाटर ही नहीं उगाएंगे, वे फैक्ट्री लगाकर टोमेटो सॉस भी बनाएंगे। वे आलू ही नहीं उगाएंगे, बल्कि आलू चिप्स बनाने के लिये उद्यम भी स्थापित करेंगे। इसी प्रकार अन्य कृषिगत व्यवसायों को नये कानून बढ़ावा देकर कृषकों को समृद्ध बनाने का कार्य करेंगे। श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में क्षेत्रवार उत्पादित होने वाली फसलों का चिन्हांकन किया जाकर बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को जागरूक किया जाएगा। उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। जिससे कि ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सके और उन क्षेत्रों में कृषिगत व्यवसायों को बढ़ावा दिया जा सके। श्री पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और बैंकों में कार्य करने वाले लोग अपने कार्यालयों से बाहर निकलकर गांव-गांव जाकर किसानों को जागरूक करने के लिये चौपालों का आयोजन करेंगे।

वनों पर आश्रित समुदायों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं रोज़गार के साधन

भोपाल, मध्यप्रदेश के 14 जिलों के 18 वन मण्डलों के 7 लाख 35 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में फैले ऐसे 722 माइक्रोवाटर शेड की पहचान कर ली गई है, जो जलवायु परिवर्तन के खतरों से घिरे हैं। राष्ट्रीय जल परिवर्तन कार्य-योजना के अंग के रूप में ग्रीन इंडिया मिशन योजना में अभी तक प्रदेश के 20 हजार 192 हेक्टेयर वनों का उपचार किया जा चुका है। इसके साथ ही इन वनों पर आश्रित स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हितग्राहियों को चिन्हांकित कर उन्हें वैकल्पिक रोज़गार के साधन उपलब्ध किए जा रहे हैं।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री लालसिंह रावत ने बताया कि ग्रीन इंडिया मिशन योजना में ऐसे क्षेत्रों का लैंडस्केप आधारित उपचार किया जा रहा है जिनसे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों से प्रतिकूल प्रभावित होना संभावित है, वहां ऐसे वन क्षेत्रों का ह्रास होने से इन वनों पर आश्रित स्थानीय समुदायों को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। श्री रावत ने बताया कि वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे क्षेत्रों में फैले माइक्रोवाटर शेड की पहचान कर ली गई है।

4 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को विभिन्न विधाओं में किया गया प्रशिक्षित

वन विभाग द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन योजना में वैकल्पिक रोज़गार के रूप में प्रदेश के 151 ग्राम के 4 हजार 22 हितग्राहियों को पहचान कर उनकी आवश्यकता और उनकी अपेक्षा के मुताबिक सिलाई प्रशिक्षण, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, जेसीवी ऑपरेटर, मछली पालन, कांस हस्तशिल्प, और मास्क निर्माण आदि गतिविधियों में स्थानीय संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से प्रशिक्षित कराया जा चुका है। इससे अभी तक 3461 हितग्राहियों को रोज़गार भी मिल चुका है।

श्री रावत ने बताया कि उत्तर बैतूल वन मण्डल के चापड़ा, पहावाड़ी, पावरझंडा, सेमलपुरा, हीरावाड़ी, जामनगरी, कोठा, मूढ़ा एवं दक्षिण सिवनी मण्डल के चिक्लिटोला रमली और पापरिया ग्राम की 225 महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण दिलाया गया। इस प्रशिक्षण के बाद बेंगलुरु स्थित शाही एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 18 महिलाओं का चयन भी कर लिया गया है। इन्हें 9 हजार रुपये प्रतिमाह प्रारंभिक वेतन भी मिलने लगा है। बेरोज़गार युवाओं की क्षमता विकास विकसित कराने के लिये उत्तर बैतूल वन मंडल के शाहपुर और भौंरा क्षेत्र के 64 युवक और युवतियों को इलेक्ट्रीशियन एवं मोटर वाइंडिंग का प्रशिक्षण दिलाया गया है। इसी तरह इलेक्ट्रीशियन मोटर वाइंडिंग में प्रशिक्षित युवाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना में पंचायतों से बिजली फिटिंग का कार्य मिल गया है।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

वेदांत पटेल

व्हाइट हाउस के सहायक प्रेस सचिव नामित

अमेरिका के नये राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के संचार और प्रेस स्टाफ के सदस्यों की घोषणा कर दी है। उन्होंने भारतवंशी अमेरिकी वेदांत पटेल को सहायक प्रेस सचिव बनाया है। पटेल, बाइडेन के प्रवक्ता हैं और उनके चुनाव अभियान से जुड़े रहे हैं। भारत में जन्में और कैलिफोर्निया में पले-बढ़े पटेल ने कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। वे संचार निदेशक भी रह चुके हैं।

बिग कार्ल

दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन ने सबसे बड़ा लिफ्ट किया पूरा

दुनिया की सबसे लंबी 820 फीट लंबी क्रेन 'बिग कार्ल' ने 575 टन वजनी स्टील के एक सिलेंडर को रखकर सबसे बड़ा लिफ्ट पूरा किया। दरअसल ब्रिटेन के ब्रिजवॉटर के पास न्यूक्लियर प्लांट बनाया जा रहा है। यहां बिग कार्ल ने परमाणु रिएक्टर के लिये 3 स्टील रिंग में से 1 को लिफ्ट किया। बिग कार्ल के पास 5 हजार टन भार उठाने की क्षमता है।

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन

जापानी दूतावास ने दिखाई झलक

मुंबई-अहमदाबाद रूट पर चलने वाली हाईस्पीड बुलेट ट्रेन की पहली झलक भारत में जापानी दूतावास ने दिखाई है। जापानी दूतावास ने बुलेट ट्रेन ई-5 सीरीज शिनकान्सेन की तस्वीरें जारी की हैं। यह ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद हाईस्पीड रेल लाइन पर बुलेट ट्रेन के तौर पर चलाई जायेगी। ज्ञात रहे कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 14 सितम्बर, 2017 को 1.08 लाख करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की नींव रखी थी।

चीन में

6 हजार 300 साल पुराने धान के खेत मिले

दुनिया के सबसे पुराने धान के खेत पूर्वी चीन के युयाओ शहर में मिले हैं। इन खेतों को विशेषज्ञों ने 6 हजार 300 साल पुराना बताया है। इन खेतों में सिंचाई के लिये पारंपरिक नहरों का जाल बिछा है। इन खेतों को झिजियांग इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल रेलिक्स एंड ऑर्कियोलॉजी और निंगवो कल्चरल हैरिटेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खोजा है।

रूस में

प्रदर्शनी के लिये रखा गया तानाशाह हिटलर का पसंदीदा मगरमच्छ

जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर के पसंदीदा 'सैटर्न' को मरने के बाद ऐतिहासिक डार्विन म्यूजियम में प्रदर्शनी के लिये केमिकल लगा कर रखा गया है। 22 मई को 84 साल की उम्र में मॉस्को के चिड़ियाघर में इस मगरमच्छ की मौत हो गई थी। सैटर्न की प्रसिद्धि बच्चों के बीच ज्यादा थी। इस कारण हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक इस मगरमच्छ को देखने पहुंचते थे।

फ्रांस में

ढाई घंटे बर्फ में बैठकर हेल्थ वर्कर ने बनाया रिकॉर्ड

फ्रांस के 34 वर्षीय हेल्थ वर्कर रोमन वैडेंडोर्प ने 2 घंटे 35 मिनट और 43 सेकेंड तक बर्फ से भरे केबिन में बिताकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। गिनीज बुक के मुताबिक पिछला रिकॉर्ड 40 मिनट का ही था, जो पिछले साल फ्रांस में ही बना था। रिपोर्ट के अनुसार कैंसर पीड़ित बच्चों की मदद के लिए हेल्थ वर्कर ने यह चुनौती स्वीकार की थी।

दुबई के सुल्तान की

टिकटॉक पर हुई एंट्री

दुबई के सुल्तान और संयुक्त अरब अमीरात के उप-राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद ने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ज्वॉइन कर लिया है। शेख मोहम्मद दो वीडियो भी शेयर कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि इस एप से जुड़कर वे युवाओं तक अपने संदेश पहुंचा कर उन्हें प्रेरित करना चाहते हैं। उन्होंने टिकटॉक पर अपने डेब्यू पोस्ट में एक मोटीवेशनल कहानी शेयर की है, जिसे खुद उन्होंने अपनी आवाज दी है। उन्होंने अपने दूसरे वीडियो में कोरोना महामारी को लेकर बात की है।

प्रिंस चार्ल्स ने

कोरिनियम संग्रहालय का दौरा किया

ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने दक्षिण-पश्चिम इंग्लैंड के सिरेनसेस्टर स्थित कोरिनियम संग्रहालय का दौरा किया। इस संग्रहालय में 40 हजार साल पहले के कोट्सवोल्ड्स में जीवन पर आधारित कंकालों और ममी को संरक्षित किया गया है। इसमें कांस्य युग और लौह युग के मानव कंकालों और अन्य वस्तुओं का बेहद दुर्लभ संग्रह है। यहां मौजूद कई ममी बहुत ही प्राचीन हैं।

रेयान काजी

सबसे ज्यादा कमाई करने वाला यू-ट्यूबर

नौ साल का खिलौना समीक्षक रेयान काजी लगातार तीसरे साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाला यू-ट्यूबर बना है। रेयान ने इस साल 30 मिलियन डॉलर (220 करोड़ रुपये) की कमाई की। पिछले साल 191 करोड़ रुपये की कमाई कर पहले नंबर पर था। रेयान अपने यू-ट्यूब चैनल 'रेयान्स वर्ल्ड' पर खिलौनों के बारे में जानकारी देने वाले वीडियो साझा करता है। उसके चैनल के 2.7 करोड़ सब्स्क्राइबर हैं।

दिल्ली की

'सुंदर नर्सरी' को मिला यूनेस्को अवॉर्ड

दिल्ली की 'सुंदर नर्सरी' को इस साल यूनेस्को एशिया - प्रशांत पुरस्कार के लिये चुना गया है। नर्सरी को इस पुरस्कार के तहत उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए चुना गया है। निजामुद्दीन में हुमायूं के मकबरे और किले के पास 90 एकड़ में फैली सुंदर नर्सरी में कई गार्डन, तालाब और ऐतिहासिक धरोहर हैं। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिये यह अवॉर्ड निजी व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है।

मनीला में

नाव में बैठकर देख सकते हैं फिल्म

फिलीपींस के मनीला में ऐसा थियेटर बनाया गया है। जहां लोग नाव में तैरते हुये अपनी पसंदीदा फिल्म का आनंद उठा सकते हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुये इससे शारीरिक दूरी को बनाये रखने में भी सहूलियत होगी। दरअसल वेनिस ग्रैंड कनॉल मॉल में बनी कृत्रिम नहर के बीच काफी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जहां से फिल्म देखी जा सकती है।

सिद्धांत गुंबर

वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 1 मिनट के अंदर सबसे अधिक संख्या में विमानों के पिछले हिस्से की पहचान करने वाले 12 वर्षीय भारतीय बालक सिद्धांत गुंबर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अबुधाबी में रहने वाले सिद्धांत ने 60 सेकेंड में 39 विमानों के पिछले हिस्सों की पहचान की। उन्हें 'इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' ने भी मान्यता दी है।

'सेवन गैबल्स'

ऐतिहासिक थिएटर में लगी आग

अमेरिका के ऐतिहासिक सेवन गैबल्स थिएटर में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अचानक आग लग गई है। 2017 में बंद हो चुके 95 वर्ष पुराने थिएटर में धुएं के गुबार और आग की लपटों की सूचना मिलने के बाद रूजवेल्ट वे और एनई 50वीं स्ट्रीट पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। मूलरूप से यह एक हॉल था। 1976 में इसे थियेटर का स्वरूप दे दिया गया था।

विनय रेड्डी और गौतम राघवन

क्रमशः निदेशक और उपनिदेशक नामित

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी विनय रेड्डी को स्पीच राइटिंग का डायरेक्टर बनाया है। वहीं भारतीय-अमेरिकी समुदाय के एक अन्य गौतम राघवन को उपनिदेशक (राष्ट्रपति कार्यालय, कार्मिक) नामित किया है। राघवन पूर्व में व्हाइट हाउस में सेवा दे चुके हैं। दोनों ही बाइडेन के विश्वसनीय सहयोगी की श्रेणी में आते हैं। बाइडेन ने एक बयान में नियुक्ति के बाद कहा कि ये अनुभवी व्यक्ति उन नीतियों को पूरा करने के लिये जुड़ रहे हैं जो हमारे देश को एक ऐसे निर्माण के रास्ते पर ले जा रहे हैं। जिस पर अमेरिका की उन्नति तय है।

लाइमा डॉल्स ने

अफ्रीकी बच्चियों के लिये ब्लैक डॉल लॉन्च की

आइवरी कोस्ट की प्रसिद्ध लाइमा डॉल्स ब्रैंड्स ने ब्लैक डॉल लॉन्च की है। यह शुरुआत खासतौर पर अफ्रीकी बच्चों को ध्यान में रखकर की गई है। कंपनी ने कहा कि वह पहले साल 1.50 लाख डॉल्स का उत्पादन करेगी। हेड डिजाइनर सारा केलिबेली ने कहा कि हम चाहते हैं कि अफ्रीकी बच्चियां इस तथ्य के प्रति सचेत रहें कि वे खूबसूरत हैं और उनकी संस्कृति संपन्न है।

कोलंबिया में

वैज्ञानिकों ने खोजी हिमयुग की पेंटिंग

पुरातत्व वैज्ञानिकों ने कोलंबिया में करीब 12,500 साल पुरानी पेंटिंग खोजी है। यह मौजूदा इतिहास से पुरानी है। इनमें कुछ ऐसे जानवरों का चित्रण है जो लुप्त हो चुके हैं। आदिमानव की बनाई गई तस्वीरों में विशाल स्लॉथ, हिमयुग के घोड़े और लुप्त हो चुके ऊंट भी मौजूद हैं। ब्रिटेन के एक चैनल ने इन पेंटिंग्स पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर जारी की है।

इसरो ने

चंद्रयान-2 के पहले चरण का डाटा किया सार्वजनिक

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चंद्रयान-2 मिशन के पहले चरण का डाटा जारी किया है। यह डाटा मिशन के तहत चंद्रमा की परिक्रमा के लिये भेजे गये ऑर्बिटर द्वारा जुटाया गया है। इससे दुनिया भर के वैज्ञानिक और आम नागरिक चंद्रमा को लेकर अपनी समझ बढ़ा सकेंगे। इस डाटा के जरिये माना जा रहा है कि भारत द्वारा 22 जुलाई, 2019 को भेजे गये चंद्रयान-2 मिशन की पूरी जानकारी भी मिल पायेगी। इसमें किसी ऑर्बिटर द्वारा अब तक ली गई चंद्रमा की सबसे बेहतरीन तस्वीरें, उसके अंधेरे हिस्से की पड़ताल, एक्सरे से तैयार की गई सतह की बनावट आदि शामिल हैं।

आर्या राजेन्द्रन

देश की सबसे युवा महापौर बनीं

महज 21 साल की उम्र में जहां अधिकतर युवा अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं या कॉलेज की शिक्षा पूरी करके नौकरी के सपने देखने लगते हैं, वहीं केरल के तिरुअनंतपुरम् की आर्या राजेन्द्रन महापौर बनी हैं। वह देश की सबसे युवा महापौर हैं।

स्मृति शेष

मलयाली अभिनेता अनिल नेदुमंगडु का निधन

मलयाली अभिनेता अनिल नेदुमंगडु का मालंकारा बांध के पास नहाते समय डूब जाने से निधन हो गया। नेदुमंगडु को अय्यपानुम कोशियम फिल्म में पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाने के लिये जाना जाता है। 48 वर्षीय अनिल ने मलयाली टीवी चैनलों से एंकर के रूप में अपने कॅरियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता के रूप में काम किया।

मलयालम कवियत्री सुगाथा कुमारी का निधन

पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात मलयालम कवियत्री सुगाथा कुमारी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कोरोना संक्रमित थीं। पर्यावरण संरक्षण और साहित्य के क्षेत्र में सराहनीय काम के लिये उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गुगल से साभार)

अपनी क्षमताओं, शक्ति और बुद्धि पर विश्वास करना सीखें – लुईस इलाहे

भारत सरकार

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ कार्यालय,
आयकर भवन 48, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल – 462011

आयकर निरीक्षक, कर सहायक एवं आशुलिपिक ग्रेड II के पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती

आयकर विभाग, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति के लिए अनुलग्नक I में वर्णित विवरण के अनुसार पात्रतामानदंडों को पूरा करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित हैं।

क्र. सं.	पद	पदों की संख्या	श्रेणी	7 वें वेतन आयोग के अनुसार स्तर	7 वें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन
1	आयकर निरीक्षक	1	अन्य पिछड़ा वर्ग	7	44900
2	कर सहायक	6	3 अनारक्षित 3 अन्य पिछड़ा वर्ग	4	25500
3	आशुलिपिक ग्रेड II	1	अनुसूचित जाति	4	25500

2. इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार अनुलग्नक II के अनुसार अपने आवेदन पत्र 02/02/2021 से पूर्व या इस तिथि तक (उत्तरपूर्वी राज्यों, लक्षद्वीप, भूतपूर्व जम्मू कश्मीरर राज्य के निवासी उम्मीदवारों के लिए 17/02/2021) उप आयकर आयुक्ति, (मुख्या./प्रशा.) को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़), आयकर भवन, 48 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011 की डाक में या अनुलग्नक I में दी गई विधि के अनुसार भेज सकते हैं। अनुलग्नक I और II की प्रति ऊपर वर्णित पते पर www.incometaxindia.gov.in या www.incometaxbhopal.in की वैबसाइट पर तथा रोजगार समाचार में उपलब्धं है।

उप आयकर आयुक्त, (मुख्या./प्रशा.),
कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (म.प्र. एवं छ.ग.), भोपाल

विषय :- आयकर निरीक्षक, कर सहायक एवं आशुलिपिक ग्रेड II के पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के संबंध में

आयकर विभाग, मध्यरप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आयकर निरीक्षक, कर सहायक एवं आशुलिपिक ग्रेड II के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुलग्नक I में वर्णित विवरण के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

2. इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार अनुलग्न II के अनुसार अपने आवेदन पत्र 02/02/2020 से पूर्व या इस तिथि तक (उत्तुरपूर्वी राज्यों, लक्षद्वीप, भूतपूर्व जम्मू कश्मीार राज्यो के निवासी उम्मीदवारों के लिए 17/02/2021) उप आयकर आयुक्त, (मुख्या./प्रशा.) को प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़), आयकर भवन, 48 अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल- 462011 की डाक में या अनुलग्न I में दी गई विधि के अनुसार भेज सकते हैं। अनुलग्नक I और II की प्रति ऊपर वर्णित पते पर www.incometaxindia.gov.in या www.incometaxbhopal.in की वैबसाइट पर तथा रोजगार समाचार में उपलब्ध है।

उप आयकर आयुक्त, (मुख्या./प्रशा.),
कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (म.प्र. एवं छ.ग.), भोपाल

अनुलग्नक –I

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्र के कार्यालय में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़, भोपाल निम्नलिखित पदों के लिए सूची में दिए गए विभिन्न खेलों के उत्कृतष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं :-

क्र. सं.	पद	पदों की संख्या	श्रेणी	7 वें वेतन आयोग के अनुसार स्तर	7 वें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन
1	आयकर निरीक्षक	1	अन्य पिछड़ा वर्ग	7	44900
2	कर सहायक	6	3 अनारक्षित 3 अन्य पिछड़ा वर्ग	4	25500
3	आशुलिपिक ग्रेड II	1	अनुसूचित जाति	4	25500

पद अस्थायी हैं लेकिन स्थायी होने की संभावना है। परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष है।

पात्रता शर्तें

1. आयु सीमा :

आयु निरीक्षकों के लिए : **18 से 30 वर्ष**
आयु कर सहायक/ आशुलिपिक कर्मचारी के लिए : **18 से 27 वर्ष**
आयु में छूट : सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों के लिए 5 वर्षे
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष
(उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार)

टिप्पणी 1 : सभी पात्रता मानदंडों के लिए कट ऑफ दिनांक 02/02/2021 है।
टिप्पणी 2 : आयु का लाभ केवल अविदित श्रेणी के लिए उपलब्ध होगा।

2. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता

1. आयकर निरीक्षकों हेतु :-
(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समकक्ष

2. कर सहायकों हेतु :-
(I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समकक्ष
(ii) 8000 कुंजी छाप (Key depressions) प्रति घंटा की डेटा प्रविष्टि गति

3. आशुलिपिक ग्रेड II हेतु
(I) 12वीं पास या समकक्ष
(ii) श्रुतिलेखनः 10 मिनट तक 80 शब्द प्रति मिनट की गति
(iii) प्रतिलेखनः 50 शब्द प्रतिमिनट (अंग्रेजी) या 65 शब्द प्रति मिनट (हिंदी) (केवल कम्प्यूटर पर)

03. खेल पात्रता :

ऐसे खिलाड़ी की नियुक्ति की जा सकती है जो निम्न लिखित मानदंडों के संदर्भ में उत्कृष्ट समझा जाता है:- ऐसे खिलाड़ी, जिसने निम्नलिखित खेलो में प्रतिनिधित्व किया हो

(I) पैरा 6 में वर्णित खेलों में से किसी में अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी राज्य या देश का; या
(ii) पैरा 6 में वर्णित किसी खेल में अंतरविश्वविद्यालय खेल परिषद द्वारा आयोजित अंतरविश्वविद्यालय खेल स्पर्धा में अपने विश्वविद्यालय का; या
(iii) पैरा 6 में वर्णित किसी खेल में अखिल भारतीय स्कूल संघ द्वारा स्कूलों के लिए आयोजित राष्ट्रीय खेलों में राज्य स्कूल टीम का; या
(iv) ऐसा खिलाड़ी जिसे राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के अंतर्गत शारीरिक दक्षता में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया हो।

टिप्पणी : उपर्युक्त पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले खिलाड़ियों की मैरिट ऊपर दिये गए क्रम के अनुसार ही निश्चित की जाएगी। आगे प्राथमिकता वर्तमान खिलाड़ियों को दी जाएगी अर्थात जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में (01-01-2017 से) मान्यता प्राप्त खेल संघों की स्पर्धाओं में प्रतिनिधित्व किया हो।

टिप्पणी : केलेंडर वर्ष (अवरोही क्रम) 2020, 2019, 2018, 2017 एवं 01-01-2017 के बाद के 3 सर्वोत्तम प्रदर्शनों पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जाएगा।

04. खेल स्पर्धाओं में मैरिट के समर्थन में साक्ष्ये

आवेदन की पात्रता पर विचार करते समय उपर्युक्त खेल/खेलकूद आयोजनों में से किसी एक प्रतियोगिता में भाग लेने के समर्थन में साक्ष्य के रूप में केवल वही प्रमाणपत्र मान्य होंगे जो नीचे वर्णित प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किये गए हों। जो उम्मीदवार नीचे दिये गए प्राधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी कम-से-कम एक प्रमाणपत्र की स्वतः सत्यापित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं कर सकता है उसे आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

क्र. सं.	प्रतियोगिता	प्रमाणपत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी
1	अंतरराष्ट्रीय	संबंधित खेल के राष्ट्रीय संघ के सचिव
2	राष्ट्रीय	संबंधित खेल के राष्ट्रीय संघ के सचिव या राज्य संघ के सचिव
3	अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता	संबंधित विश्वविद्यालय के खेलों के डीन या कोई अन्य अधिकारी जो खेलों का प्रभारी हो।
4	स्कूल के लिए राष्ट्रीय खेल/खेलकूद	राज्य के शिक्षा निदेशालय में स्कूलों के लिए खेल या खेलकूद का प्रभारी निदेशक/अपर/संयुक्त या उप निदेशक
5	शारीरिक दक्षता अभियान	भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय में सचिव या राष्ट्रीय दक्षता का प्रभारी कोई अधिकारी

05. उम्मीदवार (अभ्यर्थी) का चयन :

उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 03 में दी गई अर्हता को पूर्ण करने पर, आवेदन की समीक्षा की जायेगी तथा योग्य उम्मीदवार को आगे की चयन प्रक्रिया हेतु चुना जायेगा। चयन हेतु, चुने गये उम्मीदवारों को आवश्यक साक्षात्कार/प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु प्रस्तुत होना होगा पुनः आगे आवश्यक हुआ तो खिलाड़ियों का खेल/कौशल परीक्षण भी किया जायेगा।

उपरोक्त परीक्षण में सफलताभी उसे नियुक्ति का दावा प्रदान नहीं करती जब तक कि विभाग पूर्णतः वांछित जाँच से संतुष्ट नहीं हो जाता कि आवेदक इस पर नियुक्ति हेतु सभी प्रकार से योग्य है।

06. अधिमान्य खेल की सूची जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं :-

क्र. सं.	खेल/खेलकूद
1	खेलकूद (Athletics)
2	बैड़मिन्टन
3	निशानेबाजी (शूटिंग)
4	स्क्वैश
5	तैराकी
6	टेबल टेनिस

टिप्पणी :- यदि उपरोक्त खेल/खेलकूद हेतु कोई भी योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो विभाग के पास यह सर्वाधिकार है कि वह उस खेल/खेलकूद के स्थान पर उपरोक्त सूची में से किसी अन्य खेल/खेलकूद के स्थाान पर किसी अन्य खेल/खेलकूद या डी.ओ.पी.टी. के परिशिष्ट फा.सं. 14034/1/2013-स्था.(डी) भारत सरकार, कार्मिक एवं लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं लोक शिकायत) नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 1 सितम्बर 2020 के अनुसार अधिसूचित खेल पर विचार कर सकते है।

07. आवेदन कैसे करें :-

क. आवेदन के नाम संबोधित किया जाए :
उप आयकर आयुक्त (मुख्या.- कार्मिक/प्रशा.)
और आवेदन निम्न पते पर डाक से भेजा जाए:
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़)
आयकर भवन, 48, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल- 462001 पर डाक से
या हाथो-हाथ दिनांक 02/02/2021 से पूर्व या इस तिथि तक भेजा जाएं (उत्तर-पूर्वी राज्य, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, भूतपूर्व जम्मू कश्मीर के रहवासी उम्मीदवार हेतु 17/02/2021).

कृपया लिफाफे पर /स्पष्ट लिखें-

आयकर निरीक्षक/कर सहायक/आशुलिपिक ग्रेड II पद के लिए स्पोर्ट्स कोटा के अधीन
आवेदन
खेल का नाम ----------"

या

ख. आवेदन तथा समस्त प्रमाणपत्र पूर्णतः भरकर एवं हस्ताक्षर का पी.डी.एफ. फार्म में निम्न पते पर मेल करें **pccit.mpcg.sports.recruit@incometax.gov.in**

टिप्पणी: उम्मीदवार से वांछित है :-

I) कि उपरोक्त ई-मेल पते पर स्पष्ट रूप से भेजे/किसी भी पते की गलती पर कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।
ii) दो पी.डी.एफ. फाइल10 एम.बी (दोनों फाइलों का आकार) की अनुमत्य है एक आवेदन हेतु तथा दूसरी संलग्नक हेतु
iii) एक उम्मीदवार एक ही मेल करें।
iv) आवेदन पर फोटो चस्पा कर हस्ताक्षरित करने के बाद ही उसे स्कैन किया जाए।
v) किसी भी मेल के संबंध में समस्या होने पर उम्मीदवार श्री रत्नाकर झा, आयकर निरीक्षक के मोबाइल नम्बर 9406717073 पर संपर्क कर सकते हैं।

08. चयनित उम्मीदवार की तैनाती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ प्रभार के किसी भी स्थान पर की जा सकती है।

09. आवेदक को निम्न प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी है :-
1. दसवीं/माध्यमिक शिक्षा प्रमाणपत्र या इसके समतुल्य प्रमाणपत्र, आयु के साक्ष्य हेतु
2. शैक्षिक योग्यता के प्रमाणपत्र
3. उपरोक्त क्रम 04 में दर्शाये गये खेलों के प्रमाणपत्र
4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र
5. आधार कार्ड की प्रति (आधार कार्ड न होने पर प्रमाणित आधार फार्म की प्रति)

उम्मीदवार संबंधित पद के लिए वांछित योग्यता की स्थिति में दिनांक 02/02/2021 तक होना चाहिए। पुनः, नवीनतम रंगीन छायाचित्र राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कर उस फोटो को आवेदन के साथ चस्पा करें।

10. आवेदक केवल सुसंगत दस्तावेज ही संलग्न/प्रस्तुत करें। अप्रतिष्ठित संगठनों से प्राप्त दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेगें।

11. वैसे उम्मीदवार जो कि भारत सरकार/राज्य सरकार या किसी उपक्रम में पूर्व से ही सेवारत है वह अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र को ही आवेदन के साथ संलग्न करें।

12. चयनित उम्मीदवार 2 वर्षों की परिवीक्षा भारत सरकार के मौजूदा निर्देशों के अनुसार तय की जायेगी। चयनित उम्मीदवार आयकर विभाग मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ प्रभार का प्रतिनिधित्व खेल प्रतियोगिताओं में करेंगे। चयनित उम्मीदवारों को एक स्वघोषणा देनी आवश्यक होगी कि वह अंतर प्रभारीय स्थानांतरण हेतु न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि तक आवेदन नहीं करेंगे।

13. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ प्रभार के किसी भी स्थान पर कार्य करने के संबंध में दी जाने वाली स्वघोषणा को भी आवेदन के साथ संलग्न किया जाए (सादे कागज पर)।

अग्रिम पृष्ठ से जारी है.

.....आयकर निरीक्षक, कर सहायक एवं आशुलिपिक ग्रेड ॥ के पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती का शेष जारी हैं।

14. आवेदन सभी तरह से पूर्ण एवं हस्ताक्षरित होना चाहिए जिसे कार्यालय में डाक/ हाथों- हाथ/मेल इन माध्यमों से दिनांक 02/02/2020 तक या इससे पूर्व पहुँच जाना चाहिए। उत्तर-पूर्वी राज्य, अंडमान-निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, भूतपूर्व जम्मू कश्मीर राज्य के रहवासियों के आवेदन 17/02/2021 तक पहुँच जाएं। एक उम्मीदवार एक ही आवेदन (आरक्षित श्रेणी सहित) कर सकता है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अनारक्षित श्रेणी हेतु भी विचाराधीन रखा जा सकता है एवं शर्तें तदनुसार लागू होंगी। दो आवेदन के संबंध में जो सबसे बाद में प्राप्त आवेदन होगा (चाहे किसी भी माध्यम से) वही विचाराधीन होगा।

15. अंतिम तारीख के बाद प्राप्त हुए आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा सिवाय जब यह सिद्ध हो जाए कि आवेदक ने उसे अंतिम तिथि के 10 दिनों से पूर्व स्पीड पोस्ट (भारतीय डाक विभाग) से भेजा था एवं सक्षम प्राधिकारी इससे संतुष्ट हो जाते हैं कि विलंब होने में आवेदक के नियंत्रण से बाहर की स्थिति थी। वैसी ही अपूर्ण, अहस्ताक्षरित एवं संलग्नक के बिना आवेदन को खारिज कर दिया जायेगा एवं आवेदक से इस संबंध में किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा। योग्य उम्मीदवारों को उपरोक्त परीक्षण/साक्षात्कार/सत्यापन हेतु बुलाया जायेगा। परीक्षण/साक्षात्कार/सत्यापन का स्थान एवं दिनांक योग्य उम्मीदवारों को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय पर सूचित किया जायेगा।

16. किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी रूप में करवाई गई सिफारिश से उसके आवेदन को रद्द किया जा सकता है और चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर वह अपना अभ्यार्थिता खो सकता है।

17. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के पास नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताये रद्द करने का सर्वाधिकार है।

18. किसी भी प्रक्रिया में किसी भी बराबरी की स्थिति में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम होगा।

हस्ता/-
उप आयकर आयुक्त, (मुख्या./प्रशा.), भोपाल
कृते प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, (म.प्र. एवं छ.ग.) भोपाल

अनुलग्नक ॥

आयकर निरीक्षक/कर सहायक/ आशुलिपिक ग्रेड ॥ के पद हेतु आवेदन

पद जिसके लिए आवेदन किया गया		
	आयकर निरीक्षक	
	कर सहायक	
	आशुलिपिक ग्रेड ॥	

उम्मीपदवार का नवीनतम रंगीन छायाचित्र

हस्ता.

टिप्पणी :- कृपया उपरोक्त कॉलम में दिये गये बॉक्स में अपनी अधिमान्यता 1,2,3 देकर दर्शाए। यदि किसी पद हेतु आवेदन नहीं कर रहे हैं तो उसके सम्मुख (x) अंकित करें। रिक्त बॉक्स (x) को दर्शायेगा। अगर सभी बॉक्स रिक्तछोड़ दिये जाते हैं, तो आपकी पसंद पर विचार उपरोक्त क्रमानुसार किया जायेगा। बॉक्स के बाहर चिन्हित को सही नहीं माना जायेगा ।

(कृपया प्रपत्र को काले पेन से केपीटल लेटर में भरें)

क) पूरा नाम	
ख) पिता का नाम	
ग) लिंग (पुरूष/स्त्री/विपरीतालिंगी)	
घ) स्थायी पता पिनकोड के साथ	
ङ) संपर्क का पता पिनकोड के साथ	
च) जन्मतिथि	
छ) 02/02/2021 तक उम्र एवं महीना भी	
ज) क्या सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अ.जा./अ.ज.जा. से है।	
झ) शैक्षिक योग्यता (उच्चतम को दर्शाया जाए) परंतु सभी प्रमाणपत्र संलग्न किये जाए।	
ञ) खेल जिस हेतु आवेदन किया गया है।	
ट) सर्वोत्तम प्रदर्शन का विवरण (कृपया साक्ष्ये संलग्न करें)	
ठ) अन्तरराष्ट्रीय (कृपया खेल प्रतियोगिता का नाम वर्ष/ माह का उल्लेख करें एवं कौनसी स्थिति प्राप्त हुयी)	
ड) राष्ट्रीय (कृपया खेल प्रतियोगिता का नाम वर्ष/माह का उल्लेख करें एवं कौनसी स्थिति प्राप्त हुयी)	
ढ) हालिया प्रदर्शन का विवरण (साक्ष्य संलग्न करें)	
ण) दूरभाष क्रमांक/मोबाइल नम्बर (व्हाट्सअप नम्बर), वैकल्पिक मोबाइल नम्बर	
त) ई-मेल आई.डी. वैकल्पिक ई-मेल आई.डी के साथ	

स्वघोषणा

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास से पूर्णतः सही है। मैं यह समझता/समझती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत अपूर्ण एवं अयोग्य पाए जाने पर मेरी उम्मीदवारी परीक्षण/साक्षात्कर से पूर्व या उस समय या नियुक्ति के समय रद्द/समाप्त कर दी जायेगी। मैंने इस पद के लिए अन्य कोई आवेदन नहीं किया है मैं यह जानता/जानती हूँ कि यह नियम का उल्लंघन है और मेरे आवेदन को खारिज किया जा सकता है।

मैं पुनः यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निर्धारित पद के लिए योग्यता जैसे कि आयु सीमा, शैक्षिणिक योग्यता एवं खेल योग्यता पूर्ण करता/करती हूँ।

स्थान : उम्मीदवार का नाम

दिनांक : पूर्ण नाम

R-44938/2021

जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल
मासिक तथा प्रति किलोमीटर के आधार पर किराये की टैक्सियाँ लेने के लिये निविदा

संभागीय एवं जिला जनसंपर्क कार्यालय - इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, जबलपुर एवं होशंगाबाद तथा **जिला जनसंपर्क कार्यालय** - अनूपपुर, देवास, विदिशा, नरसिंहपुर, खण्डवा, मंदसौर, हरदा, शिवपुरी, कटनी, मुरैना, सिवनी, राजगढ़, सीहोर, बैतुल, शाजापुर, खरगोन, दतिया, अशोकनगर, बालाघाट, उमरिया, सतना, अलीराजपुर, झाबुआ, बुरहानपुर, डिण्डोरी, टीकमगढ़, शहडोल, नीमच, बड़वानी, रतलाम, आगर-मालवा, छिन्दवाड़ा, मण्डला, श्योपुर, म.प्र.सु. केन्द्र मुंबई में मासिक एवं प्रति किलोमीटर की दर पर किराये की टैक्सियों की आवश्यकता है।

निविदा केवल उन वाहनों के लिये ही होगी जिनका ट्रेवल एजेंसी के नाम पर टैक्सी कोटे के रूप में पंजीकृत हो। टैक्सी का पंजीयन वर्ष 2018 या उसके बाद का होना चाहिए। ट्रेवल एजेंसी के पास निजी स्वामित्व के कम से कम दो नग वाहन होना आवश्यक है। ट्रेवल्स एजेन्सी में अधिग्रहित टैक्सी वाहन मान्य नहीं होंगे।

प्रत्येक निविदा-दाता को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र पृथक-पृथक बंद लिफाफों में देने होंगे। निविदा प्रपत्र के एक भाग में निविदा का तकनीकी पक्ष सम्मिलित होगा, जिसमें नियम एवं शर्तों को पूरा करने की जानकारी, आवश्यक प्रमाण तथा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे। प्रपत्र का दूसरा भाग प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय दरों से संबंधित होगा।

तकनीकी निविदा में सभी शर्तों को पूरा करने वाली पात्र ट्रेवल एजेन्सी की ही वित्तीय निविदा - प्रपत्र समिति द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर खोली जायेगी। जिस निविदा-दाता के तकनीकी पक्ष में कमियां अथवा विसंगतियां होंगी, उनके निविदा प्रपत्र के वित्तीय भाग को प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

मासिक किराये एवं प्रति किलोमीटर के आधार पर जो वाहन किराये पर लगाये जायेंगे, उनके लिए वाहन चालक का वेतन, डीजल/पेट्रोल, मरम्मत आदि के समस्त खर्चों सहित ही निविदा में दरें उल्लेखित की जायें।

न्यूनतम दर के आधार पर चयनित ट्रेवल एजेंसियों का पैनल बनाया जाएगा। निविदा शर्तों के अनुसार टैक्सी से संबंधित सभी कागजातों की स्व-प्रमाणित छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

संभागीय और जिला कार्यालयों के लिए मासिक एवं प्रति किलोमीटर के आधार पर अलग-अलग निविदा दरें प्रस्तुत की जायें।

संभागीय और जिला जनसंपर्क कार्यालयों से निविदा के प्रपत्र और शर्तें, निविदा जारी होने की दिनांक से कार्यालयीन दिवसों में **दिनांक 12.01.2021** शाम 5 बजे तक 1000 रुपये नगद जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं।

ट्रेवल एजेंसी द्वारा जिस कार्यालय से निविदा प्रपत्र प्राप्त किये जायेंगे उसी कार्यालय में निविदाएं 13.01.2021 दोपहर 12 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदा 13.01.2021 को शाम 4 बजे संबंधित कार्यालय में समिति के समक्ष खोली जाएगी। निविदा के साथ आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के नाम से 25 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी संलग्न करना अनिवार्य है। निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूरा अधिकार आयुक्त जनसंपर्क को होगा।

मासिक एवं प्रति किलोमीटर के लिये आवश्यकतानुसार किराये से टैक्सी लगाने हेतु अनुबंध दो साल तक के लिए ही होगा। वित्तीय अथवा प्रशासकीय कारणों से अनुबंध को कभी भी स्थगित या समाप्त किया जा सकता है। किसी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र संबंधित जिले में होगा।

जी-17273/44948/2021 **आयुक्त जनसंपर्क**

BM Group of Colleges
Recognized and approved by AICTE/ BCI/NCTE (New Delhi) & DTE /DHE (Bhopal)
Affiliated To Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore & RGPV, Bhopal
REQUIREMENTS
(Under College Code 28)
Principal / Professor / Associate Professor / Assistant Professor / Librarian / Sports Officer
REQUIRED FOR COURSES
MBA, MSW, BBA, B.Com., B.Sc., B.Ed., B.A. LL.B.,
Eligibility as per UGC / BCI / AICTE / NCTE and State Govt. norms
BM College of Technology (MBA Deptt.) | BM College of Management & Research | BM Institute of Professional Studies
Apply within 5 days at: info@bmcollege.net.in
Campus : Near Chokhi Dhani, Khandwa Road, Indore
R-44936/2021

VST Academy
VST की परम्परा, सफलता आपकी
3 वर्षीय फाउंडेशन कोर्स
IAS / IPS/ MPPSC
नवीन बैचेस प्रारंभ
डेमो क्लासेस उपलब्ध
MP - PSC - 2019 Mains
MP- PSC - 2020/2021 Pre+Mains
MPSI / Constable / SSC / Bank
Mehta
1. प्रेम प्लाजा, सुन्दरम कॉम्पलेक्स के सामने, भंवरकुआँ , इन्दौर 2. रामबाग प्रेट्रोल पंप के पीछे, इन्दौर
9826214336, 7909918077, 9425346237
R-44947/2021

नगरीय निकायों के अधिकारी एवं कर्मचारी ड्रेस कोड का पालन करें

भोपाल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि नगरीय निकायों के सभी कर्मचारी एवं अधिकारी ड्रेस कोड के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। इस आदेश के तहत नगरीय निकायों में कार्यरत पुरुष अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये नेवी ब्लू पेंट एवं स्काई ब्लू शर्ट और महिलाओं के लिये स्काई ब्लू साड़ी, ब्लाउज/स्काई ब्लू कुर्ता, दुपट्टा एवं नेवी ब्लू सलवार निर्धारित की गई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी आयुक्त नगर पालिक निगम, परियोजना अधिकारी, संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, जिला शहरी विकास अभिकरण और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

अहंकार सफलता और संतुष्टि दोनों का दुश्मन है,
इस पर कड़ी नजर बनाये रखना जरूरी है – रेयॉन हॉलीडे

पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग (पुलिस), मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा - 2020 के संबंध में सूचना

आवेदन भरने की तिथि :	ऑनलाइन परीक्षा पद्धति	आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि :
31 दिसंबर 2020 से 14 जनवरी 2021 तक	समय सारणी	31 दिसंबर 2020 से 19 जनवरी 2021

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
06 मार्च 2021 से प्रारंभ	प्रथम	प्रातः 07:00 से 08:00 बजे तक	08:50 से 09:00 बजे तक (10 मिनिट)	प्रातः 09:00 से 11:00 तक (2:00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00 से 02:00 बजे तक	2:50 से 3:00 बजे तक (10 मिनिट)	दोपहर 03:00 से 05:00 तक (2:00 घंटे)

परीक्षा शहर : भोपाल/जबलपुर/सागर/उज्जैन/इंदौर/ग्वालियर/सीधी/रतलाम/मंदसौर/खंडवा/सतना/नीमच/छिंदवाड़ा/दमोह/बालाघाट/गुना

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश :

1. वेबसाइट **www.peb.mponline.gov.in** के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है।

पी.ई.बी. परीक्षा शुल्क (अ)			विभागीय शुल्क (ब)	कुल (अ + ब)
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए	दो प्रश्न पत्र के लिये	रुपये 700/-	रुपये 100/-	रुपये 800/-
	एक प्रश्न पत्र के लिये	रुपये 500/-	रुपये 100/-	रुपये 600/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए (केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए)	दो प्रश्न पत्र के लिये	रुपये 350/-	रुपये 50/-	रुपये 400/-
	एक प्रश्न पत्र के लिये	रुपये 250/-	रुपये 50/-	रुपये 300/-

ऑनलाइन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क रुपये 60/- देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटिजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क रुपये 20/- देय होगा।

विशेष निर्देश :

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
2. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई चयनित कर सकता है। यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (verify) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वांछित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार की/आधार कार्ड-आधार/आधार नंबर/छायाप्रति की जानकारी लाना अनिवार्य है।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
5. परीक्षार्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी इसके पश्चात विलम्ब से आने पर अभ्यर्थी को प्रवेश पात्रता नहीं होगी।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, केलकुलेटर, लॉग टेबल्स एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग वर्जित है।
7. ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
10. आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पी.ई.बी. द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान सम्बंधित विभाग द्वारा किया जाता है अतः कंप्यूटर आधारित Online परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibilty) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी।
11. उपरोक्त सभी पदों के लिये अभ्यर्थी का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
12. विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति (बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भरिया) के अभ्यर्थी को परीक्षा से छूट का प्रावधान नहीं होगा वे अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करें (ऐसी स्थिति में नियम पुस्तिका की बैगा, सहारिया एवं भरिया से सम्बंधित सभी कण्डिकायें विलोपित मान्य होंगी।
13. कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

विशेष नोट : बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा तिथि/शहरों/केन्द्रों एवं अन्य बिन्दुओं में परिवर्तन कर सकता है।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

'चयन भवन' मेन रोड नं.-1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल-462011, फोन-0755-2578801, 02, 03, 04, फैक्स : +91-755-2550498

परीक्षा संबंधी जानकारी हेतु संपर्क करें - टोल फ्री नम्बर 18002337899 (कार्यालयीन समय में)

म.प्र. माध्यम/99367/44939/2020 **जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।** संचालक

केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म.प्र.) - 466445

Phone : 07564-234729, E-mail : fmti-mp@nic.in, Website : http://fmttibudni.gov.in

No. 25-1/2016–AC. **Dated : 28.12.2020**

VACANCY CIRCULAR

(Advertisement No. CFMTTI/03/2020)

Applications are invited from eligible candidates belonging to Officers of Central or State Government or Union Territory Administrations for filling up following posts by deputation.

Sl.	Name of Post	No. of Vacancy	Group of Pay & Pay Level
1.	**Office Superintendent** (on deputation)	02 (Two)	Group 'B' (NG), Ministerial Level-6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix
2.	**Stenographer Grade-I** (on deputation including short term contract)	01 (One)	

Complete data about eligibility, terms & conditions are available on the Institute **website : www.fmttibudni.gov.in, www.nrfmtti.gov.in, www.srfmtti.dacnet.nic.in, www.nerfmtti.nic.in** and **www.agricoop.nic.in.**

Application (in duplicate) in the prescribed proforma with complete details should be forwarded through proper channel to **Director, Govt. of India, Central Farm Machinery Training & Testing Institute, Tractor Nagar, Budni (M.P.)-466445 within 45 days** from the date of publication of this advertisement in the Employment News. M.P. Madhyam/99397/44941/2020

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित

मुख्यालय, टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र.)

Website : www.apexbank.in, Tel. No. : 0755-2674712

आवेदन आमंत्रण

क्रमांक/मप्र(मुख्या)/3/का.प्रशा/प्रसं/2250 **भोपाल, दिनांक : 29.12.2020**

म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्या. मुख्यालय, भोपाल (अपेक्स बैंक) में अधिकारी श्रेणी के अन्तर्गत **29 अधिकारियों (उप महाप्रबंधक, पद-2, कुल परिलब्धियां-120739/- प्र.मा.) (सहायक महाप्रबंधक, पद-3, कुल परिलब्धियां-110716/- प्र.मा.), (प्रबंधक, पद-3, कुल परिलब्धियां-103345/- प्र.मा.)/(उप प्रबंधक, पद-7, कुल परिलब्धियां-रु. 90126/- प्र.मा.)/सहायक प्रबंधक, पद-14, कुल परिलब्धियां-73205/- प्र.मा.)** के रिक्त पदों की पूर्ति आई.बी.पी.एस., मुम्बई के माध्यम से किये जाने हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलॉइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु कार्यक्रम निम्नवत् है :-

विवरण	तिथि
ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रारंभ तिथि	01.01.2021
ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	31.01.2021
परीक्षा शुल्क	रुपये 1200/-(समस्त सामान्य/ओ.बी.सी./ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु) रुपये 900/- (समस्त अ.जा./अ.ज.जा./पी.एच. श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु) देय शुल्क पर 18% GST अतिरिक्त (शुल्क वापसी योग्य नहीं)।

2. उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पदों का विवरण, श्रेणीवार आरक्षण, आयु सीमा संबंधी प्रावधान, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं परीक्षा से संबंधित विस्तृत विवरण सहित अन्य समस्त निर्धारित शर्तें/निर्देश बैंक की अधिकृत वेबसाइट **www.apexbank.in** पर उपलब्ध है। ऑनलाइन प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा की तिथि, बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी। जारी विज्ञापन में दर्शित पदों में कमी एवं निहित शर्तों के बदलाव हेतु बैंक प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा।

म.प्र. माध्यम/99399/44942/2020 **जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।** **प्रभारी प्रबंध संचालक**

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी शुरू हुई

उमरिया, पर्यटकों को बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बफर के दो गेट परासी और पचपेढ़ी को शुक्रवार को खोलने के बाद तीसरा पर्यटन जोन बी-7 पनपथा आज रविवार से शुरू कर दिया गया है। सैलानियों ने नाइट सफारी का लुत्फ उठाया और रात में जंगल की खूबसूरती और विचरण करने वाले वन्य-जीवों को देखा।

सैलानियों के लिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा वाकायदा गाइड-लाइन जारी कर दी गई है। नाइट सफारी का समय शाम 7 से 9 बजे तक का तय किया गया है। अब नये सिरे से लेट ईवनिंग सफारी प्रारंभ होने पर 26 दिसम्बर 2020ú को 35 लोगों ने रात्रि कालीन सफारी का जिप्सियों में बैठ कर रात्रिकालीन वन्य-जीवों और प्रसिद्ध स्थलों का मनमोहक नजारा देखा।

बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व के संचालक श्री विंसेंट रहीम ने बताया कि नए जोन और हवाई सफारी के अलावा अन्य पर्यटन गतिविधियों को नए वर्ष में चालू करने पर विचार किया जा रहा है। मुख्य रूप से जंगल के अंदर पेड़ों की ऊंचाई में मचान अनुभव, कैंपिंग साइट, बफर में रात्रि विश्राम, नेचर ट्रेल, आदिवासी म्यूजियम जैसी गतिविधियां भी शुरू करने की योजना है।

M.P. POLICE HOUSING & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LMITED

Sagar Division, Bhopal (M.P.)-462002, Ph. : 9425601593

क्रमांक/1788/मप्रपुहाका/पय/सागर/20 **दिनांक : 30.12.2020**

निविदा सूचना क्रमांक-16/2020-21

Sealed Tenders are invited from interested and eligible bidders for running of Canteen, in the premises of MPPH&IDCL Bhadbhada Road, Bhopal on rent basis.

Interested parties can download the tender document from our website from 01.01.2021 onwards. Last date for receipt of Bids along with Bid Processing Fee and EMD as specified in the bid document is 12.01.2021 by 05.00 PM. For further details and documents visit our website **www.policehousing.mp.gov.in**

M.P. Madhyam/99423/44946/2021 **PROJECT ENGINEER**

जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग सागर, भदभदा रोड, भोपाल

क्रमांक/1775/मप्रपुहाका/पय/सागर/20 **दिनांक 26.12.2020**

निविदा सूचना क्रमांक 15/2020-21

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, सागर संभाग के अंतर्गत रायसेन, टीकमगढ़, सागर पन्ना एवं भोपाल जिलों में भवन निर्माण/अन्य कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र आनलाइन क्रय की **अंतिम तिथि 06.01.2021 तक** है। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते है।

म.प्र. माध्यम/99370/44940/2020 **परियोजना यंत्री**

पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग (पुलिस), मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2020 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

विज्ञापन क्रमांक 44/20

पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग (पुलिस), मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा-2020 के संबंध में प्रेफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र **दिनांक 31.12.2020** से भरवाए जाने थे जिसे संशोधित कर अब ऑनलाइन आवेदन पत्र निम्नानुसार तिथियों में आमंत्रित किए जावेंगे।

स.क्र.	विवरण	संभावित तिथियां
01.	ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारम्भ तिथि	08.01.2021
02.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	22.01.2021
03.	ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि	27.01.2021

नोट : अन्य शर्तें एवं अर्हताएं पूर्व अनुसार ही रहेंगी।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड

'चयन भवन' मेन रोड नं-1- चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल-462011

फोन नं. : 0755-2578801-02-03-04

फैक्स : 91-755-2550498, वेबसाइट : www.peb.mp.gov.in

म.प्र. माध्यम/99412/44943/2020 **संचालक**

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्या. परियोजना यंत्री, भदभदा रोड संभाग क्रमांक-03, भोपाल-462003

मोबा. : 9425601545, ई-मेल : mpphidcbpl3@gmail.com

क्र. मप्रपुआअविनि/747/पयं/भोपाल-03/तशा/2020 भोपाल, दिनांक : 31.12.2020

निविदा आमंत्रण सूचना

भोपाल संभाग-3 के अंतर्गत जिला हरदा, सीहोर एवं बैतूल के विभिन्न आवासों में मरम्मत कार्य हेतु निविदा क्रमांक 10/2020-21 (टेण्डर क्र.-121459, 121465, 121471) आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन **दिनांक 11.01.2021 सायं 5:00 बजे तक** खरीदे एवं दस्तावेज अपलोड किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/99419/44945/2020 **परियोजना यंत्री**

दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी।

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, ग्वालियर संभाग क्र. 02, मकान नं. सी-31 कुलपति निवास के सामने, गोविन्दपुरी चौराहा, सचिन तेन्दुलकर रोड सिटी सेंटर, ग्वालियर पिन-474011

निविदा आमंत्रण सूचना- 19/2020-21

कार्यालय मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम संभाग, ग्वालियर क्र-2 द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 19/2020-21 के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदा की कार्यवाही की गई है। जिसके ऑनलाईन निविदा क्र. MPPHC_121434_1, MPPHC_121436_1, MPPHC_121437_1, MPPHC_121438_1, MPPHC_121440_1, MPPHC_121441_1, MPPHC_121442_1, MPPHC_121443_1, MPPHC_121444_1 एवं MPPHC_121445_1 है। निविदा प्रपत्र दिनांक 12.01.2021 तक खरीदे जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है।

म.प्र. माध्यम/99417/44944/2020

दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी।

जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
म.प्र. लोक निर्माण विभाग (भ./स.), सीधी संभाग, सीधी (म.प्र.)

Website : www.mpwd.gov.in, Email : eepwdsidhi@mp.nic.in
Phone - 07822-252111, Fax - 07822-252218

नि.सू.क्र. 13/2020-21 सीधी, दिनांक 29.12.2020

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्न कार्यों हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा समस्त संशोधनों सहित के आधार पर, प्रपत्र - 'अ' में निविदाकारों, जो केन्द्रीय पंजीयन प्रणाली के तहत लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत हों, से आमंत्रित की जाती है :-

ग्रुप क्र.	टेंडर आई.डी.	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि (रु. लाख में)	1. अमानत राशि 2. नि. प्रपत्र का मूल्य	1. निविदा आमंत्रण क्रमांक 2. कार्यावधि
1.	2020_PWDRB_120107	उपसंभाग चुरहट अंतर्गत टीकट झझौआ मार्ग लं. 7.56 कि.मी. टीकट बड़ागांव मार्ग, लं. 4.30 कि.मी., तरिहा ग्राम पहुंच मार्ग, लं. 4.70 कि.मी., कोष्टा घुधुरी मार्ग, लं. 1.48 कि.मी., मुख्य मार्ग से भितरी डांडी टोला मार्ग, लं. 3.10 कि.मी., लेहेचुआ आदिवासी वस्ती पहुंच मार्ग, लं. 2.00 कि.मी., भरतपुर शिकारगंज मार्ग, लं. 3.00 कि.मी., लेहेचुआ शिकारगंज चमराडोल मार्ग, लं. 3.00 कि.मी. एवं भितरी से डिठौरा मार्ग, लं. 5.40 कि.मी., कुल लं. 34.54 कि.मी. में बी.टी. नवीनीकरण का कार्य। **लो.नि.वि., सड़क एस.ओ.आर. 29.08.2017**	267.99	1. 267990 2. 15000	1. तृतीय आमंत्रण 2. 06 माह
2.	2020_PWDRB_120111	उपसंभाग सीधी मुख्यालय सीधी द्वितीय अंतर्गत शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का विशेष मरम्मत/एम.ओ.डब्ल्यू. कार्य। **लो.नि.वि., भवन एस.ओ.आर. 24.08.2017**	15.00	1. 30000 2. 2000	1. प्रथम आमंत्रण 2. 04 माह
3.	2020_PWDRB_120113	उपसंभाग सीधी मुख्यालय सीधी प्रथम अंतर्गत शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का विशेष मरम्मत/एम.ओ.डब्ल्यू. कार्य। **लो.नि.वि., भवन एस.ओ.आर. 24.08.2017**	15.00	1. 30000 2. 2000	1. प्रथम आमंत्रण 2. 04 माह
4.	2020_PWDRB_120115	उपसंभाग सीधी अंतर्गत पुराने गल्ला गोदाम के पास शासकीय आवासीय भवन क्र. 200(क), 183(आई टाइप) एवं संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के सामने शासकीय आवासीय भवन क्र. 173(ए एवं बी) "एफ" टाइप का विशेष मरम्मत कार्य। **लो.नि.वि., भवन एस.ओ.आर. 24.08.2017**	8.90	1. 17800 2. 2000	1. प्रथम आमंत्रण 2. 04 माह
5.	2020_PWDRB_120116	उपसंभाग सीधी अंतर्गत सिविल लाईन सीधी में पर्यावरण केन्द्र के पीछे शासकीय आवासीय भवन क्र. 190(क) एवं संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के पास शासकीय आवासीय भवन क्र. 177(ए, बी, सी, डी,) "एच" टाइप का विशेष मरम्मत कार्य। **लो.नि.वि., भवन एस.ओ.आर. 24.08.2017**	8.89	1. 17780 2. 2000	1. प्रथम आमंत्रण 2. 04 माह
6.	2020_PWDRB_120117	उपसंभाग सीधी मुख्यालय सीधी प्रथम अंतर्गत गैर आवासीय भवनों का वार्षिक मरम्मत कार्य। **लो.नि.वि., भवन एस.ओ.आर. 24.08.2017**	10.00	1. 20000 2. 2000	1. द्वितीय आमंत्रण 2. 04 माह
7.	2020_PWDRB_120118	उपसंभाग मझौली अंतर्गत गोरियरा हाथीखांड मार्ग के कि.मी. 1/2 में निर्मित पुलिया का विशेष मरम्मत कार्य। **लो.नि.वि., भवन एस.ओ.आर. 29.08.2017**	4.46	1. 8920 2. 2000	1. प्रथम आमंत्रण 2. 03 माह
		योग :-	330.24		

1. ऑनलाइन पोर्टल **http://mptenders.gov.in** के माध्यम से निविदा प्रपत्र क्रय करने डाउनलोड एवं निविदा डालने का समय एवं दिनांक 01.01.2021 सुबह 9.00 से **19.01.2021** शाम 6.00 बजे तक है।
2. अमानत राशि, केन्द्रीयकृत पी.डब्ल्यू.डी. पंजीयन सिविल, शपथ पत्र, जी.एस.टी.एन. एवं अन्य अभिलेख (लिफाफा-अ) सिर्फ ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं।
3. निविदा से संबंधित संशोधन, समय परिवर्तन आदि की सूचना केवल वेबसाइट के माध्यम से दी जावेगी।
4. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालन यंत्री
जी-17248/44922/2021 लोक निर्माण विभाग, सीधी संभाग सीधी (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड मन्दसौर

दूरभाष क्रमांक : 07422-256284, फैक्स : 07422-255215, E-mail : eephedmas@mp.nic.in
मह नीमच रोड शासकीय महाविद्यालय के पास मन्दसौर

NIT NO. 23/2020-21

क्रमांक 2891/व.ले.लि./का.यं./2020 मन्दसौर, दिनांक : 26.12.2020

निम्नलिखित कार्य की निविदा आमंत्रण सूचना वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर प्रदर्शित की गई है। टेंडर का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

टेंडर आई.डी. क्र.	कार्य का नाम	अनु. लागत (रुपये में)	1. अर्नेस्टमनी (रुपये में) 2. आमंत्रण क्र.	समयावधि (वर्षाकाल सहित)	निविदा क्रय की अंतिम तिथि
2020_PHED_120384_1	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उपखण्ड मंदसौर के केंद्रीय भण्डार गृह पर रखी हुई अनुपयोगी सामग्री का नीलाम करने का कार्य वी.ओ.क्यू. अनुसार सम्पादित करना। (32151 किलोग्राम)	8,03,775/-	1. 16076/- 2. द्वितीय आमंत्रण	15 दिवस	07.01.2021 17:30 तक

उक्त कार्य की निविदा क्रेडिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग एकाउन्ट के माध्यम से भुगतान करने पर ऑनलाइन उक्त वेबसाइट पर क्रय की जा सकती है। निविदा से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
नोट :- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन वेबसाइट पर देखा जा सकता है। संशोधन पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वा.यां.खंड मंदसौर
जी-17145/44912/2021 मोबाइल नं. : 9981467992

जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड रायसेन

दूरभाष क्र. - 07482-222095, फैक्स क्र. - 07482-223388
ईमेल - eephrai@nic.in

क्रमांक/3634/लेखा./का.यं./लो.स्वा.यां./खण्ड/रायसेन दिनांक 31.12.2020

निविदा आमंत्रण सूचना

रायसेन जिले के निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण **http://www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है। निविदा फार्म ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम तिथि 15.01.2021 शाम 17.30 है एवं निविदा में होने वाले संशोधन केवल वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर ही देखे जा सकेंगे।

क्र.	ऑनलाइन टेण्डर आई.डी. क्र.	निविदा क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	लागत राशि (रु. लाख में)
1.	2020_PHED_120401	91	उदयपुरा	रायसेन जिले के विकासखण्ड उदयपुरा में नलजल योजना के माध्यम से 12 ग्रामों में शत प्रतिशत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदाय कार्य।	216.00
2.	2020_PHED_120479	92	उदयपुरा	रायसेन जिले के विकासखण्ड उदयपुरा में नलजल योजना के माध्यम से 10 ग्रामों में शत प्रतिशत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदाय कार्य।	220.00
3.	2020_PHED_120538	93	औबेदुल्लागंज	रायसेन जिले के विकासखण्ड औ.गंज में नलजल योजना के माध्यम से 05 ग्रामों में शत प्रतिशत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदाय कार्य।	206.00
4.	2020_PHED_120557	94	औबेदुल्लागंज	रायसेन जिले के विकासखण्ड औ.गंज में नलजल योजना के माध्यम से 06 ग्रामों में शत प्रतिशत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदाय कार्य।	220.00
5.	2020_PHED_120562	95	औबेदुल्लागंज	रायसेन जिले के विकासखण्ड औ.गंज में नलजल योजना के माध्यम से 06 ग्रामों में शत प्रतिशत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदाय कार्य।	237.00
6.	2020_PHED_120663	96	औबेदुल्लागंज	रायसेन जिले के विकासखण्ड औ.गंज में नलजल योजना के माध्यम से 06 ग्रामों में शत प्रतिशत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदाय कार्य।	224.22
7.	2020_PHED_120677	97	औबेदुल्लागंज	रायसेन जिले के विकासखण्ड औ.गंज में नलजल योजना के माध्यम से 06 ग्रामों में शत प्रतिशत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदाय कार्य।	208.33
8.	2020_PHED_120708	98	औबेदुल्लागंज	रायसेन जिले के विकासखण्ड औ.गंज में नलजल योजना के माध्यम से 5 ग्रामों में शत प्रतिशत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदाय कार्य।	224.63
9.	2020_PHED_121257	99	गैरतगंज	रायसेन जिले के विकासखण्ड गैरतगंज में नलजल योजना के माध्यम से 07 ग्रामों में शत प्रतिशत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदाय कार्य।	219.91
10.	2020_PHED_121259	100	गैरतगंज	रायसेन जिले के विकासखण्ड गैरतगंज में नलजल योजना के माध्यम से 06 ग्रामों में शत प्रतिशत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदाय कार्य।	239.00
11.	2020_PHED_121261	101	गैरतगंज	रायसेन जिले के विकासखण्ड गैरतगंज में नलजल योजना के माध्यम से 10 ग्रामों में शत प्रतिशत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदाय कार्य।	283.83

सदस्य सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन एवं
जी-17254/44924/2021 कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड रायसेन

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मैकेनिकल खण्ड रीवा (म.प्र.)

Email ID - eephemrewa@rediffmail.com
PH.No. - 07662-251023 & Fax - 07662-241414

क्रमांकः 1664/तक/का.यं./लो.स्वा.यां./मेके.खण्ड/2020-21 रीवा, दिनांक 29.12.2020

ई-निविदा सूचना क्रमांक 70/2020-21
System Tender No. 2020_PHED_120984_1

(1) निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदायें एपेंडिक्स 2.10 में प्रतिशत दर पर प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल की नलकूपों के खनन एवं अन्य कार्य से संबंधित दिनांक **03.07.2018** से प्रभावशील एकीकृत दर सूची एवं निविदा सूचना जारी होने के दिनांक तक किए गए समस्त संशोधनों के आधार पर केन्द्रीयकृत नवीन पंजीयन के तहत लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा ऑनलाइन टेण्डर प्रक्रिया के तहत आमंत्रित की जाती है।
ऑनलाइन निविदा **पब्लिशिंग का दिनांक 01.01.2021** सुबह 10.30 बजे से डाक्यूमेन्ट डाउनलोड/टेण्डर फार्म क्रय **प्रारंभ तिथि 01.01.2021** सुबह 10.30 बजे से टेण्डर फार्म क्रय की अंतिम तिथि 12.01.2021 अपरान्ह 3.00 बजे तक बिड सबमिशन प्रारंभ का **दिनांक 01.01.2021** सुबह 10.30 बजे से एवं बिड सबमिशन का अंतिम तिथि **12.01.2021** को सायं 3.00 बजे तक निर्धारित है। तकनीकी निविदा लिफाफा-A एवं B खोलने की तिथि 13.01.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे एवं वित्तीय ऑफर लिफाफा-C खोलने (Manadatory 'A' & Financial bid Open) का दिनांक 15.01.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे निर्धारित है।
(2) उक्त निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाइट **(http://www.mptenders.gov.in)** पर प्रदर्शित है।
(3) **कार्य का विवरण :- उमरिया जिले के विकासखण्ड करकेली अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ट्यूबवेल पर आधारित पाइप लाइन जलापूर्ति का निर्माण, निष्पादन, सबमर्सिवल मोटर पंप की स्थापना, 90 दिवस के ट्रायल रन एवं कमिशनिंग आदि समस्त कार्य सामग्री एवं लेबर सहित।**

योजना का नाम	विकासखण्ड	कार्य की अनु. लागत (रु. लाख में)	प्रतिभूति राशि रु. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
कोरगवां केरपानी अमदरा राजटोला डिठौरी रोझिन सीतापाल निमहा	करकेली	10532470/-	105325/-	12500/-	05 माह (वर्षाऋतु सहित)

उपरोक्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिये निविदा प्रपत्र पर देखी जा सकती है एवं कार्यालयीन समय में कार्यालय में देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री
जी-17265/44927/2021 लोक स्वा.यां. मेकेनिकल खण्ड रीवा (म.प्र.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मैकेनिकल खण्ड रीवा (म.प्र.)

Email ID - eephemrewa@rediffmail.com
PH.No. - 07662-251023 & Fax - 07662-241414

क्रमांकः 1660/तक/का.यं./लो.स्वा.यां./मेके.खण्ड/2020-21 रीवा, दिनांक 29.12.2020

ई-निविदा सूचना क्रमांक 68/2020-21
System Tender No. 2020_PHED_120981_1

(1) निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदायें एपेन्डिक्स 2.10 में प्रतिशत दर पर प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल की नलकूपों के खनन एवं अन्य कार्य से संबंधित दिनांक 03.07.2018 से प्रभावशील एकीकृत दर सूची एवं निविदा सूचना जारी होने के दिनांक तक किए गए समस्त संशोधनों के आधार पर केन्द्रीयकृत नवीन पंजीयन के तहत लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा ऑनलाइन टेण्डर प्रक्रिया के तहत आमंत्रित की जाती है।
ऑनलाइन निविदा पब्लिशिंग का दिनांक 01.01.2021 सुबह 10.30 बजे से डाक्यूमेन्ट डाउनलोड/टेण्डर फार्म क्रय प्रारंभ तिथि 01.01.2021 सुबह 10.30 बजे से टेण्डर फार्म क्रय की अंतिम तिथि 12.01.2021 अपरान्ह 3.00 बजे तक बिड सबमिशन प्रारंभ का दिनांक 01.01.2021 सुबह 10.30 बजे से एवं बिड सबमिशन का अंतिम तिथि **12.01.2021** को सायं 3.00 बजे तक निर्धारित हैं। तकनीकी निविदा लिफाफा-A, एवं B खोलने की तिथि 13.01.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे एवं वित्तीय ऑफर लिफाफा-C खोलने (Manadatory 'A' & Financial bid Open) का दिनांक 15.01.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे निर्धारित है।

(2) उक्त निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाइट **(http://www.mptenders.gov.in)** पर प्रदर्शित है।

(3) **कार्य का विवरण :- उमरिया जिले के विकासखण्ड पाली, मानपुर करकेली अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ट्यूबवेल पर आधारित पाइप लाइन जलापूर्ति का निर्माण, निष्पादन, सबमर्सिबल मोटर पंप की स्थापना, 90 दिवस के ट्रायल रन एवं कमिशनिंग आदि समस्त कार्य सामग्री एवं लेबर सहित।**

योजना का नाम	विकासखण्ड	कार्य की अनु. लागत (रु. लाख में)	प्रतिभूति राशि रु. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
पैली	पाली	12088487/-	120885/-	12500/-	05 माह (वर्षाऋतु सहित)
पतनार खुर्द					
इटौर					
बड़वाही (सकरिया)	मानपुर				
घघौड़					
झीमा	करकेली				
तेन्दुहा					
कथली	मानपुर				
रोहनिया					

उपरोक्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिये निविदा प्रपत्र पर देखी जा सकती है एवं कार्यालयीन समय में कार्यालय में देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री
जी-17267/44928/2021 लोक स्वा.यां. मेकेनिकल खण्ड रीवा (म.प्र.)

दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी।

कार्यालय संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास ग्वालियर संभाग ग्वालियर

क्रमांक/मबाबि./आईसीडीएस-02/2020/2036-37 ग्वालियर, दिनांक : 28.12.2020

मानदेय आधारित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन
संशोधित आवेदन आमंत्रण सूचना

ग्वालियर संभाग में संचालित एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में 104 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 142 पद आंगनवाड़ी सहायिका एवं 15 पद मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पूर्णतः अस्थाई एवं मानदेय आधारित पदों के लिए पात्र महिला अभ्यार्थियों से निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	जिले का नाम	परियोजना का नाम	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद संख्या	आंगनवाड़ी सहायिका पद संख्या	मिनी-आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद संख्या
1.	ग्वालियर	एकीकृत बाल विकास परियोजना शहरी क्र. - 01	03	09	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना शहरी क्र. - 02	02	03	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना शहरी क्र. - 03	-	03	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना शहरी क्र. - 04	05	05	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना शहरी क्र. - 05	03	04	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना मुरार	02	02	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना डबरा - 01	10	04	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना डबरा - 02	03	03	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना गिर्द	03	09	04
		एकीकृत बाल विकास परियोजना भितरवार	05	09	-
2.	शिवपुरी	एकीकृत बाल विकास परियोजना शिवपुरी ग्रामीण	03	04	01
		एकीकृत बाल विकास परियोजना पोहरी	08	03	04
		एकीकृत बाल विकास परियोजना पिछोर	06	04	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना करैरा	05	03	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना नरवर	02	08	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना बदरवास	01	05	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना खनियाधाना	01	02	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना शिवपुरी शहरी	01	-	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना कोलारस	03	01	-
3.	गुना	एकीकृत बाल विकास परियोजना गुना शहरी	02	01	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना गुना ग्रामीण	03	01	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना बमौरी	03	10	02
		एकीकृत बाल विकास परियोजना आरौन	01	02	01
		एकीकृत बाल विकास परियोजना राघौगढ़	05	02	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना चाचौड़ा	-	01	01
4.	अशोकनगर	एकीकृत बाल विकास परियोजना अशोकनगर शहरी	-	01	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना ईसागढ़	01	03	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना अशोकनगर ग्रामीण	02	05	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना चंदेरी	02	08	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना मुंगावली	01	03	01
05	दतिया	एकीकृत बाल विकास परियोजना भांडेर	02	04	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना इंदरगढ़	03	03	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना दतिया शहरी	05	04	01
		एकीकृत बाल विकास परियोजना दतिया ग्रामीण - 01	05	06	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना दतिया ग्रामीण - 02	02	04	-
		एकीकृत बाल विकास परियोजना सेंवढा	01	03	-
		कुल योग	**104**	**142**	**15**

उपरोक्त चार्ट अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों की नामवार सूची एवं नियम निर्देश, शर्तें आवेदन का प्रारूप एवं अन्य अर्हताएं संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। जिस ग्राम/वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है, आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राजस्व ग्राम, शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए। संबंधित महिला आवेदक अपने पूर्णतः भरे आवेदन मय आवश्यक सहपत्रों सहित संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यालयीन दिवसों में **समय 05:00 बजे तक दिनांक 15.01.2021 तक** जमा करा कर निर्धारित प्रारूप में प्राप्ति अभिस्वाकृति प्राप्त कर सकते हैं।

संयुक्त संचालक
जी-17272/44931/2021 महिला एवं बाल विकास ग्वालियर संभाग ग्वालियर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बालाघाट
ई-टेण्डरिंग निविदा आमंत्रण

बालाघाट जिले के विकासखण्डों के ग्रामों में नलजल प्रदाय, नवीन योजना एवं रेट्रोफिटिंग योजना अंतर्गत पेयजल प्रदाय प्रारंभ करने हेतु योजना संबंधी कार्य की मुहरबंद निविदा प्रपत्र "अ 2.10" (प्रतिशत दर) में एम.पी. टेण्डर्स पद्धति के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती हैं जो कि एम.पी. टेण्डर्स सिस्टम पोर्टल के **http://mptenders.gov.in** द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार निविदा प्रक्रिया की जावेंगी। (द्वितीय आमंत्रण) निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

ई-टेण्डरिंग पद्धति क्रमांक	निविदा क्रमांक/ आमंत्रित दिनांक	कार्य की अनुमानित लागत (राशि रु. लाख में)	धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) रु. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने की समयावधि	निविदा प्रपत्र क्रय करने की एवं दर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	ऑनलाइन खुलने की तिथि	पंजीकृत ठेकेदार की श्रेणी
2020_PHED_120699_1	92/ 28.12.2020	354.43	354430/-	15000/-	9 माह	**08.01.2021**	11.01.2021	लोक निर्माण विभाग में नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन
2020_PHED_120700_1	93/ 28.12.2020	376.41	376410/-	15000/-	9 माह	08.01.2021	11.01.2021	

निविदा आमंत्रण सूचना, विस्तृत विवरण एवं Key dates की जानकारी वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है।

नोट :-
1. सभी इच्छुक ठेकेदार ई-टेण्डरिंग पोर्टल **(http://mptenders.gov.in)** में पंजीयन करायें।
2. "निविदा में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जायेगा। यह संशोधन केवल **http://mptenders.gov.in** पर ही प्रकाशित किये जायेंगे"।

निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क क्रेडिट कार्ड, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग एकाउण्ट के माध्यम से उपरोक्त वेबसाइट पर भुगतान कर केवल ऑनलाइन पर ही क्रय किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा एवं अन्य जानकारी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री
जी-17270/44930/2021 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, बालाघाट (म.प्र.) (07632-241131)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 01/02/2020, दिनांक : 24.12.2020

गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन हेतु मेडिकल ऑफिसर (मेडिकल) तथा मेडिकल ऑफिसर (नॉन-मेडिकल) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शुद्धिपत्र

01. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग हेतु मेडिकल ऑफिसर (मेडिकल) तथा मेडिकल ऑफिसर (नॉन-मेडिकल) के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 02/2020, दिनांक 05.12.2020 आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** एवं **www.mppsc.com** पर जारी किया गया था तथा 'रोज़गार और निर्माण' समाचार पत्र के दिनांक 21.12.2020 के अंक में भी प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन के संदर्भ में निम्न लिपिकीय त्रुटियां संशोधित की जाती हैं।
(क) विज्ञापन के महत्वपूर्ण के बिन्दु क्रमांक 01 में त्रुटिवश 'विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं' शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसे विलोपित किया जाता है। इसे केवल गृह विभाग हेतु मेडिकल ऑफिसर (मेडिकल) तथा मेडिकल ऑफिसर (नॉन मेडिकल) की पढ़ा जाए।
(ख) मेडिकल ऑफिसर (मेडिकल) की अधिवार्षिकी आयु :- 65 वर्ष पढ़ा जाए।
02. विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

जी-17156/44913/2021 उपसचिव

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, खरगोन

फोन नं. : 07282-231402, eephedkhr@nic.in

क्रमांक/3609/निविदा/का.यं./लो.स्वा.यां./2020 खरगोन, दिनांक : 26.12.2020

निविदा सूचना क्रमांक 65/2020-21 (द्वितीय आमंत्रण)

कार्य का विवरण :- विकासखण्ड महेश्वर की गुणवत्ता प्रभावित समूह जल प्रदाय योजना के 56 ग्रामों की 113 बसाहटों में जल जीवन मिशन अंतर्गत 100 प्रतिशत घरेलु नल कनेक्शन प्रदाय योजना हेतु सर्वे कर डी.पी.आर. बनाने इत्यादि कार्य की निविदाएं कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल द्वारा जारी यू.एस.ओ.आर. जो दिनांक 03.07.2018 से प्रभावशील है एवं निविदा सूचना जारी होने के दिनांक तक संशोधित दरों पर, निविदा एपेंडिक्स '2.10' पर ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल **http://mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की जाती है।

सिस्टम टेंडर नं. (2020_PHED)	विकास खण्ड	ग्रामों/कार्य की संख्या/ नाम	कार्य की अनु. लागत रु. लाख में	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी नवीन पंजीयन अंतर्गत
120536	महेश्वर	विकासखण्ड महेश्वर की गुणवत्ता प्रभावित समूह जल प्रदाय योजना के 56 ग्रामों की 113 बसाहटों का सर्वे कर डी.पी.आर. बनाने इत्यादि कार्य।	15.35 लाख	30700/-	2000/-	03 माह वर्षाकाल सहित	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली

1. ऑनलाइन निविदा फार्म क्रय करने की एवं निविदा दर डालने की **अंतिम तिथि 06.01.2021**, समय 17:30 बजे।
2. ऑनलाइन निविदा दर खोलने की तिथि : 08.01.2021
3. निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाइट पर (ऑनलाइन सिस्टम) क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते हैं। निविदा एवं उससे संबंधित जानकारी ऊपर दर्शाई गई वेबसाइट पर देखें।

कार्यपालन यंत्री
जी-17134/44911/2021 लोक स्वा. यांत्रिकी खण्ड खरगोन

जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, भोपाल

लिंक रोड नं. : 02 माता मंदिर चौराहा के समीप, हर्षवर्धन नगर के सामने, भोपाल
Tel. : (0755) 4906088, E-mail : eephbpl@mp.nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in/nicgep/app** पर देखा जा सकता है।

कार्य का नाम :- भोपाल जिले के विकासखण्ड फंदा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पचामा में विभिन्न कार्य।

सिस्टम जनरेट आई.डी. क्र.	खण्ड	निविदा प्रपत्र की राशि रु.	ठेके की अनुमानित राशि रु.	अमानत राशि रु.	निविदा ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम तिथि	1. कार्य पूर्ण करने की अवधि 2. ठेकेदार की श्रेणी 3. आमंत्रण क्रमांक
2020_PHED_120631_1	भोपाल	2000/-	1431000/-	28620/-	11.01.2021	1. 03 माह 2. लोक निर्माण विभाग में केंद्रीकृत पद्धति से पंजीयन अनिवार्य। 3. प्रथम आमंत्रण

कार्य का नाम :- भोपाल जिले के विकासखण्ड फंदा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम शोभपुर जहेज में विभिन्न कार्य।

2020_PHED_120637_1	भोपाल	2000/-	1924000/-	38480/-	11.01.2021	1. 03 माह 2. लोक निर्माण विभाग में केंद्रीकृत पद्धति से पंजीयन अनिवार्य। 3. प्रथम आमंत्रण

निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
जी-17111/44910/2021 लो.स्वा.यां. खण्ड, भोपाल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मैकेनिकल खण्ड,
लहारपुर डैम के समीप, बाग मुंगालिया भोपाल, पिनकोड : 462043

Phone No. 0755-2930001, E-Mail I.D. emphbpl@mp.nic.in
क्रमांक 3033/तक/का.यं./लो.स्वा./मैके.खण्ड/भोपाल/2020-21/दिनांक 28.12.2020

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 29/2020-21
ऑनलाइन निविदा क्रमांक 2020_PHED_120598_1, दिनांक 28.12.2020

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, मैकेनिकल खण्ड भोपाल के अंतर्गत सीहोर जिले में सीहोर विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल प्रदाय कार्य हेतु 5 मीटर ऊंचाई के एम.एस. स्ट्रक्चर पर पोलीथिलीन टंकी की स्थापना पर पाइप लाइन द्वारा घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय कार्य हेतु ऑनलाइन डिजिटली हस्ताक्षरित निविदा दिनांक **11.01.2021** सायं 17.00 बजे तक केन्द्रीय पंजीयन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार से प्रपत्र "Appendix 2.10" पर आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु अभिलेखों जैसे प्रतिभूति राशि पावती, उक्त कार्य हेतु केन्द्रीय पंजीयन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग में पंजीयन का प्रमाण-पत्र इत्यादि (निविदा अनुसार) निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अपलोड करना होगा। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का विवरण :- सीहोर जिले में सीहोर विकास खण्ड के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल प्रदाय कार्य हेतु 5 मीटर ऊंचाई के एम.एस. स्ट्रक्चर पर पोलीथिलीन टंकी की स्थापना कर पाइप लाइन द्वारा घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय कार्य।

विकास खण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या	टेण्डर के प्राक्कलन की अनु. लागत राशि (रु.)	धरोहर राशि (रु.)	टेण्डर का मूल्य (रु.)	टेण्डर ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि	टेण्डर खुलने की तिथि	कार्य अवधि
सीहोर	13	1,11,63,000/-	1,11,630/-	12,500/-	**11.01.2021,** सायं 17.00 तक	12.01.2021, 17.15 बजे	कार्यादेश दिनांक से 05 माह

निविदा से संबंधित अन्य समस्त शर्तें एवं विवरण वेबसाइट पर **https://mptenders.gov.in निविदा क्रमांक 2020_PHED_120598_1** दिनांक 28.12.2020 उपलब्ध है।

कार्यपालन यंत्री
जी-17286/44949/2021 लोक स्वा.यां. मैकेनिकल खण्ड भोपाल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, धार

फोन : 07292-222342, eepheddha@mp.nic.in
(An ISO9001:2015 Certified office)

नि.सू.क्रं./36/2020-21 धार, दिनांक : 23.12.2020

निविदा सूचना

धार खण्ड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 03 विकासखण्डों के विभिन्न ग्रामों की शालाओं एवं आंगनवाड़ियों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल व्यवस्था हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। जिनका टेण्डर आई.डी. क्रं. क्रमशः 2020_PHED_119997, 2020_PHED_119998 एवं 2020_PHED_119999 है। कार्य की कुल अनुमानित लागत रु. 240.28 लाख है एवं निविदा संबंधी विवरण की विस्तृत जानकारी **https://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। ऑनलाइन निविदा दर डालने की **अंतिम तिथि दिनांक 06.01.2021 शाम 5:30 बजे तक** निर्धारित है। उपरोक्त निविदा में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जावेगी। उक्त संशोधन केवल वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर ही प्रकाशित किये जावेंगे।

कार्यपालन यंत्री एवं सदस्य सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
जी-17195/44918/2021 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, धार

जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, धार

फोन : 07292-222342, eepheddha@mp.nic.in
(An ISO9001:2015 Certified office)

नि.सू.क्रं./37/2020-21 धार, दिनांक : 28.12.2020

निविदा सूचना (तृतीय आमंत्रण)

खण्ड धार अंतर्गत तिरला विकासखण्ड के ग्राम थोरी, बाहु, बोधवाडा, खरसोडा, नलावदा एवं नानंदखेडा में "**जल जीवन मिशन**" के अंतर्गत पाइप लाइन, घरेलू नल कनेक्शन, आर.सी.सी. उच्चस्तरीय टंकी, संपवेल कप पंप हाउस, मोटर पंप आपूर्ति एवं अन्य सहायक कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है। जिनका टेण्डर आई.डी. क्रं. क्रमशः 2020_PHED_120796 है। कार्य की कुल अनुमानित लागत रु. 489.30 लाख है एवं निविदा संबंधी विवरण की विस्तृत जानकारी **https://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। ऑनलाइन निविदा दर डालने की **अंतिम तिथि दिनांक 06.01.2021 शाम 5:30 बजे तक** निर्धारित है। उपरोक्त निविदा में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जावेगी। उक्त संशोधन केवल वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर ही प्रकाशित किये जावेंगे।

कार्यपालन यंत्री एवं सदस्य सचिव
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
जी-17182/44915/2021 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, धार

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड, अलीराजपुर (म.प्र.)

दूरभाष एवं फैक्स क्रमांक - 07394-233706
E-mail - eephedalirajpur@rediffmail.com
नि.सू.क्र. 32, 33, 34, 35, 36, 37 एवं 38/टेण्डर/का.यं./लो.स्वा.यां.खं./2020 अलीराजपुर, दिनांक : 31.12.2020

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना ई-टेण्डरिंग पद्धति से ई-प्रोक्युरमेन्ट पोर्टल **https://mptenders.gov.in/** पर निविदा प्रपत्र "अपेन्डिक्स 2.10" प्रतिशत दर पर आमंत्रित है। निविदाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

Name of Work :- Providing and errection of Single-Phases Submersible Motor pumps and Rotational Moulded Polythene Water Tanks including Construction of Water Huts, Providing and Laying of GI Pipelines, Construction of Soakage Pits and all related works complete including 15 days successful trial run for Water Supply Arrangement.

क्र.	ई-टेण्डर का क्रमांक	विकासखण्ड ग्राम की संख्या एवं संस्थाओं की संख्या	कार्य की अनुमानित लागत रु.	धरोहर राशि रु.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	निविदा ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम तिथि
1.	2020_PHED_121155_1	Jobat II 9 Villages 72 Schools/Aanganwadis	155.95 lacs	155950/-	12500/-	**14.01.2021**
2.	2020_PHED_121157_1	Jobat I 10 Villages 74 Schools/Aanganwadis	160.10 lacs	160100/-	12500/-	14.01.2021
3.	2020_PHED_121161_1	Alirajpur I 11 Villages 76 Schools/Aanganwadis	158.09 lacs	158100/-	12500/-	14.01.2021
4.	2020_PHED_121162_1	Alirajpur II 10 Villages 55 Schools/Aanganwadis	113.67 lacs	113700/-	12500/-	14.01.2021
5.	2020_PHED_121163_1	Chandra Shekhar Azad Nagar I 9 villages 77 Schools/Aanganwadis	164.26 lacs	164300/-	12500/-	14.01.2021
6.	2020_PHED_121164_1	Chandra Shekhar Azad Nagar II 11 Villages 84 Schools/Aanganwadis	179.57 lacs	179600/-	12500/-	14.01.2021
7.	2020_PHED_121165_1	Chandra Shekhar Azad Nagar III 14 Villages 99 Schools/Aanganwadis	199.52 lacs	199600-	12500/-	14.01.2021

1. यह केवल संक्षिप्त निविदा है जो प्रकाशनार्थ जारी की जा रही है। निविदाओं से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
2. उपरोक्त निविदाओं में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा। उक्त संशोधन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही प्रकाशित किये जावेंगे।

कार्यपालन यंत्री
जी-17306/44953/2021 लो.स्वा.यां. खण्ड अलीराजपुर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड - गुना (म.प्र.)

क्रमांक 03/ब.ले.लि./2020-21/का.यं./लो.स्वा.यां.वि./गुना, दिनांक : 01.01.2021

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 41/ब.ले.लि./2020-21

निम्नलिखित कार्य की निविदाएं ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल **http://www.mptenders.gov.in/nicgep/app** पर गुना जिले के विभिन्न विकासखण्डों के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत आर.सी.सी. ओवर हेड टैंक, पाइप लाइन, घरेलू नल कनेक्शन एवं विद्युत संयोजन कार्य हेतु निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित हैं।

स. क्र.	निविदा क्रमांक/ दिनांक	सिस्टम क्रमांक	विकास खण्ड	ग्राम	निविदा की कुल लागत रु. (लाख में)	धरोहर राशि (EMD) निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1.	41/ 01.01.2021	2020_ PHED_ 121730_1	गुना	7	409.24	रु. 15000/-	6 माह वर्षाकाल छोड़कर	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

ऑनलाइन निविदा फार्म क्रय करने की अंतिम तिथि : **11.01.2021 17.30 बजे**
ऑनलाइन निविदा दर डालने की अंतिम तिथि : 11.01.2021 17.30 बजे
ऑनलाइन निविदा दर खोलने की तिथि : 13.01.2021 11.00 बजे

निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाइट पर (Online System) क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते हैं। निविदा एवं उससे संबंधित जानकारी ऊपर दर्शाई गई वेबसाइट पर देखें।

सदस्य, सचिव जिला जल एवं
स्वच्छता मिशन तथा कार्यपालन यंत्री
जी-17302/44952/2021 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड-गुना, जिला-गुना

दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी।

म.प्र. पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

कार्यालय परियोजना यंत्री, डी-5/2, एम.आय.जी.
महाश्वेता नगर इस्कॉन मंदिर के सामने, उज्जैन (म.प्र.)
ई-मेल : mpphcl_ujjain@yahoo.in
फोन नं. 0734-2527715 मोबा. 9406808103
क्र. 04 /पय/मप्रपुहाइडेकालि/20/ उज्जैन, दिनांक : 02.01.2021

निविदा सूचना क्र. 15/2020-21

मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, संभाग उज्जैन के अंतर्गत **निविदा सूचना क्रमांक 15/2020-21 दिनांक 02.01.2021** के अंतर्गत जिला देवास एवं उज्जैन में निर्माण एवं मरम्मत कार्यों हेतु ऑनलाइन निविदा आई.डी क्र. **2021_MPPHC_121738, 2021_MPPHC_121739** कुल 2 निविदा आमंत्रित की गई हैं।

निविदा प्रपत्र ऑनलाइन दिनांक 04.01.2021, 17.00 बजे से क्रय किये जा सकते हैं एवं दिनांक 20.01.2021, 18.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal: https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/99444/44958/2021 **परियोजना यंत्री**

दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मैकेनिकल खण्ड, रीवा (म.प्र.)

E-mail ID :- eephemrewa@rediffmail.com, PH. No. : 07662-251023 & Fax : 07662-241414

क्रमांक 1627/तक/का.यं./लो.स्वा.यां./मैके. खण्ड/2020-21 **रीवा, दिनांक : 29.12.2020**

ई-निविदा सूचना क्रमांक 52/2020-21
System Tender No. 2020_PHED_120397_1

(1) निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाइन निविदायें एपेन्डिक्स 2.10 में प्रतिशत दर पर प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल की नलकूपों के खनन एवं अन्य कार्य से संबंधित दिनांक 03.07.2018 से प्रभावशील एकीकृत दर सूची एवं निविदा सूचना जारी होने के दिनांक तक किये गए समस्त संशोधनों के आधार पर केन्द्रीयकृत नवीन पंजीयन के तहत लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा ऑनलाइन टेण्डर प्रक्रिया के तहत आमंत्रित की जाती है।

ऑनलाइन निविदा पब्लिशिंग का दिनांक 01.01.2021 सुबह 10.30 बजे से डाक्यूमेन्ट डाउन लोड/टेण्डर फार्म क्रय प्रारम्भ तिथि 01.01.2021 सुबह 10.30 बजे से टेण्डर फार्म क्रय की **अंतिम तिथि 12.01.2021 अपरान्ह 3.00 बजे तक** बिड सबमिशन प्रारम्भ का दिनांक 01.01.2021 सुबह 10.30 बजे से एवं बिड सबमिशन का **अंतिम तिथि 12.01.2021 को सायं 3.00 बजे तक** निर्धारित है। तकनीकी निविदा लिफाफा-A एवं B खोलने की तिथि 13.01.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे एवं वित्तीय ऑफर लिफाफा-C खोलने **(Manadatory 'A' & Financial bid Open)** का दिनांक 15.01.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे निर्धारित है।

(2) उक्त निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाइट **(http://www.mptenders.gov.in)** पर प्रदर्शित है।

(3) कार्य का विवरण :- रीवा जिले के विकासखण्ड रीवा एवं रायपुर कर्चुलियान अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ट्यूबवेल पर आधारित रेट्रोफिटेड पाइप जलापूर्ति का निर्माण, निष्पादन, सबमर्सिबल मोटर पंप की स्थापना, 90 दिवस के ट्रायल रन एवं कमिशनिंग आदि समस्त कार्य सामग्री एवं लेबर सहित।

योजना का नाम	विकासखण्ड	कार्य की अनु. लागत (रु. लाख में)	प्रतिभूति राशि रु. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
खड्डी हिनौती नरौरा जितौही सिगटी दुबहा बरिगवाँ बगदरी धाधी 297 कोठी	रीवा एवं रायपुर कर्चुलियान	11951366/-	119514/-	12500/-	5 माह (वर्षाऋतु सहित)

उपरोक्त योजनाओं की विस्तृत जानकारी के लिये निविदा प्रपत्र पर देखी जा सकती है एवं कार्यालयीन समय में कार्यालय में देखी जा सकती है।

कार्यपालन यंत्री

जी-17237/44920/2021 **लोक स्वा.यां. मेकेनिकल खण्ड, रीवा (म.प्र.)**

कार्यालय कलेक्टर, बैतूल मध्यप्रदेश
निविदा सूचना

क्रमांक/2020/वित्त-स्था./ **बैतूल, दिनांक : 12.2020**

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन कार्यालय के लिए, सहायक प्रोग्रामर-1, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर-2, भृत्य-1 एवं जिले में पाँच निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालयों के लिए, सहायक प्रोग्रामर-1, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर-2 एवं जिले में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय के लिए कुल डाटा एन्ट्री ऑपरेटर-5 पद स्वीकृत किए गए हैं।

उक्तानुसार पदों पर नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए टेण्डर जारी किया जाना है। आउटसोर्स कर्मचारी लेने हेतु शासन द्वारा अधिकृत संस्था से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जिले में सहायक प्रोग्रामर के कुल-6, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के कुल-17 एवं जिले के लिए 01 भृत्य की आवश्यकता होगी। आवश्यकतानुसार पदों में कमी या वृद्धि की जा सकेगी।

आउटसोर्स हेतु दरें की शर्तें :-

1. आउटसोर्स कर्मचारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पृथक-पृथक दर उपलब्ध कराना होगा।
2. सफल निविदाकारों को आउटसोर्स कर्मचारियों को योग्यतानुसार के वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। उक्त पदों की योग्यता निम्नानुसार होना चाहिए :-

पद का नाम	पद हेतु अनिवार्य योग्यता
सहायक प्रोग्रामर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एन.सी.ए./एम.एस.सी. (गणित सांख्यिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स विषय) की स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पी.जी.डी.सी.ए. या किसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय से बी.ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स/सी.एस.सी.) में उपाधि उत्तीर्ण
डाटा एंट्री ऑपरेटर	**योग्यता** - 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के अंकों सहित स्नातक। 2. हिन्दी तथा अंग्रेजी टायपिंग में प्रवीण हो। 3. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डी.सी.ए. या समकक्ष।
भृत्य	कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

3. निविदा निर्धारित प्रपत्र में होना आवश्यक होगी।
4. सीलबंद निविदाएं जिला कलेक्टर कार्यालय बैतूल को **दिनांक 5.1.2021 को दोपहर 3.00 बजे तक** प्रस्तुत की जा सकेंगी। निविदाएं उसी दिन उपस्थित निविदाकारों के समक्ष 4.00 बजे खोली जावेंगी। नियत समय सीमा के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. निविदाकार का निविदा के साथ रुपये 10,000 (दस हजार रुपये मात्र) मात्र को अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगी।
6. निविदाकारों को आउटसोर्स कर्मचारी को जिला कार्यालय की कलेक्टर दर पर पृथक-पृथक पद हेतु कितनी-कितनी राशि की कटौती की जानी है एवं कितनी राशि जैसे कि मानदेय कर्मचारी को दी जानी है उसका स्पष्ट वित्तीय प्रपत्र में उल्लेख करें।
7. निविदाकारों की निविदा स्वीकृत होने पर प्रत्येक माह जिला निर्वाचन कार्यालय बैतूल से उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों की उपस्थिति के आधार पर भुगतान देयक उपलब्ध कराना होगा।
8. सफल निविदाकार को उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों की वेतन उपस्थिति के आधार पर ही दी जायेंगी तथा सफल निविदाकार द्वारा चयनित कर्मचारियों की राशि सीधे उनके खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य होगा।
9. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल का रहेगा एवं उनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य रहेगा। उनके निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकेगा।
10. उपलब्ध कराये गये कर्मचारी को जिले के किसी भी अनुविभागीय अधिकारी/तहसील कार्यालय में पदस्थ किया जायेगा जिसके लिए वह बाध्य होगा।
11. आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य हेतु अवकाश के दिवसों पर बुलाया जा सकता है। वह किसी भी समय कार्य कराने हेतु बाध्य रहेगा। सामान्य रूप से कार्य की अवधि प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.45 बजे तक रहेगा।
12. निविदा तथा उपलब्ध कराये कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन कराना अनिवार्य होगा। यदि उनके द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो निविदा अस्वीकृत की जाकर जमा की गई अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
13. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को एग्रीमेंट कराकर रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) की प्रतिभूति राशि का डिमांड ड्राफ्ट कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल के नाम से जमा करना होगा।
14. सफल निविदाकार के चयनित कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार के कृत्य के लिए निविदाकार उत्तरदायी रहेगी।
15. सफल निविदाकार द्वारा आउटसोर्स वाले पदों पर नियुक्त किये गये कर्मचारी नियमित नहीं माना जावेगा तथा किसी प्रकार के दावे के लिए निविदाकार स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
16. निविदाकार के पास शासन द्वारा पंजीकृत प्रमाण-पत्र एवं पंजीयन क्रमांक एवं विगत 3 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है तथा निविदाकार को निविदा के साथ उक्त संबंध का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। निविदा के साथ उक्त दस्तावेज नहीं पाये जाने पर निविदा स्वयं ही निरस्त मानी जावेगी।
17. अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारी को उनके निर्देश अनुसार निर्वाचन कार्य का समयावधि में पूर्ण करना होगा। यदि कर्मचारी को दिए निर्देशों के संबंध में लापरवाही बरतने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित कर्मचारी का वेतन की कटौती चयनित संस्था के देयक से कटौती की जावेगी।
18. श्रम पदाधिकारी कार्यालय में संबंधित एजेन्सी का पंजीयन होना आवश्यक होगा।
19. निविदा के फार्म जिला कलेक्टर कार्यालय निर्वाचन शाखा, बैतूल में कार्यालयीन समय 11.00 बजे से सायंकाल 03.00 बजे तक प्राप्त किया जावेगा। जिसका निर्धारित शुल्क रुपये 500/- (पांच सौ मात्र) होगा।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

जी-17242/44921/2021 **बैतूल**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मैकेनिकल खण्ड
लहारपुर डेम के समीप, बाग मुंगालिया भोपाल, पिनकोड : 462043

Phone No. 0755-2930001, E-Mail I.D. emphbpl@mp.nic.in

क्रमांक 2991/तक/का.यं./लो.स्वा./मैके. खण्ड/भोपाल/2020-21 **दिनांक : 23.12.2020**

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 27/2020-21 ऑनलाइन निविदा क्रमांक 2020_PHED_119825_1 दिनांक 23.12.2020

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, मैकेनिकल खण्ड, भोपाल के अंतर्गत भोपाल जिले में बैरसिया विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल प्रदाय कार्य हेतु 5 मीटर ऊंचाई के एमएस. स्ट्रक्चर पर पॉलीथिलीन टंकी की स्थापना कर पाइप लाइन द्वारा घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय कार्य हेतु ऑनलाइन डिजिटली हस्ताक्षरित निविदा **दिनांक 06.01.2021 सायं 17.30 बजे तक** केन्द्रीय पंजीयन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार से प्रपत्र **"Appendix 2.10"** पर आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु अभिलेखों जैसे प्रतिभूति राशि पावती, उक्त कार्य हेतु केन्द्रीय पंजीयन प्रणाली लोक निर्माण विभाग में पंजीयन का प्रमाण-पत्र इत्यादि (निविदा अनुसार) निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अपलोड करना होगा। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का विवरण :- भोपाल जिले में बैरसिया विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल प्रदाय कार्य हेतु 5 मीटर ऊंचाई के एम.एस. स्ट्रक्चर पर पॉलीथिलीन टंकी की स्थापना कर पाइप लाइन द्वारा घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय कार्य।

विकासखण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या	टेण्डर के प्राक्कलन की अनु. लागत राशि (रु.)	धरोहर राशि (रु.)	टेण्डर का मूल्य (रु.)	टेण्डर ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि	टेण्डर खुलने की तिथि	कार्य अवधि
बैरसिया	9	1,11,33,000/-	1,11,330/-	12,500/-	**06.01.2021 सायं 17.30 तक**	08.01.2021 15.00 बजे	कार्यादेश दिनांक से 05 माह

निविदा से संबंधित अन्य समस्त शर्तें एवं विवरण वेबसाइट पर **https://mptenders.gov.in निविदा क्रमांक 2020_PHED_119825_1 दिनांक 23.12.2020** उपलब्ध हैं।

कार्यपालन यंत्री

जी-17034/44908/2021 **लोक स्वास्थ्य यां, मैकेनिकल खण्ड, भोपाल**

संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
दूरभाष क्रमांक - 0755-2578491

E-mail : dirhort@mp.nic.in, midhhorti@mp.gov.in

क्रमांक/उद्यान/MIDH/PHM/2020-21/9695 **भोपाल, दिनांक : 23.12.2020**

संशोधित विज्ञप्ति

संचालनालय उद्यानिकी के पत्र क्रमांक/उद्यान/MIDH/PHM/2020-21/8872 A भोपाल दिनांक 26.11.2020 के द्वारा जारी विज्ञप्ति में निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधानों को जोड़कर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

2/ शासन स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार इस विज्ञप्ति के अंतर्गत केवल शीतगृह (कोल्ड स्टोरेज) टाईप - I स्थापना हेतु विकासखण्ड स्तर पर 1000 मी. टन एवं उद्यानिकी क्लस्टर में 500 मी. टन के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। मॉडल विकासखण्डों हेतु आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी, जिनकी सूची MPFSTS पोर्टल पर उपलब्ध है।

3/ इच्छुक कृषक/उद्यमी को ऑनलाइन आवेदन **दिनांक 10.01.2021 तक** तथा हार्डकॉपी 15 जनवरी 2021 तक आवेदन (परियोजना प्रस्ताव (DPR), बैंक द्वारा बैंक ऋण देने हेतु सहमति-पत्र तथा चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित बेसिक डाटाशीट/डिजाईन या तकनीकी डाटा सहित) संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, भोपाल कार्यालय में जमा करना होगा।

4/ पूर्व विज्ञप्ति दिनांक 26.11.2020 के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

जी-17068/44909/2021 **आयुक्त**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड सीधी (म.प्र.)

सम्राट चौराहा के पास, ई-मेल eephedsid@nic.in, फोन नम्बर 07822-252296

निविदा सूचना क्रमांक 12/नि.प्र./ब.ले.लि./का.यं./लो.स्वा.यां.वि./20-21 **सीधी, दिनांक : 29.12.2020**

निम्न कार्यों हेतु निविदा का ऑनलाइन वेबसाइट **http//:mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की **अंतिम तिथि 12.01.2021 सायं 5.30 बजे** तथा निविदा खुलने की तिथि 15.01.2021 को 11.00 बजे से 5.30 शाम तक है। निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

Name of work - Construction and existing of Piped Water Supply Scheme at Village - **Badaila New Scheme and Mayapur Retrofitting scheme Block Sihawal and Karwahi rewise scheme (RCC OHT, 75 KL, Sumpwell, 20KL, block sidhi Distt. SIDHI)** based on Tube wells including installation of electric submersible/centrifugal water motor pump, laying & jointing of rising main and distribution pipe line system, household tap connections, electric power connections at Tube wells including cost of all material & labour witn 90 Days Trial Run trial after successful completion work under Jal Jeevan Mission (JJM).

S.N.	Tender ID	Block	PAC (Rs. in Lakh)	E-EMD in Rs	Cost of Tender	No. of Calls
1.	PHED/EE/120986_1	सीधी, सिहावल	211.74	211740/-	15000/-	Ist Call

कार्यपालन यंत्री

जी-17203/44919/2021 **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड सीधी (म.प्र.)**

जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मैकेनिकल खण्ड, मोती महल, ग्वालियर

Ph. No. - 0751-2452685, E-mail-emphedgwa@mp.nic.in

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदाएं निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आमंत्रित की जाती हैं। पंजीकृत फर्मों से ऑनलाइन डिजीटली हस्ताक्षरित मोहरबंद निविदा अनुभवी ठेकेदार से प्रपत्र 'Appendix 2.10' पर आमंत्रित की जाती है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्य का नाम :- Construction of Piped Water Supply Stand Alone Water Supply Schemes with installation of 5000 or 2 x 5000 liters Polyethylene Water Storage Tank at 5 meter high MS staging to provide drinking water through Functional Household Tap Connections in various villages of Datia and Shivpuri Distict of Madhya Pradesh with all allied works and successful 90 Days trial run of the schemes. Complete work.

क्र.	जिला	विकासखण्ड	ई-निविदा आई.डी. क्रमांक	निविदा क्रमांक/ दिनांक	अनु. लागत (रुपये लाख में)	धरोहर राशि (रुपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपये में)	कार्य पूर्ण अवधि
1.	दतिया	दतिया, भाण्डेर, सेंवढा	2020_PHED_121036_1	27/2020-21 29.12.2020	194.41	194410/-	12500/-	150 दिवस
2.	शिवपुरी	कोलारस	2020_PHED_121060_1	28/2020-21 29.12.2020	161.11	161110/-	12500/-	150 दिवस
3.	शिवपुरी	शिवपुरी	2020_PHED_121064_1	29/2020-21 29.12.2020	135.51	135510/-	12500/-	150 दिवस
4.	शिवपुरी	पोहरी	2020_PHED_121070_1	30/2020-21 29.12.2020	197.28	197280/-	12500/-	150 दिवस

ई-निविदाएं ऑनलाइन खरीदने की **अंतिम तिथि :- 13.01.2021, समय 15.00 बजे तक।**
ई-निविदा में बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- 13.01.2021, समय 15.00 बजे तक।
ई-निविदा खोलने की तिथि व समय :- 15.01.2021, समय 15.00 बजे के पश्चात।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
जी-17269/44929/2021 मैकेनिकल खण्ड, ग्वालियर

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्दौर परिक्षेत्र इंदौर

फोन - 0731-2541498, फैक्स : 0731-2536575
(E-mail ID : cephedind@nic.in & cephedind@gmail.com)

निविदा सूचना क्रमांक - 07/2020-21, दिनांक 31.12.2020

इन्दौर परिक्षेत्र के अंतर्गत बुरहानपुर खण्ड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों की नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन कार्य हेतु निम्नानुसार निविदा सूचना ई-टेण्डरिंग पद्धति से ई-टेण्डर पोर्टल (**http://www.mptenders.gov.in/nicgep/app**) पर निविदा प्रपत्र "अपेन्डिक्स - 2.10" प्रतिशत दर पर आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	सिस्टम टेंडर क्रमांक	जिले/ खण्ड का नाम	विकासखण्ड	योजनाओं/ ग्रामों की संख्या	आमंत्रण का प्रकार	कार्य की अनु. लागत (रु. लाख में)	धरोहर राशि रु.	निविदा विक्रय एवं जमा की जाने की अंतिम तिथि
1.	2020_PHED 121507_1	Burhanpur	Burhanpur	25 Village	तृतीय आमंत्रण	567.03	567030/-	09.01.2021

नोट :-
1. निविदा के अन्य विवरण की विस्तृत जानकारी **http://www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है।
2. उपरोक्त निविदाओं में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा। उक्त संशोधन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही प्रकाशित किये जावेंगे।

अधीक्षण यंत्री (प्रोक्योरमेंट)
जी-17249/44923/2021 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इंदौर परिक्षेत्र, इंदौर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, खरगोन

फोन नं. : 07282-231402, eephedkhr@nic.in

क्रमांक/3528/निविदा/का.यं./लो.स्वा.यां./2020 खरगोन, दिनांक : 28.12.2020

निविदा सूचना क्रमांक 66/2020-21

कार्य का विवरण - खरगोन जिले के विकासखण्ड सेगांव/भीकनगांव के विभिन्न ग्रामों में शालाओं, आंगनवाड़ियों एवं अन्य शासकीय संस्थाओं में जल जीवन मिशन अंतर्गत पेयजल व्यवस्था हेतु निविदाएं "एपेन्डिक्स 2.10" पर ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल **http://mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की जाती हैं।

सिस्टम टेंडर नं. (2020_PHED)	विकास-खण्ड	स्कूल/आंगन-वाड़ियों की संख्या	कार्य की अनु. लागत रु. लाख में	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी नवीन पंजीयन अंतर्गत
120638	बड़वाह	76/31	172.31	1,72,315/-	12,500/-	02 माह वर्षाकाल सहित	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली
120639	बड़वाह	85/62	183.57	1,83,570/-	12,500/-	02 माह वर्षाकाल सहित	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली
120640	बड़वाह	84/49	192.25	1,92,250/-	12,500/-	02 माह वर्षाकाल सहित	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली
120641	भगवानपुरा	23/02	42.03	50,000/-	5,000/-	02 माह वर्षाकाल सहित	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली
120642	भगवानपुरा	36/03	72.66	72,660/-	10,000/-	02 माह वर्षाकाल सहित	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली
120643	भगवानपुरा	50/07	91.79	91,795/-	10,000/-	02 माह वर्षाकाल सहित	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली
120644	भगवानपुरा	45/15	93.28	93,285/-	10,000/-	02 माह वर्षाकाल सहित	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली
120646	भगवानपुरा	43/05	93.81	93,810/-	10,000/-	02 माह वर्षाकाल सहित	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली
120647	भगवानपुरा	38/10	97.96	97,965/-	10,000/-	02 माह वर्षाकाल सहित	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली
120757	खरगोन	35/29	70.61	70,610/-	10,000/-	02 माह वर्षाकाल सहित	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली
120758	खरगोन	44/35	87.64	87,640/-	10,000/-	02 माह वर्षाकाल सहित	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली

1. ऑनलाइन निविदा फार्म क्रय करने की एवं निविदा दर डालने की **अंतिम तिथि 12.01.2021, समय - 17.30 बजे।**
2. ऑनलाइन निविदा दर खोलने की तिथि - 14.01.2021।
3. निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाइट पर (ऑनलाइन सिस्टम) क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते हैं। निविदा एवं उससे संबंधित जानकारी ऊपर दर्शाई गई वेबसाइट पर देखें।

कार्यपालन यंत्री
जी-17329/44956/2021 लोक स्वा.यांत्रिकी खण्ड, खरगोन

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड - गुना (म.प्र.)

क्रमांक 4517/व.ले.लि./2020-21/का.यं./लो.स्वा.यां.वि./ गुना, दिनांक : 31.12.2020

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 40/व.ले.लि./2020-21

निम्नलिखित कार्य की निविदाएं ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल **http://www.mptenders.gov.in/nicgep/app** पर गुना जिले के विभिन्न विकासखण्डों के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत आर.सी.सी. ओवर हेड टैंक, पाइप लाइन, घरेलू नल कनेक्शन एवं विद्युत संयोजन कार्य हेतु निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित हैं।

स. क.	निविदा क्रमांक/ दिनांक	सिस्टम क्रमांक	विकास-खण्ड	ग्राम	निविदा की कुल लागत रु. (लाख में)	धरोहर राशि (EMD) निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1.	40/ 31.12.2020	2020_ PHED_ 121420_1	बमौरी	9	403.39	रु. 15000/-	6 माह वर्षाकाल छोड़कर	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
ऑनलाइन निविदा फॉर्म क्रय करने की **अंतिम तिथि : 08.01.2021, 17.30 बजे**
ऑनलाइन निविदा दर डालने की अंतिम तिथि : 08.01.2021, 17.30 बजे
ऑनलाइन निविदा दर खोलने की तिथि : 11.01.2021, 11.00 बजे
निविदा फॉर्म ऊपर दर्शित वेबसाइट पर (Online System) क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते हैं। निविदा एवं उससे संबंधित जानकारी ऊपर दर्शाई गई वेबसाइट पर देखें।

सदस्य, सचिव जिला जल एवं स्वच्छता मिशन तथा
जी-17256/44925/2021 कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड-गुना, जिला-गुना

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड, सीहोर (म.प्र.)

Mail ID :- cephseh@nic.in, Fax No. :- 07562-224092, Telephon No. : 07562 - 224092
NEW BUS STAND SEHORE 466001 (M.P.)

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 43/नि.प्र./खण्ड सीहोर/लो.स्वा.यां.वि./2020-21 सीहोर, दिनांक 28.12.2020

निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदारों से मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण सूचना जारी होने के दिनांक तक समस्त संशोधनों सहित ई-टेण्डरिंग पद्धति द्वारा ऑनलाइन निविदाओं में निहित शर्तों के अनुरूप आमंत्रित की जाती हैं, जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं कार्यों का विवरण वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। वेबसाइट पर होने वाली तकनीकी समस्याओं हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

कार्य - सीहोर जिले के विभिन्न विकासखण्डों अंतर्गत संचालित विभिन्न ग्रामीण शालाओं/आंगनवाड़ी केन्द्रों में नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल व्यवस्था का कार्य।

निविदा क्रमांक	एफ.एच.टी.सी. की संख्या	अनुमानित लागत (रु. में)	धरोहर राशि (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
कार्य - विकासखण्ड सीहोर (समूह - 01)					
2020_PHED_120048_1	350	46879000/-	468790/-	15000/-	06 माह
कार्य - विकासखण्ड सीहोर (समूह - 02)					
2020_PHED_120049_1	350	46879000/-	468790/-	15000/-	06 माह
कार्य - विकासखण्ड आष्टा (समूह - 01)					
2020_PHED_120052_1	258	34556520/-	345565/-	15000/-	06 माह
कार्य - विकासखण्ड आष्टा (समूह - 02)					
2020_PHED_120053_1	257	34422580/-	344226/-	15000/-	06 माह
कार्य - विकासखण्ड इछावर (समूह - 01)					
2020_PHED_120050_1	243	32547420/-	325474/-	15000/-	06 माह
कार्य - विकासखण्ड इछावर (समूह - 02)					
2020_PHED_120051_1	242	32413480/-	324135/-	15000/-	06 माह
कार्य - विकासखण्ड बुदनी					
2020_PHED_120054_1	297	39780180/-	397802/-	15000/-	06 माह
कार्य - विकासखण्ड नसरूल्लागंज (समूह - 01)					
2020_PHED_120055_1	262	35092280/-	350923/-	15000/-	06 माह
कार्य - विकासखण्ड नसरूल्लागंज (समूह - 02)					
2020_PHED_120056_1	262	35092280/-	350923/-	15000/-	06 माह

क्र.	कार्यक्रम का विवरण	निर्धारित निविदा कार्यक्रम (की डेट्स) एवं समय
01.	ऑनलाइन बिड सबमिशन की **अन्तिम दिनांक**	**11.01.2021, 05.30**
02.	बिड ओपनिंग दिनांक	13.01.2021, 11.30

कार्यपालन यंत्री
जी-17330/44955/2021 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड सीहोर (म.प्र.)

जब तक कोरोना की दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड ग्वालियर (म.प्र.)

फोन नं. : 0751-2231257, ई-मेल : eephedgwa@nic.in

निम्न कार्यों हेतु निविदा ऑनलाइन वेवसाइट **https://mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 30.12.2020 से दिनांक 13.01.2021 सायं 05:30 बजे तक** क्रय तथा दिनांक 30.12.2020 से दिनांक 13.01.2021 सायं 05:30 बजे तक ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने होंगे। निविदा खुलने की दिनांक 15.01.2021 दोपहर 01:00 बजे से हैं।

निविदा संशोधन की सूचना अलग से प्रकाशित नहीं की जावेगी। संशोधन संबंधी सूचनायें केवल वेबसाइट पर ही अपलोड की जावेंगी।

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड मुरार के ग्राम अडुपुरा जागीर की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

सं. क्र.	नि.आ.सू. क्र./दिनांक	ई-टेण्डर आई.डी.	जिला	कार्य की अनु. लागत (PAC) रु. में	प्रतिभूति राशि (EMD) रु. में	ऑनलाइन निविदा फार्म का मूल्य रु. में	आमंत्रण की संख्या
01.	118/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120827_1	ग्वालियर	59.53 लाख	59530/-	10000/-	द्वितीय

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड डबरा के ग्राम आरूपी की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

02.	119/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120828_1	ग्वालियर	51.90 लाख	51900/-	10000/-	द्वितीय

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड मुरार के ग्राम बहादुरपुर की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

03.	120/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120829_1	ग्वालियर	73.91 लाख	73910/-	10000/-	द्वितीय

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड मुरार के ग्राम वंधोली की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

04.	121/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120830_1	ग्वालियर	82.07 लाख	82070/-	10000/-	द्वितीय

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड मुरार के ग्राम वेरजा की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

05.	122/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120831_1	ग्वालियर	107.11 लाख	107110/-	12500/-	द्वितीय

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड मुरार के ग्राम बिल्हेटी की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

06.	123/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120832_1	ग्वालियर	162 लाख	162000/-	12500/-	द्वितीय

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड घाटीगांव के ग्राम घंगोरा, सेकरा एवं लावन का पुरा की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

07.	124/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120833_1	ग्वालियर	50.11 लाख	50110/-	10000/-	द्वितीय

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड घाटीगांव के ग्राम चराई श्यामपुर एवं सिरसा की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

08.	125/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120834_1	ग्वालियर	102.71 लाख	102710/-	12500/-	द्वितीय

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड मुरार के ग्राम गुठीना की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

09.	126/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120835_1	ग्वालियर	78.24 लाख	78240/-	10000/-	द्वितीय

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड मुरार के ग्राम हस्तिनापुर की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

10.	127/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120836_1	ग्वालियर	101.39 लाख	101390/-	12500/-	द्वितीय

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड डबरा के ग्राम किटोरा की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

11.	128/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120837_1	ग्वालियर	115.20 लाख	115200/-	12500/-	द्वितीय

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड मुरार के ग्राम पारसेन की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

12.	129/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120838_1	ग्वालियर	149.34 लाख	149340/-	12500/-	द्वितीय

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड डबरा के ग्राम पठा पनिहार की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

13.	130/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120839_1	ग्वालियर	91.87 लाख	91870/-	10000/-	द्वितीय

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड डबरा के ग्राम पठरी की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

14.	131/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120840_1	ग्वालियर	59.73 लाख	59730/-	10000/-	द्वितीय

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड डबरा के ग्राम सरनागत की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

15.	132/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120841_1	ग्वालियर	83.09 लाख	83090/-	10000/-	द्वितीय

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड डबरा के ग्राम शुक्लहारी की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

16.	133/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120842_1	ग्वालियर	111.51 लाख	111510/-	12500/-	द्वितीय

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड घाटीगांव के ग्राम सिंगोरा एवं धुंआ की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

17.	134/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120843_1	ग्वालियर	113.48 लाख	113480/-	12500/-	द्वितीय

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मैकेनिकल खण्ड

लहारपुर डैम के समीप, बाग मुंगालिया भोपाल, पिनकोड : 462043

Phone No. : 0755-2930001, E-Mail I.D. : emphbpl@mp.nic.in

क्रमांक 3053/तक/का.यां./लो.स्वा./मैके.खण्ड/भोपाल/2020-21 **दिनांक : 29.12.2020**

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 32/2020-21

ऑनलाइन निविदा क्रमांक 2020_PHED_120783_1 दिनांक 29.12.2020

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, मैकेनिकल खण्ड भोपाल के अंतर्गत बैतूल जिले में भैंसदेही एवं आठनेर विकासखण्डों के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल प्रदाय कार्य हेतु 5 मीटर ऊंचाई के एम.एस. स्ट्रक्चर पर पोलीथिलीन टंकी की स्थापना कर पाइप लाइन द्वारा घरेलु नल कनेक्शन प्रदाय कार्य हेतु ऑनलाइन डिजिटली हस्ताक्षरित निविदा **दिनांक 11.01.2021 सायं 17.00 बजे तक** केन्द्रीय पंजीयन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार से प्रपत्र "Appendix 2.10" पर आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु अभिलेखों जैसे प्रतिभूति राशि पावती, उक्त कार्य हेतु केन्द्रीय पंजीयन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग में पंजीयन का प्रमाण-पत्र इत्यादि (निविदा अनुसार) निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अपलोड करना होगा। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का विवरण :- बैतूल जिले में भैंसदेही एवं आठनेर विकासखण्डों के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल प्रदाय कार्य हेतु 5 मीटर ऊंचाई के एम.एस. स्ट्रक्चर पर पोलीथिलीन टंकी की स्थापना कर पाइप लाइन द्वारा घरेलु नल कनेक्शन प्रदाय कार्य।

विकासखण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या	टेण्डर के प्राक्कलन की अनु. लागत राशि (रुपये)	धरोहर राशि (रुपये)	टेण्डर का मूल्य (रुपये)	टेण्डर ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि	टेण्डर खुलने की तिथि	कार्य अवधि
भैंसदेही एवं आठनेर	10	1,14,46,000/-	1,14,460/-	12,500/-	12.01.2021 सायं 17.00 तक	13.01.2021, 17.15 बजे	कार्यादेश दिनांक से 05 माह

निविदा से संबंधित अन्य समस्त शर्तें एवं विवरण वेबसाइट पर **https://mptenders.gov.in** निविदा क्रमांक **2020_PHED_120783_1 दिनांक 29.12.2020** उपलब्ध है।

कार्यपालन यंत्री

जी-17310/44950/2021 **लोक स्वा.यां. मैकेनिकल खण्ड, भोपाल**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मैकेनिकल खण्ड

लहारपुर डैम के समीप, बाग मुंगालिया भोपाल, पिनकोड : 462043

Phone No. : 0755-2930001, E-Mail I.D. : emphbpl@mp.nic.in

क्रमांक 3055/तक/का.यां./लो.स्वा./मैके.खण्ड/भोपाल/2020-21 **दिनांक : 29.12.2020**

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 33/2020-21

ऑनलाइन निविदा क्रमांक 2020_PHED_120786_1 दिनांक 29.12.2020

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, मैकेनिकल खण्ड भोपाल के अंतर्गत बैतूल जिले में बैतूल एवं मुल्ताई विकासखण्डों के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल प्रदाय कार्य हेतु 5 मीटर ऊंचाई के एम.एस. स्ट्रक्चर पर पोलीथिलीन टंकी की स्थापना कर पाइप लाइन द्वारा घरेलु नल कनेक्शन प्रदाय कार्य हेतु ऑनलाइन डिजिटली हस्ताक्षरित निविदा **दिनांक 12.01.2021 सायं 17.00 बजे तक** केन्द्रीय पंजीयन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदार से प्रपत्र "Appendix 2.10" पर आमंत्रित की जाती है। निविदा हेतु अभिलेखों जैसे प्रतिभूति राशि पावती, उक्त कार्य हेतु केन्द्रीय पंजीयन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग में पंजीयन का प्रमाण-पत्र इत्यादि (निविदा अनुसार) निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अपलोड करना होगा। निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का विवरण :- बैतूल जिले में बैतूल एवं मुल्ताई विकासखण्डों के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल प्रदाय कार्य हेतु 5 मीटर ऊंचाई के एम.एस. स्ट्रक्चर पर पोलीथिलीन टंकी की स्थापना कर पाइप लाइन द्वारा घरेलु नल कनेक्शन प्रदाय कार्य।

विकासखण्ड का नाम	ग्रामों की संख्या	टेण्डर के प्राक्कलन की अनु. लागत राशि (रुपये)	धरोहर राशि (रुपये)	टेण्डर का मूल्य (रुपये)	टेण्डर ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि	टेण्डर खुलने की तिथि	कार्य अवधि
बैतूल एवं मुल्ताई	14	1,67,14,000/-	1,67,140/-	12,500/-	12.01.2021 सायं 17.00 तक	13.01.2021, 17.15 बजे	कार्यादेश दिनांक से 05 माह

निविदा से संबंधित अन्य समस्त शर्तें एवं विवरण वेबसाइट पर **https://mptenders.gov.in** निविदा क्रमांक **2020_PHED_120786_1 दिनांक 29.12.2020** उपलब्ध है।

कार्यपालन यंत्री

जी-17309/44951/2021 **लोक स्वा.यां. मैकेनिकल खण्ड, भोपाल**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, खण्ड - गुना (म.प्र.)

क्रमांक 4512/व.ले.लि./2020-21/का.यं./लो.स्वा.यां.वि./ **गुना, दिनांक : 31.12.2020**

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 39/व.ले.लि./2020-21

निम्नलिखित कार्य की निविदाएं ई-टेण्डरिंग पद्धति से पोर्टल **http://www.mptenders.gov.in/nicgep/app** पर गुना जिले के विभिन्न विकासखण्डों के विभिन्न ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत आर.सी.सी. ओवर हेड टैंक, पाइप लाइन, घरेलु नल कनेक्शन एवं विद्युत संयोजन कार्य हेतु निविदाएं निम्नानुसार आमंत्रित हैं।

स. क्र.	निविदा क्रमांक/ दिनांक	सिस्टम क्रमांक	विकास-खण्ड	ग्राम	निविदा की कुल लागत रु. (लाख में)	धरोहर राशि (EMD) निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1.	39/ 31.12.2020	2020_ PHED_ 120172_1	आरोन	8	322.32	रु. 15000/-	6 माह वर्षाकाल छोड़कर	नवीन केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

ऑनलाइन निविदा फॉर्म क्रय करने की **अंतिम तिथि : 08.01.2021, 17.30 बजे**

ऑनलाइन निविदा दर डालने की अंतिम तिथि : 08.01.2021, 17.30 बजे

ऑनलाइन निविदा दर खोलने की तिथि : 11.01.2021, 11.00 बजे

निविदा फॉर्म ऊपर दर्शित वेबसाइट पर (Online System) क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते हैं। निविदा एवं उससे संबंधित जानकारी ऊपर दर्शाई गई वेबसाइट पर देखें।

सदस्य, सचिव जिला जल एवं स्वच्छता मिशन तथा

जी-17258/44926/2021 **कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड-गुना, जिला-गुना**

कार्य का संक्षिप्त विवरण :- विकासखण्ड डबरा के ग्राम सिसगॉवं की नल जल प्रदाय जल जीवन मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग कार्य।

18.	135/ 29.12.2020	2020_PHED_ 120844_1	ग्वालियर	87.90 लाख	87900/-	10000/-	द्वितीय

कार्यपालन यंत्री

जी-17317/44954/2021 **लो.स्वा.यां. खण्ड ग्वालियर**

प्री-नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2020 के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं
(केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए)

आवेदन पत्र भरने की तिथि : 5 जनवरी 2021 से 19 जनवरी 2021 तक	ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी	आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि : 5 जनवरी 2021 से 24 जनवरी 2021 तक

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय	महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय	उत्तर अंकित का समय
06 फरवरी 2021 एवं 07 फरवरी 2021 (शनिवार एवं रविवार)	प्रथम	प्रातः 07.00 से 08.00 बजे तक	प्रातः 08.50 से 09.00 बजे तक (10 मिनिट)	प्रातः 09.00 से 11.00 तक (2.00 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 12.00 से 01.00 बजे तक	दोपहर 1.50 से 2.00 बजे तक (10 मिनिट)	दोपहर 02.00 से 04.00 तक (2.00 घंटे)

❖ **परीक्षा शहर : भोपाल/जबलपुर/सागर/उज्जैन/इंदौर/ग्वालियर/रतलाम/सतना/दमोह।**

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश :

❖ **वेबसाइट www.peb.mponline.gov.in के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है।**

पी.ई.बी. परीक्षा शुल्क

अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए	रु. 400/-
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निः शक्तजन अभ्यर्थियों के लिए	रु. 200/-

ऑनलाइन आवेदन : कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क रु. 60/- देय होगा।

रजिस्टर्ड सिटिजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क रु. 20/- देय होगा।

विशेष निर्देश :

1. अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
3. बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई एक चयनित कर सकता है यू.आई.डी.ए.आई (**UIDAI**) के द्वारा सत्यापित (**verify**) होने पर ही ई आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
4. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड ई-आधार/आधार नंबर की छायाप्रति की जानकारी लाना अनिवार्य है।
5. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।
6. परीक्षार्थी को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
7. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रोनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, केलकुलेटर, लांग टेबल्स एवं नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
8. ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
9. परीक्षा केंद्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन तथा परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
10. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
11. आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण पी.ई.बी. द्वारा नहीं किया जाता है। अतः कंप्यूटर आधारित **Online** परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (**Eligibilty**) पूर्णतः प्राविधिक (**Provisional**) होगी।
12. कोविड -19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

विज्ञापन क्रमांक - 45/2020 **संचालक**

विशेष नोट : बोर्ड अपनी सुविधानुसार परीक्षा तिथि/शहरों/केन्द्रों एवं अन्य बिन्दुओं में परिवर्तन कर सकता है।

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड
'चयन भवन' मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट), भोपाल- 462011
फोन : 0755-2578801-02, फैक्स : +91-755-2550498

म.प्र. माध्यम/99457/44959/2021

कृषि विज्ञान प्रयोगशालाओं की प्रौद्योगिकी

युवा उद्यमियों और किसानों के लिए है बेहद उपयोगी

भोपाल, कृषि विज्ञान प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और विकास से विकसित प्रौद्योगिकी प्रदेश के युवा उद्यमी और किसानों के लिए बेहद उपयोगी होगी। इससे उद्यमी और किसान स्वयं आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की संकल्पना को भी मूर्त रूप मिलेगा। ये विचार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए व्यक्त किये।

श्री सखलेचा ने कहा कि आत्मनिर्भर देश और प्रदेश के निर्माण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और प्रौद्योगिकी यानी व्यवहारिक विज्ञान के मिलन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित उद्योगों और कृषि के विकास में युवा उद्यमियों को जोड़ने और प्रौद्योगिकी की जानकारी विशेषज्ञों के माध्यम से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वेबिनार श्रृंखला आयोजित की गई है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि हमने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत रक्षा एवं अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ से की थी, जिसका उद्देश्य प्रदेश के युवा उद्यमियों को रक्षा विज्ञान की स्वदेशी प्रौद्योगिकी से परिचित कराना था। मेपकॉस्ट के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने कहा कि वेबिनार का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों से जोड़ना और देश की विज्ञान प्रयोगशालाओं में विकसित प्रौद्योगिकी से प्रदेश के युवा उद्यमियों को परिचित कराना है।

वेबिनार का आयोजन मेपकॉस्ट, एमएसएमई विभाग, मध्यप्रदेश शासन और विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। वेबिनार का विषय था 'सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग' द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए अवसर रखा गया था।

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग (सीआईएई), भोपाल के निदेशक डॉ. सी.आर. मेहता ने अपने प्रजेंटेशन के दौरान एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन के लिए विकसित नई प्रौद्योगिकी के बारे में बताया।

कृषि में डिवीजन के प्रमुख डॉ. पी.सी. वारगले ने कृषि प्रसंस्करण और सेवाओं में प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण पर विचार व्यक्त किये। विज्ञान भारती के जनरल सेक्रेटरी और यूआईटी, आरजीपीवी के निदेशक डॉ. एस.एस. भदौरिया ने कृषि क्षेत्र में आरएंडडी के लिए इंजीनियरिंग छात्रों की भूमिका पर व्याख्यान के दौरान बताया कि कृषि को आधुनिक बनाने और पैदावार को बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग के छात्रों को शिक्षण-प्रशिक्षण और नवाचारों के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

चौपाल लगाकर गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलायेगी सरकार

ग्वालियर, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में आयोजित जनसमस्या निवारण शिवर में कहा है कि जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन तब तक होता रहेगा जब तक सभी गरीबों को लाभ नहीं मिल जाता। पात्र हितग्राही के घर-घर जाकर एवं चौपाल लगाकर प्रदेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ दिलाया जायेगा। कोई भी गरीब बिना राशन के न रहे प्रदेश सरकार की यही मंशा है। शिविर के माध्यम से आमजनों की समस्याओं का निराकरण आसानी से हो सके, इसीलिए प्रत्येक क्षेत्र में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। श्री तोमर ने कहा कि गरीबों एवं असहाय लोगों के लिए काम करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है।

शिविर में लगभग 4500 आवेदन आये। इन समस्याओं को श्री तोमर ने गंभीरता से सुना और उनमें से कुछ समस्याओं का निदान तुरंत किया तथा कुछ संबंधित विभाग के अधिकारी को भेज कर जल्द ही आम जनों को लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। शिविर में बिजली बिल से संबंधित सबसे ज्यादा समस्या आई, उन समस्याओं के निराकरण के लिए ऊर्जा मंत्री ने विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों को बुलाकर मौके पर ही समस्याओं का निराकरण करवाकर हितग्राही को संतुष्ट कर घर भेजा।

शिवशक्ति नगर निवासी श्रीमती मुन्नी बाई प्रजापति ने बताया कि उनको पिछले 23 वर्ष से विधवा पेंशन नहीं मिल रही थी। शिविर के माध्यम से 2 घंटे में पेंशन मिलने पर मुन्नीबाई प्रजापति ने मंत्री श्री तोमर का धन्यवाद देते हुए कहा कि मैंने विधवा पेंशन के लिए कई बार प्रयास किया परंतु कोई न कोई कमी बताकर मेरी पेंशन रुक जाती थी।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न - खेल

1. मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम किस शहर में स्थित है?
(अ) भोपाल (ब) नई दिल्ली
(स) देहरादून (द) लखनऊ

2. इस वर्ष महिला बिग बैश लीग का खिताब किस टीम ने जीता है?
(अ) पर्थ स्कॉचर्स
(ब) सिडनी सिक्सर्स
(स) सिडनी थंडर्स
(द) ब्रिस्बेन हीट

3. फ्रांसीसी फुटबॉलर पॉल पोग्बा प्रीमियर लीग में किस क्लब के लिए खेलते हैं?
(अ) लिवरपूल
(ब) मैनचेस्टर सिटी
(स) मैनचेस्टर यूनाइटेड
(द) इनमें से कोई नहीं

4. अमेरिका के रेयान क्रूजर किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी हैं?
(अ) एथेलेटिक्स (ब) गोल्फ
(स) निशानेबाजी (द) शतरंज

5. न्यूजीलैंड ने किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्डकप जीता है?
(अ) वर्ष 1997 (ब) वर्ष 2000
(स) वर्ष 2005 (द) वर्ष 2017

6. इस वर्ष बहरीन ग्रांप्री फॉर्मूला वन रेस किसने जीती है?
(अ) सर्जियो पेरेज
(ब) वाल्टेरी बोटास
(स) एलेक्जेंडर एल्बोन
(द) लुईस हैमिल्टन

7. सबसे ज्यादा बार बुंदेस लीगा का खिताब किस क्लब ने जीता है?
(अ) बायर्न म्युनिख
(ब) बोरूसिया डॉर्टमंड
(स) बायर लिवरकुसेन
(द) इनमें से कोई नहीं

8. गोल्फर डेरेन क्लार्क किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं?
(अ) अमेरिका (ब) कनाडा
(स) आयरलैंड (द) दक्षिण अफ्रीका

9. वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग में चैम्पियन बनीं थीं?
(अ) गर्बाइन मुगुरूजा
(ब) सिमोना हालेप
(स) सेरेना विलियम्स
(द) नाओमी ओसाका

10. सेंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है?
(अ) सचिन तेंदुलकर
(ब) सुनील गावस्कर
(स) संदीप पाटिल
(द) अजय जडेजा

11. पूर्व फुटबॉलर गर्ड मुलर किस देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं?
(अ) ब्राजील (ब) जर्मनी
(स) इटली (द) अर्जेंटीना

12. इनमें से किसने वर्ष 2012 में फॉर्मूला वन चैम्पियनशिप जीती थी?
(अ) लुईस हैमिल्टन
(ब) सबेस्टियन वेटल
(स) किमि राइकोनेन
(द) निको रोसबर्ग

13. ऑस्ट्रेलिया की शायना जैक किस खेल से संबंधित हैं?
(अ) तैराकी (ब) आईस हॉकी
(स) स्कीइंग (द) फुटबॉल

14. वर्ष 2002 में एशियाई खेल कहां आयोजित किए गए थे?
(अ) दोहा (कतर)
(ब) जकार्ता (इंडोनेशिया)
(स) बुसान (दक्षिण कोरिया)
(द) कोलंबो (श्रीलंका)

15. इनमें से किस क्रिकेटर की मृत्यु मैच के दौरान गेंद लगने से हुई थी?
(अ) फिलिप ह्यूज
(ब) डीन जोंस
(स) हैंसी क्रोन्जे
(द) इनमें से कोई नहीं

16. वर्ष 2019 में वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी?
(अ) स्लोवेनिया (ब) नॉर्वे
(स) हंगरी (द) रोमानिया

17. सीमा पूनिया किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं?
(अ) लंबी कूद
(ब) चक्का फेंक
(स) ऊँची कूद
(द) भाला फेंक

18. इनमें से किस देश को टोक्यो ओलिंपिक से प्रतिबंधित किया गया है?
(अ) नाइजीरिया (ब) अजरबेजान
(स) केन्या (द) रूस

19. विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप 2019 में इनमें से किस महिला पहलवान ने कांस्य पदक जीता है?
(अ) साक्षी मलिक
(ब) दिव्या काकरान
(स) विनेश फोगाट
(द) कविता कुमारी

20. डेनिस रॉल्टन किस देश के विख्यात टेनिस खिलाड़ी रह चुके हैं?
(अ) अर्जेंटीना (ब) स्पेन
(स) ब्रिटेन (द) अमेरिका

21. रोजर फेडरर ने किस वर्ष फ्रेंच ओपन टाइटल जीता था?
(अ) वर्ष 2009 (ब) वर्ष 2014
(स) वर्ष 2012 (द) वर्ष 2018

22. एशेज सीरीज किन दो देशों के बीच खेली जाने वाली एक क्रिकेट प्रतियोगिता है?
(अ) इंग्लैंड-न्यूजीलैंड
(ब) ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड
(स) इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया
(द) दक्षिण अफ्रीका-वेस्टइंडीज

23. हॉकी को ओलिंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था?
(अ) वर्ष 1904
(ब) वर्ष 1908
(स) वर्ष 1912
(द) वर्ष 1920

24. इनमें से किस देश ने फुटबॉल में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में वर्ल्डकप जीता है?
(अ) ब्राजील (ब) स्पेन
(स) इटली (द) जर्मनी

25. वर्ष 2015 में रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी?
(अ) मुंबई (ब) गुजरात
(स) सौराष्ट्र (द) कर्नाटक

उत्तर

1. (ब), 2. (स), 3. (स), 4. (अ), 5. (ब), 6. (द), 7. (अ), 8. (स), 9. (द), 10. (स), 11 (ब), 12. (ब), 13. (अ), 14. (स), 15. (अ), 16. (स), 17. (ब), 18. (द), 19. (स), 20. (द), 21. (अ), 22. (स), 23. (ब), 24. (द), 25. (अ)

- **पुष्पेन्द्र कुमार सविता**
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी विषयों पर लेखन करते हैं।)

प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

प्र. 1. शिक्षा मनोविज्ञान है?
(a) शिक्षा का एक अंग है
(b) मनोविज्ञान का एक अंग है
(c) शिक्षा प्रदायक कॉलेज
(d) प्रयोग विधि है
उत्तर- (b) मनोविज्ञान का एक अंग है
व्याख्या- स्किनर के अनुसार - "शिक्षा मनोविज्ञान" मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्ययन तथा सीखने से है।
स्टीफन - शिक्षा मनोविज्ञान बालक के शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है।

प्र. 2. मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है? यह कथन किसका है।
(a) वुडवर्थ (b) मुनरो
(c) वाटसन (d) मैकडूगल
उत्तर- (c) वाटसन
साइकोलॉजी लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है - आत्मा का अध्ययन।

प्र. 3. सीखने का अन्तर्दृष्टि सिद्धान्त किसने दिया?
(a) गेस्टालवादियों ने
(b) व्यवहारवादियों ने
(c) दक्षिण पंथियों ने
(d) वाम पंथियों ने
उत्तर- (a) गेस्टालवादियों ने
व्याख्या- गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ समग्रता है। अन्तर्दृष्टि सिद्धान्त की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में की।

प्र. 4. बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक थे?
(a) महात्मा गांधी
(b) महर्षि अरविन्द
(c) गुरुदेव टैगोर
(d) डॉ. हुसैन
उत्तर- (a) महात्मा गांधी
व्याख्या- बुनियादी शिक्षा को वर्धा योजना, नयी तालीम तथा बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। गांधीजी ने 1937 में इसकी योजना बनायी।

प्र. 5. निम्न में तत्सम शब्द है।
(a) गोपाल (b) घर
(c) घी (d) घड़ा
उत्तर- (a) गोपाल

प्र. 6. He..... this work since morning?
(a) is doing
(b) has been doing
(c) does
(d) has done
उत्तर- (b) has been doing

प्र. 7. निम्न में से किसमें प्रत्यय है।
(a) विकल (b) अलक
(c) धनिक (d) अभाव
उत्तर- (c) धनिक

प्र. 8. जो व्याकरण जानता हो?
(a) व्याकरणज्ञ
(b) वैयाकरण
(c) व्याक पंडित
(d) व्याक प्रणेता
उत्तर- (b) वैयाकरण
व्याख्या- व्याकरण जानने वाला - वैयाकरण

प्र. 9. निम्न में व्यंजन संधि है?
(a) वाक् + ईश
(b) नमः + कार
(c) विद्या + आलय
(d) ने + अन
उत्तर- (a) वाक् + ईश
व्याख्या- वाक + ईश = वागीश (व्यंजन)

प्र. 10. निम्न में बोली है?
(a) बिहारी (b) मगही
(c) पहाड़ी (d) राजस्थानी
उत्तर- (b) मगही
व्याख्या- बिहारी, पहाड़ी एवं राजस्थानी हिन्दी की उपभाषाएँ हैं जबकि मगही बिहारी उपभाषा की बोली है।
एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियाँ होती हैं।

प्र. 11. निम्न में गलत है?
(a) खेत आना
(b) सोचते रहना
(c) ख्याली पुलाव
(d) गुड़ियों का खेल
उत्तर- (b) सोचते रहना
व्याख्या- सोचते रहना के अतिरिक्त शेष सभी मुहावरे हैं।
* खेत आना - युद्ध में मारा जाना
* ख्याली पुलाव - सिर्फ कल्पना करना
* गुड़ियों का खेल - सहज काम

प्र. 12. काव्य की आत्मा 'रस' के कितने अंग होते हैं?
(a) 09 (b) 08
(c) 04 (d) 33
उत्तर- (c) 04
व्याख्या- रस के निम्न 04 अंग हैं -
1. स्थायी भाव
2. विभाव
3. अनुभाव
4. संचारी भाव

प्र. 13. निम्न पर्यायवाची में गलत जोड़ा है?
(a) विद्युत - सौदामिनी
(b) वृक्ष - विटप
(c) शत्रु - भुजंग
(d) स्त्री - बनिता
उत्तर- (c) शत्रु - भुजंग
व्याख्या- * भुजंग शेषनाग का पर्याय है।
* शत्रु का पर्याय है - अरि, रिपु, अमित्र, वैरी आदि।

प्र. 14. जिसके पास कुछ न हो?
(a) अकिंचन
(b) अद्वैतवादी
(c) नास्तिक
(d) अल्पज्ञ
उत्तर- (a) अकिंचन
व्याख्या- * जो कम जानता हो - अल्पज्ञ।

प्र. 15. निम्न में कुल कितने त्रिभुज हैं?

(a) 5 (b) 10
(c) 7 (d) 8
उत्तर- (b) 10
व्याख्या- हल करने का तरीका निम्नवत है -

→ 1 + 2 + 3 + 4 = 10 त्रिभुज

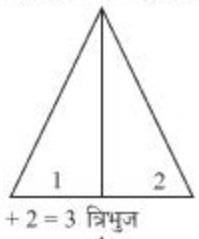

→ 1 + 2 = 3 त्रिभुज

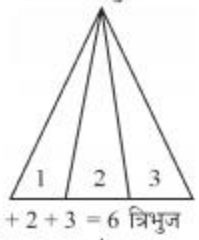

→ 1 + 2 + 3 = 6 त्रिभुज

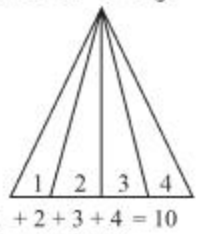

→ 1 + 2 + 3 + 4 = 10
कुल 10 त्रिभुज

प्र. 16. निम्न में गलत जोड़ा है?
(a) ह्यूमस = जीवांश
(b) पी.एच. (pH) = शुद्धता मापांक
(c) वेटलैंड = आर्द्रभूमि
(d) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (b) पी.एच. (pH) = शुद्धता मापांक
व्याख्या- विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को बताने वाले pH स्केल में 01 से 14 अंक होते हैं। अम्लीय घोलों का pH मान 07 से कम, क्षारीय का pH मान 7 से अधिक एवं उदासीन जैसे पानी का pH मान 7 होता है।

प्र. 17. निम्न में गलत जोड़ा है?
(a) हाथी परियोजना प्रारंभ = 1992
(b) ओजोन परत = क्षोभमंडल
(c) वर्ल्ड वाइल्ड फन्ड प्रतीक = जाइण्ट पाण्डा
(c) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (b) ओजोन परत = क्षोभमंडल
व्याख्या- समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 30 किमी के बीच स्थित ओजोन परत परावैगनी किरणों को अवशोपित करती है। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितम्बर को मनाया जाता है।

प्र. 18. सबसे छोटी प्राकृत संख्या है?
(a) 01 (b) 00
(c) 09 (d) 1729
उत्तर- (a) 01
व्याख्या- गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में संख्यांक '0' को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है जैसे - 0, 1, 2, 3, 4 .....
→ सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है।

प्र. 19. निम्न में से मिलियन है?
(a) 10^6 (b) 10^9
(c) 10^{12} (d) 10^{14}
उत्तर- (a) 10^6
व्याख्या- एक मिलियन = दस लाख (10^6)
एक बिलियन = एक अरब (10^9)
→ 10 लाख = 1 मिलियन = 1 के बाद 6 शून्य

प्र. 20. प्रथम 10 सम संख्याओं का योग होगा?
(a) 100 (b) 110
(c) 220 (d) 150
उत्तर- (b) 110
व्याख्या- 1 से 20 तक सम संख्या 10 हैं।
सूत्र → $= n(n+1)$
$= 10(10+1)$
$= 10 \times 11$
$= 110$

प्र. 21. निम्न में बड़ी भिन्न है?
(a) $\frac{3}{5}$ (b) $\frac{4}{5}$
(c) $\frac{7}{5}$ (d) $\frac{9}{5}$
उत्तर- (d) $\frac{9}{5}$
व्याख्या- सामान हर वाली भिन्नों में वही भिन्न बड़ी होती है, जिसका अंश बड़ा होता है (अंश/हर)

प्र. 22. 25% को भिन्न में कैसे लिखेंगे?
(a) $\frac{25}{100}$ (b) $\frac{1}{2}$
(c) $\frac{3}{5}$ (d) $\frac{1}{4}$
उत्तर- (d) $\frac{1}{4}$
व्याख्या- $25\% = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$

प्र. 23. प्रथम पाँच अभाज्य संख्याओं का औसत होगा?
(a) 7.5 (b) 5.6
(c) 4.7 (d) 8.9
उत्तर- (b) 5.6
व्याख्या- औसत $= \frac{2+3+5+7+11}{5}$
$= \frac{28}{5} = 5.6$

प्र. 24. मापन की S.I. पद्धति में लम्बाई का मात्रक है?
(a) मिलीमीटर
(b) किलोमीटर
(c) मीटर
(d) सेंटीमीटर
उत्तर- (c) मीटर
व्याख्या- S.I. पद्धति में लम्बाई, द्रव्यमान तथा समय का मूल मात्रक है क्रमशः मीटर, किलोग्राम तथा सेकेण्ड।

प्र. 25. दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है?
(a) 40% (b) 80%
(c) 60% (d) 35%
उत्तर- (b) 80%
व्याख्या- माना तीसरी संख्या = 100
तो पहली = 120
दूसरी संख्या = 150
प्रतिशत $= \frac{120}{150} \times 100 = 80\%$

प्र. 26. MOST OPPOSITE WORD?
"PUNISHMENT"
(a) Compensation
(b) Reward
(c) Ugliness
(d) Whipped
उत्तर- (b) Reward

-जितेन्द्र सिंह भदौरिया
(लेखक, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी लेखन करते हैं)

आत्मनिर्भर भारत योजना में पात्र संस्थाओं को लाभान्वित किया जाएगा

भोपाल, सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत पात्र संस्थाओं को अगले 3 वर्ष में लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्थाओं एवं विपणन संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया जारी है। आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत सहकारिता विभाग द्वारा कृषि अधोसंरचना निधि से वर्ष 2020-21 में 251 संस्थाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक विभाग द्वारा 160 संस्थाओं का चयन किया जाकर नेपकोन द्वारा कुल 14.40 करोड़ रुपये की 23 डीपीआर भी प्रस्तुत की गई हैं।

डॉ. भदौरिया ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत कृषि अधोसंरचना कोष से पात्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, मार्केटिंग सोसायटी तथा बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को ऋण सुविधा दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम 4 वर्ष के लिए प्रदेश के समस्त विभागों हेतु कुल मिलाकर 7440 करोड़ रुपये का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि सहकारिता विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों एवं विपणन संस्थाओं के चयन हेतु संभागवार वेबिनार से प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है।

इस वर्ष 25 प्रतिशत अधिक फसल ऋण वितरित

डॉ. भदौरिया ने बताया कि किसानों को जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में 12 हजार 53 करोड़ रुपये का फसल ऋण किसानों को वितरित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष 2019-20 में 9 हजार 646 करोड़ रुपये का फसल ऋण वितरित किया गया था इस प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष किसानों को 25 प्रतिशत अधिक फसल ऋण का वितरण किया गया।

पीएम किसान योजना के 63 हजार से अधिक हितग्राहियों को केसीसी जारी

सहकारिता विभाग द्वारा इस वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों को चिन्हित कर सभी पात्र 63 हजार 96 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। जिनमें से अभी तक 49 हजार 276 कृषकों को 175.96 करोड़ रुपये फसल ऋण का लाभ भी दिया जा चुका है। किसानों के अलावा प्रदेश में पशुपालकों, मत्स्य पालकों एवं अन्य कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं ऐसे 14271 हितग्राहियों को कुल 4145.67 लाख रुपये की कार्यशील पूंजी साख सीमा स्वीकृत की जाकर लाभान्वित किया गया।

गत वर्ष की अपेक्षा 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक उर्वरक वितरित

प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से वर्ष 2019-20 में 18.04 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक वितरित किया गया था जबकि वर्ष 2020-21 में 21.13 लाख मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक वितरित किया गया है, जो कि गत वर्ष की अपेक्षा 3.09 लाख मीट्रिक टन अधिक है। राज्य शासन के निर्देशानुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी साख द्वारा रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण योजना का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

सागर जिले में पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का लोकार्पण

सागर, पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने सागर जिले के ग्राम रतौना में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 9 करोड़ 70 लाख की लागत के पशु प्रजनन प्रक्षेत्र और 5 करोड़ रुपये की लागत के कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान व छात्रावास भवन, प्रशासनिक भवन और पशुशेड का लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर 16 गौशालाओं के संचालन के लिए 14 लाख 70 हजार की राशि के चेक भी स्वसहायता समूह की महिलाओं को वितरित किए।

पशुपालन मंत्री ने कहा कि देशी नस्ल की गायों के संरक्षण, संवर्धन और उन्नयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया गया है। पूरे देश में केवल 13 राज्यों के 20 स्थानों पर गोकुल मिशन शुरू किया गया है। जिसमें मध्यप्रदेश में बुंदेलखण्ड के सागर जिले के रतौना का चयन किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे कृषि प्रधान देश में गौमाता का स्थान महत्वपूर्ण है। देशी गायों की नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि आदि के लिए कार्य किए जाएंगे। यहां के कृषकों को आधुनिक तरीके से पशुपालन का प्रशिक्षण दिया जाए। कृत्रिम गर्भाधन के लिए 10वीं पास युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे उन्हें रोज़गार के अवसर मिलेंगे। प्रशिक्षण के उपरान्त 50 हजार रुपये की किट दी जाएगी। एक बैच में 30 लोगों की 30 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद दो माह की मैदानी ट्रेनिंग होगी।

प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र

1. शैशवावस्था किसे कहा जाता है?
(A) जन्म से 6 वर्ष तक
(B) 0-5 वर्ष तक
(C) जन्म से 5 वर्ष तक
(D) जन्म से 4 वर्ष तक
उत्तर- (A) जन्म से 6 वर्ष तक।

2. किशोरावस्था किसे कहा जाता है?
(A) 12-18 वर्ष
(B) 6-18 वर्ष
(C) 18-22 वर्ष
(D) 12-16 वर्ष
उत्तर- (A) 12-18 वर्ष।

3. 'पूर्व प्राथमिक' शिक्षा ग्रहण करने के लिये उपयुक्त आयु निम्नलिखित में से क्या है?
(A) 2-5 वर्ष (B) 3-6 वर्ष
(C) 2-6 वर्ष (D) 2-4 वर्ष
उत्तर- (C) 2-6 वर्ष।

4. विकास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
(A) कार्य क्षमता में वृद्धि
(B) व्यवहार में परिवर्तन
(C) स्वभाव एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर- (D) उपर्युक्त सभी।

5. मानव की ज्ञानेन्द्रि कौन-सी नहीं है?
(A) गला (B) नाक
(C) आंख (D) जीभ
उत्तर- (A) गला।

6. बाल विकास से संबंधित पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है?
(A) बन्दूरा और वाल्टर्स
(B) सी.एल. हल
(C) राधाकृष्ण मुखर्जी
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (B) सी.एल. हल।

7. कोई बच्चा निम्नलिखित में से किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है?
(A) बाल्यावस्था
(B) किशोरावस्था
(C) शैशवावस्था
(D) प्रौढ़ावस्था
उत्तर- (A) बाल्यावस्था।

8. विकास की दशा क्या होती है?
(A) निश्चित
(B) अनिश्चित
(C) निश्चित व अनिश्चित दोनों प्रकार की
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर- (A) निश्चित।

9. शैशवावस्था की विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं है?
(A) शारीरिक विकास की तीव्रता
(B) दूसरों पर निर्भरता
(C) नैतिकता का होना
(D) मानसिक विकास
उत्तर- (C) नैतिकता का होना

10. तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास निम्नलिखित में से किस आयु पर होता है?
(A) 7 वर्ष (B) 10 वर्ष
(C) 9 वर्ष (D) 11 वर्ष
उत्तर- (D) 11 वर्ष।

11. अवधारणाओं का विकास निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है?
(A) शारीरिक विकास
(B) सामाजिक विकास
(C) बौद्धिक विकास
(D) संवेगात्मक विकास
उत्तर- (C) बौद्धिक विकास।

12. विकास में बुद्धि से निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है?
(A) ज्ञान में वृद्धि
(B) संवेग में वृद्धि
(C) वजन में वृद्धि
(D) आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि
उत्तर- (D) आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि।

13. माता-पिता से संतानों में प्राप्त होने वाले गुणों को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं?
(A) वंश
(B) वातावरण
(C) वंशानुक्रम
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर- (C) वंशानुक्रम

14. आनुवांशिकता के मूल संवाहक क्या हैं?
(A) प्रोटीन
(B) जीन्स
(C) विटामिन्स
(D) कार्बोहाइड्रेट्स
उत्तर- (B) जीन्स।

15. निम्नलिखित में से कौन नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं है?
(A) स्कूल
(B) पुस्तकालय
(C) शिक्षण विधि
(D) धर्म
उत्तर- (D) धर्म।

16. वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर किस प्रकार से संबंधित हैं?
(A) निर्भर
(B) पूरक
(C) सहयोग
(D) उपरोक्त सभी
उत्तर- (D) उपरोक्त सभी।

17. अन्वेषक के रूप में बालक अपनी समस्याओं की खोज निम्नलिखित में से किस रूप में करता है?
(A) निरीक्षण
(B) सामान्यीकरण
(C) प्रमाणीकरण
(D) सभी
उत्तर- (D) सभी।

18. निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है?
(A) शारीरिक
(B) सामाजिक
(C) सांस्कृतिक
(D) उपर्युक्त सभी
उत्तर- (D) उपर्युक्त सभी।

19. 'ए माइण्ड दैट फाउण्ड इट सेल्फ' पुस्तक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(A) मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से
(B) खगोल विज्ञान से
(C) पर्यावरण से
(D) दर्शन शास्त्र से
उत्तर- (A) मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से।

20. सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है?
(A) समाजीकरण
(B) व्यक्तिकरण
(C) उदारीकरण
(D) वैश्वीकरण
उत्तर- (A) समाजीकरण।

21. बच्चों के समाजीकरण का मुख्य साधन निम्नलिखित में से क्या है?
(A) सड़क
(B) घर
(C) मंदिर
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (B) घर।

22. 'प्रतिद्वन्द्वात्मक समाजीकरण' की अवस्था कौन-सी है?
(A) शैशवास्था
(B) किशोरावस्था
(C) प्रौढ़ावस्था
(D) बाल्यावस्था
उत्तर- (D) बाल्यावस्था।

23. पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है?
(A) 3 (B) 4
(C) 2 (D) 5
उत्तर- (B) 4

24. प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किस बात का ध्यान रखा जाता है?
(A) शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर जोर
(B) सिद्धांतों के रटने पर जोर
(C) केवल बालक के नैतिक और सामाजिक विकास पर जोर
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर- (A) शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर जोर।

25. 'शिक्षक समाज में ईश्वर का प्रतिनिधि है' निम्न में से यह कथन किसका है?
(A) एविंगहास (B) फराडे
(C) स्किनर (D) जोनदवी
उत्तर- (D) जोनदवी।

26. व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला पहला उपागम निम्नलिखित में से क्या था?
(A) मनोविश्लेषणात्मक उपागम
(B) संज्ञानात्मक उपागम
(C) शीलगुण उपागम
(D) शरीरगठनात्मक उपागम
उत्तर- (A) मनोविश्लेषणात्मक उपागम।

27. स्किनर के अनुसार व्यक्तित्व मापन के लिये कौन-सी विधि महत्वपूर्ण नहीं है?
(A) सम्मोहन
(B) आत्म प्रतिवेदन विधि
(C) आत्मनिरंचित विधि
(D) व्यवहार का दैनिक माप
उत्तर- (B) आत्म प्रतिवेदन विधि।

28. बालक सांवेगिक अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से कैसे प्रस्तुत करता है?
(A) रोकर
(B) हंसकर
(C) रोकर और हंसकर दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (C) रोकर और हंसकर दोनों।

29. भाषा सीखने का साधन निम्नलिखित में से है?
(A) अनुकरण
(B) खेल
(C) बातचीत
(D) इनमें से सभी
उत्तर- (D) इनमें से सभी।

30. भाषा विकास को निम्नलिखित में से क्या प्रभावित करता है?
(A) बुद्धि
(B) स्वास्थ्य
(C) जन संचार माध्यम
(D) ये सभी
उत्तर- (D) ये सभी।

31. एक अच्छी पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है?
(A) लैंगिक समानता
(B) लैंगिक पूर्वाग्रह
(C) सामाजिक उत्तरदायित्व
(D) लैंगिक संवेदनशीलता
उत्तर- (B) लैंगिक पूर्वाग्रह।

32. वैयक्तिक विभिन्नता क्या कहलाती है?
(A) किन्हीं दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना
(B) सभी व्यक्तियों का व्यक्तित्व समान होता है
(C) सभी की बुद्धि क्षमता का असमान होना
(D) दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक स्वरूपों में भिन्नता।
उत्तर- (D) दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक स्वरूपों में भिन्नता।

33. व्यक्तियों में भाषा के विकास की अवस्थायें होती हैं?
(A) समान
(B) भिन्न-भिन्न
(C) समान तथा भिन्न-भिन्न
(D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (B) भिन्न-भिन्न।

34. बालकों के प्रकार निम्नलिखित में से क्या है?
(A) अंतर्मुखी-बहिर्मुखी
(B) केवल अंतर्मुखी
(C) केवल बहिर्मुखी
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर- (A) अंतर्मुखी-बहिर्मुखी।

35. आकलन के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित में से कौन-से हैं?
(A) निदानात्मक आकलन
(B) विद्यालयी आकलन
(C) सृजनात्मक आकलन
(D) A तथा C दोनों
उत्तर- (D) A तथा C दोनों

36. अंग संचालन में दोषमुक्त छात्रों को निम्नलिखित में से प्रायः किस प्रकार की समस्या होती है?
(A) बैठने की समस्या
(B) सोने की समस्या
(C) लिखने की समस्या
(D) कोई समस्या नहीं होती
उत्तर- (C) लिखने की समस्या।

37. गणित को समझने की अशक्तता क्या कहलाती है?
(A) डिस्मोरफिया
(B) डिस्ग्राफिया
(C) डिस्लेक्सिया
(D) डिस्कैल्कुलिया
उत्तर- (D) डिस्कैल्कुलिया।

38. भ्रम किससे संबंधित है?
(A) डिस्लेक्सिया
(B) डिस्मोरफिया
(C) जम्बलिंग
(D) एप्रेक्सिया
उत्तर- (B) डिस्मोरफिया।

39. ब्रेल लिपि तकनीक उपयोगी है?
(A) संपूर्ण रूप से अंध बालकों के लिये
(B) अर्ध अंधबालकों के लिये
(C) सामान्य बालकों के लिये
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर- (A) संपूर्ण रूप से अंध बालकों के लिये।

40. मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है?
(A) असफलता का भय न होना
(B) धीमी गति से सीखना
(C) सम्प्रेषण में कमी
(D) आत्मविश्वास में कमी
उत्तर- (A) असफलता का भय न होना।

41. सृजनात्मक का सिद्धांत कौन-सा नहीं है?
(A) मनोविश्लेषणात्मक
(B) अस्तित्ववाद
(C) ब्रह्म दृष्टिवाद
(D) साहचर्यवाद
उत्तर- (C) ब्रह्म दृष्टिवाद।

42. भारत में किशोर न्याय अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया?
(A) 1986 (B) 1988
(C) 1987 (D) 1995
उत्तर- (A) 1986

43. बच्चे के फेल होने का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य निकलता है?
(A) बच्चा पढ़ाई के लिये योग्य नहीं है।
(B) व्यवस्था फेल हुई है।
(C) बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिये थी।
(D) उपरोक्त सभी।
उत्तर- (B) व्यवस्था फेल हुई है।

44. बच्चों में सीखने के आवश्यक तत्व निम्नलिखित में से कौन-से हैं?
(A) अभ्यास (B) तत्परता
(C) अंतःदृष्टि (D) सभी
उत्तर- (D) सभी।

- पूर्वी जैन
(लेखिका, प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी विषयों पर लेखन करती हैं।)

मध्यप्रदेश विकास के क्षेत्र में बनाएगा अलग पहचान

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नागरिकों को नववर्ष की बधाई देते हुये कहा कि मध्यप्रदेश आने वाले वर्षों में विकास के क्षेत्र में अलग पहचान बनाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने में मध्यप्रदेश आगे रहेगा। इसके लिए प्रदेश के हर नागरिक को अपनी भागीदारी भी करना है।

मुख्यमंत्री ने नव वर्ष के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों को बधाई देते हुए अपेक्षा की है की प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण इस राज्य को बेहतर मानव संसाधन का लाभ मिलेगा। हर व्यक्ति प्रगति में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करेगा। मध्यप्रदेश सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए चिंतित और प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि गत 9 माह में लिए गए निर्णय यह सिद्ध करते हैं कि कृषि, ग्रामीण विकास, अधोसंरचना, औद्योगिक विकास, शहरी कल्याण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधन, जनजातीय विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। माफिया चाहे किसी भी तरह का हो राज्य में पैर नहीं फैला पाएगा। मिलावट के विरुद्ध राज्य सरकार ने सख्त अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन स्थापित कर हम मध्यप्रदेश को बेहतर राज्य बनाएंगे।

श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से संशोधन कर प्रावधान किया जा रहा है कि सेवा प्रदाय की तय सीमा तक यदि आवेदक को अधिकारी द्वारा सेवा प्रदाय नहीं की जाती है तो वे सेवायें स्वतः ही निर्धारित समय-सीमा के बाद आवेदक को मिल जाएंगी। इसे डीम्डे सेवा कहा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून में संशोधन कर मिलावट के दोषियों को 6 माह के कारावास और एक हजार रुपये तक के जुर्माने के स्थान पर आजीवन कारावास और जुर्माना प्रतिस्थापित किया गया है। मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास होगा। श्री चौहान ने कहा कि कानून में यह दोनों संशोधन जनकल्याण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं।

श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश, कोरोना जैसी गंभीर समस्या को अवसर में बदलने में सफल रहा है। प्रदेश में राजस्व संग्रहण बढ़ रहा है। विकास के लिए बजट उपलब्ध करवाकर योजनाओं का क्रियान्वयन तेज किया गया है। अपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया जा रहा है। निर्माण कार्य को फिर से गति मिली है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे आगमन 2021 के अवसर पर शिरडी में सांई बाबा से प्रदेश के नागरिकों के कल्याण की प्रार्थना कर रहे हैं।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

नवीनतम आर्थिक सामान्य ज्ञान

(1) 'उन्नति' कार्यक्रम को किसने प्रारंभ किया है?
(अ) नासा (ब) इसरो
(स) ऑक्सफोर्ड (द) यूनिसेफ
उत्तर - (ब) इसरो
व्याख्या- इसका पूरा नाम 'इसरो द्वारा यूनीस्पेस नैनो उपग्रह समुच्चयन एवं प्रशिक्षण' है।

(2) 'निष्ठा' कार्यक्रम का उद्देश्य है?
(अ) 2030 तक टीबी का उन्मूलन
(ब) कोविड-19 का उन्मूलन
(स) एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सीखने के परिणाम में सुधार करना
(द) सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना
उत्तर - (स) एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सीखने के परिणाम में सुधार करना।
व्याख्या- इस मिशन का उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने तथा बढ़ावा देने के लिये शिक्षकों को प्रेरित व प्रशिक्षित करना है।

(3) 'ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट' कौनसा संगठन जारी करता है?
(अ) विश्व बैंक
(ब) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(स) विश्व आर्थिक मंच
(द) भारतीय रिज़र्व बैंक
उत्तर - (स) विश्व आर्थिक मंच।

(4) निम्न में से सही कथन बताइये?
(अ) यदि विदेशी निवेशक कंपनी के 10 प्रतिशत या अधिक शेयर प्राप्त कर लेता है, तो इस निवेश को 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश' कहते हैं।
(ब) भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दो अलग-अलग मार्गों के माध्यम से अनुमति दी जाती है।
(स) उपरोक्त दोनों सत्य हैं
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर - (स) उपरोक्त दोनों सत्य हैं।

(5) नेशनल कैरियर सर्विस (एन. सी. एस.) कब प्रारंम्भ की गई?
(अ) 20 जुलाई 2015
(ब) 20 जुलाई 2016
(स) 25 जुलाई 2017
(द) उपरोक्त सभी
उत्तर - (अ) 20 जुलाई 2015

(6) 'ध्रुव' कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रारंम्भ किया गया है?
(अ) विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय
(ब) उद्योग मंत्रालय
(स) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय)
(द) उपरोक्त सभी
उत्तर - (स) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय)

(7) 'युविका' योजना कब प्रारम्भ की गई?
(अ) 2019 (ब) 2020
(स) 2018 (द) 2017
उत्तर - (अ) 2019
व्याख्या- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 'युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 'युविका' को प्रारम्भ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान तथा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर मौलिक ज्ञान प्रदान करना है।

(8) 'रोज़गार सेतु पोर्टल' किसके द्वारा शुरू किया गया है?
(अ) केन्द्र सरकार
(ब) मध्यप्रदेश सरकार
(स) उत्तरप्रदेश सरकार
(द) बिहार सरकार
उत्तर - (ब) मध्यप्रदेश सरकार
व्याख्या- मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे श्रमिकों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिये इस पोर्टल को प्रारम्भ किया है।

(9) नवीन राष्ट्रीय नंबरिंग योजना किसके द्वारा लागू करने की सिफारिश की गई है?
(अ) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
(ब) नीति आयोग
(स) मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(द) उपरोक्त सभी
उत्तर - (अ) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
व्याख्या- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इसकी सिफारिश की है, ताकि प्रत्येक ग्राहक को विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जा सके। नियामक प्राधिकरण का मानना है कि टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होने के कारण उपलब्ध नंबरिंग संसाधनों की उपलब्धता कम है। वर्तमान में उपलब्ध नंबरिंग योजना को वर्ष 2003 में 30 वर्षों के लिये अपनाया गया था। भारत में टेलीफोन ग्राहकों की कुल संख्या जनवरी 2020 में 1,177.02 मिलियन थी। वर्तमान में 10 अंकों पर आधारित मोबाइल नंबर होते हैं। जनवरी 2020 के आकड़ों के अनुसार देश में टेली घनत्व 87.45 प्रतिशत है।

(10) आर्बिट्रेज फंड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिये और सही कथन/कथनों को बताइये?
(अ) यह एक प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं।
(ब) इसका प्रयोग अधिकांशतः उन निवेशकों द्वारा किया जाता है, जो अस्थिर बाजारों से जोखिम उठाये बिना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं।
(स) यह फंड 'नकद बाजार' और वायदा बाजार में शेयरों के बीच मूल्य के अंतर का लाभ उठाकर कार्य करते हैं।
(द) उपरोक्त सभी
उत्तर - (द) उपरोक्त सभी
व्याख्या- वास्तव में नकद बाजार में शेयर की कीमत क्रेता द्वारा चुकाई गई 'वर्तमान कीमत' होती है, जिसे स्पॉट प्राइस 'कहा जाता है, जबकि वायदा बाजार में शेयर की कीमत भविष्य में किसी विंदु पर चुकाई जाने वाली प्रत्याशित कीमत होती है।

(11) बैंक बोर्ड ब्यूरो (बी.बी.बी.) की स्थापना किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी?
(अ) रघुराम राजन समिति
(ब) पी.जे. नायक समिति
(स) उर्जित पटेल समिति
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर - (ब) पी.जे. नायक समिति
व्याख्या- देश के बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियों को दूर करने के लिय वर्ष 2014 में पी.जे. नायक की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इस बोर्ड ने 1 अप्रैल 2016 से कार्य करना प्रारम्भ किया, इसके गठन की घोषणा, 28 फरवरी 2016 को हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है।

(12) न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी?
(अ) जुलाई, 2015
(ब) जुलाई, 2016
(स) जून, 2015
(द) जून, 2016
उत्तर - (अ) जुलाई, 2015
व्याख्या- वर्ष 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में आयोजित हुये छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) देशों ने इसकी स्थापना के लिये फोर्टालेजा समझौते पर हस्ताक्षर किये। इसका मुख्यालय शंघाई (चीन) में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष ब्राजील के मार्कोस ट्रॉयजो तथा उपाध्यक्ष व सी.आर.ओ. भारत के अनिल किशोरा हैं।

(13) भारत में सिक्योरिटी मार्केट के लिये नियम कौनसी संस्था बनाती है?
(अ) इरडा (ब) सेबी
(स) एन.एस.ई. (द) बी.एस.ई.
उत्तर - (ब) सेबी
व्याख्या- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है।

(14) भारत का सबसे अधिक धान पैदा करने वाला राज्य कौनसा है?
(अ) महाराष्ट्र (ब) मध्यप्रदेश
(स) पश्चिम बंगाल (द) उड़ीसा
उत्तर - (स) पश्चिम बंगाल

(15) राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी?
(अ) मार्च 2014 (ब) मार्च 2015
(स) मार्च 2016 (द) मार्च 2017
उत्तर - (अ) मार्च 2014
व्याख्या- 28 मार्च 2014 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी।

(16) निम्न में से सत्य कथन/कथनों को बताइये ?
(अ) आगत प्राप्त करने के लिये एक फर्म को जो भुगतान करना होता है, वह उत्पादन लागत होती है।
(ब) उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा आगतों को निर्गत में परिवर्तित करना सम्भव होता है।
(स) आगम और लागत के बीच के अन्तर को लाभ कहते हैं।
(द) उपरोक्त सभी सत्य कथन हैं।
उत्तर - (द) उपरोक्त सभी सत्य कथन हैं।

(17) निम्न में से कौनसा कथन 'मांग फलन' की व्याख्या करता है?
(अ) सरकार द्वारा मांग में वृद्धि।
(ब) किसी वस्तु की मात्रा के लिये उपभोक्ता के इष्टतम चयन और उसकी कीमत में संबंध।
(स) किसी वस्तु की मात्रा के लिये उपभोक्ता के इष्टतम चयन और उसकी पूर्ति में संबंध।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर - (ब) किसी वस्तु की मात्रा के लिये उपभोक्ता के इष्टतम चयन और उसकी कीमत में संबंध।
व्याख्या- अन्य बातें समान रहने पर (जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि तथा अन्य वस्तुओं की कीमतें) मांग फलन वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा और कीमत के बीच सम्बन्ध को बताती है।

(18) निम्न स्तरीय वस्तुओं के संदर्भ में निम्न में से कौनसा कथन सत्य है?
(अ) मोटे अनाज निम्न स्तरीय वस्तुयें होती हैं।
(ब) ये वस्तुयें मांग के नियम के अनुरूप व्यवहार करती हैं।
(स) एक उपभोक्ता की मांग निम्नस्तरीय वस्तुओं के लिये उसी दिशा में गति करती है, जिस दिशा में उसकी आय करती है।
(द) उपरोक्त सभी असत्य कथन हैं।
उत्तर - (अ) मोटे अनाज निम्न स्तरीय वस्तुयें होती हैं।

(19) निम्न में से सही कथन बताइये?
(अ) ऊर्जा की मांग आपूर्ति परिदृश्यों और ऊर्जा दक्षता के लिय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बी.ई.ई.) द्वारा अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशियंसी पोटेंशियल रणनीति अपनाई गई है।
(ब) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के उपबंधों के तहत 1 मार्च 2002 को की गई थी।
(स) दोनों सत्य हैं
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर - (स) दोनों सत्य हैं।
व्याख्या- यह ब्यूरो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है।

(20) वर्ष 2020-21 के लिये भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
(अ) उदय कोटक
(ब) संजीव बजाज
(स) महेन्द्र कोटक
(द) रतन टाटा
उत्तर - (अ) उदय कोटक
व्याख्या- भारतीय उद्योग परिसंघ एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है। इस संगठन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लगभग 9100 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1895 में हुई थी।

(21) केन्द्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है?
(अ) दिल्ली (ब) मुंबई
(स) लखनऊ (द) देहरादून
उत्तर - (स) लखनऊ
व्याख्या- यह संस्थान वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक अग्रणी पादप अनुसंधान प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। इसके चार शोध केन्द्र बेंगलुरु, हैदराबाद, पंतनगर एवं पुरारा (बागेश्वर, उत्तराखंड) में स्थित हैं।

(22) 'सहकार मित्र': इंटर्नशिप कार्यक्रम पर योजना (सिप) किसके द्वारा प्रारम्भ की गई है?
(अ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
(ब) केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(स) कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय
(द) कौशल विकास मंत्रालय
उत्तर - (अ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।

- डॉ. माया राठी
(लेखिका, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय, भोपाल में अर्थशास्त्र की प्राध्यापक हैं।)

नई मशीनों पर किसानों को मिलेगा अनुदान

भोपाल, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं नर्मदा घाटी विकास राज्यमंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि लहसुन, प्याज, भिण्डी आदि उद्यानिकी फसलों की बुवाई, प्लांटेशन की केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा निर्मित नई मशीनें किसानों को उपलब्ध करवाने में सरकार अनुदान देगी।

राज्यमंत्री श्री कुशवाह ने केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नबीबाग में प्रसंस्करण मशीनों का भी अवलोकन किया। उन्होंने प्याज भंडारण के लिए बहुत ही कम कीमत में नई तकनीक से विकसित तकनीक को भी समझा और इसकी सराहना की। श्री कुशवाह ने कहा कि उद्यानिकी फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए बुवाई, पौध रोपाई, निराई, गुड़ाई आदि के लिए हाल ही में विकसित मशीनें और तकनीक किसानों के जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकती है। जरूरत है किसानों को इन मशीन और तकनीकों को अपनाने में मदद देने की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परम्परागत मशीनों के स्थान पर उन्नत नई मशीनों को अनुदान सूची में शामिल करने के निर्देश दिए। श्री कुशवाह ने कहा कि किसानों को सब्जी और फलों की खेती के लिए विकसित नई मशीनों को खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा।

सब्जी, मसाले और फलों का प्रसंस्करण किसान खुद करेंगे

श्री कुशवाह ने कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के भ्रमण के बाद राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी का अवलोकन किया। राज्यमंत्री श्री कुशवाह ने केंद्र में मसाले और फलों की प्रसंस्करण इकाई को देखा। उन्होंने कहा कि प्रसंस्करण की यह छोटी-छोटी इकाइयों का लाभ किसानों को भी मिलेगा। इन इकाइयों को किसान खुद संचालित कर सकता है। उन्होंने कहा कि अब उद्यानिकी कृषक केवल सब्जी, फलों की फसलें उत्पादित ही नहीं करेगा बल्कि इनका प्रसंस्करण भी करेगा। किसान उद्यानिकी फसल को कच्चे उत्पाद को व्यापारियों को कम कीमत पर नहीं बल्कि प्रसंस्करण कर धनिया, हल्दी, मिर्ची, मसाले, टमाटर, आलू आदि का प्रसंस्करण कर तैयार सामग्री सीधे उपभोक्ताओं तक देगा। इसके लिए किसानों को छोटी फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाने में और फूड प्रोसेसिंग का प्रशिक्षण देने में उद्यानिकी विभाग द्वारा योजना बना ली गई है।

श्री कुशवाह ने केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान नबीबाग में संस्था की गतिविधियों का अवलोकन कर निदेशक डॉ. आर.सी. मेहता से कहा कि वह मंत्री के रूप में नहीं एक किसान के रूप में संस्थान की मशीनों को देखने आये हैं। इन मशीनों का लाभ राज्य के उद्यानिकी कृषक लें यह सुनिश्चित करना है। फल अनुसंधान केंद्र में डॉ. शालिनी चक्रवर्ती ने फल प्रसंस्करण प्लांट और कृषकों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की जानकारी दी।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए

तर्कशक्ति

प्र. (1-5) निम्नलिखित पहेली को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए -
आठ व्यक्ति P, Q, R, S, T, U, V और W एक पंक्ति में बैठे हैं। उनमें से कुछ उत्तर दिशा की ओर और कुछ दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। चार व्यक्ति Q और R के बीच बैठे हैं। W, R के ठीक दाएं बैठा है। केवल एक व्यक्ति Q और R के दाईं ओर बैठा है। Q और W एक ही दिशा की ओर मुख किए हैं। P, W के समान दिशा की ओर मुख किया है और S के बाएं दूसरे स्थान पर है। S, R के ठीक बाएं बैठा है। दो व्यक्ति P और T के बीच बैठे हैं। कोई भी T के दाईं ओर नहीं बैठता है। U, V के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठता है, लेकिन V, Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है। U उत्तर की ओर देख रहा है। P, U के ठीक बाएं नहीं बैठा है।
प्रश्नों के उत्तर दीजिए -

प्र. (1) कौन पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है?
(a) R (b) T
(c) U (d) P

प्र. (2) P के ठीक बाएं कौन बैठा है?
(a) U (b) S
(c) T (d) V

प्र. (3) Q के संदर्भ में V का क्या स्थान है?
(a) दाएं से दूसरा
(b) दाएं से तीसरा
(c) बाएं से दूसरा
(d) बाएं से तीसरा

प्र. (4) V के ठीक दाएं कौन बैठा है?
(a) P (b) S
(c) R (d) W

प्र. (5) U और W के बीच कितने व्यक्ति हैं?
(a) 4 (b) 5
(c) 3 (d) 2

उत्तर - **(1-5)**
(1) → (b) T
(2) → (d) V
(3) → (d) बाएं से तीसरा
(4) → (b) S
(5) → (a) 4

व्याख्या - **(1-5)** प्रश्नानुसार,

प्र. (6-10) निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए -
एक निश्चित कूट में,
'lockdown spike case' को **'no wp ob'** कहा जाता है।
'school crops download' को **'tb sb ub'** कहा जाता है।
'case crops request' को **'mb wp tb'** कहा जाता है।
'scooters farmers lockdown' को **'no ib kb'** कहा जाता है।

प्र. (6) **'crops'** का क्या कूट है?
(a) kb (b) zp
(c) tb (d) ib

प्र. (7) **'lockdown'** का क्या कूट है?
(a) kb (b) ib
(c) ob (d) no

प्र. (8) **'scooters'** का क्या कूट है?
(a) kb (b) ib
(c) ib/kb (d) ob

प्र. (9) **'mb'** किसका कूट है?
(a) school (b) request
(c) spike (d) farmers

प्र. (10) **'case'** का क्या कूट है?
(a) wp (b) no
(c) ob (d) mb

उत्तर - **(6-10)**
(6) → (c) tb
(7) → (d) no
(8) → (c) ib/kb
(9) → (b) request
(10) → (a) wp

व्याख्या - **(6-10)** प्रश्नानुसार,

lockdown spike (case) → no (wp) ob
school [crops] download → [tb] sb ub
(case) [crops] request → mb (wp) [tb]
scooters farmers lockdown → no ib kb

प्र. (11) **कथन -**
K > L = P ≥ N > M < Q < G > Y
निष्कर्ष -
(a) G > N
(b) M < K
उत्तर - केवल (b) सही है।
व्याख्या - (a) x
(b) ✓

प्र. (12) **कथन -**
T ≤ Y < R = Z > B > O < W ≤ U
निष्कर्ष -
(a) Z > T
(b) R > O
उत्तर - दोनों सही हैं।
व्याख्या - (a) ✓
(b) ✓

प्र. (13) **कथन -**
S = R ≤ H < V = O = M ≥ Q ≥ X
निष्कर्ष -
(a) X < O
(b) O = X
उत्तर - या तो (a) या (b) सत्य है।

प्र. (14) **कथन -**
K < E < C > H ≥ L ≥ S < O
निष्कर्ष -
(a) K < H
(b) C ≥ S
उत्तर - दोनों गलत हैं।
व्याख्या - (a) x
(b) x

प्र. (15) **कथन -**
Q > G = Y ≥ S ≥ I = P < B
निष्कर्ष -
(a) B > I
(b) G > P
उत्तर - केवल (a) सही है।
व्याख्या - (a) ✓
(b) x

प्र. (16) **कथन -**
सभी life, good है।
सभी life, bad है।
कुछ bad, iron है।
निष्कर्ष -
(a) कुछ bad, good है।
(b) कुछ iron, life है।
उत्तर - केवल (a) सत्य है।
व्याख्या - कथनानुसार,

(a) ✓
(b) x

प्र. (17) **कथन -**
सभी papaya, mango हैं।
कुछ mango, yellow हैं।
कोई yellow, black नहीं है।
निष्कर्ष -
(a) कुछ mango, black नहीं हैं।
(b) कुछ papaya, black हो सकते हैं।
उत्तर - दोनों सत्य हैं।
व्याख्या - कथनानुसार,

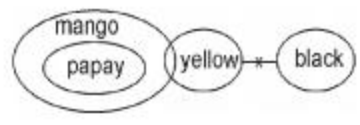

(a) ✓
(b) ✓

प्र. (18) **कथन -**
कुछ car, bike हैं।
सभी bike, bus हैं।
कुछ bike, truck हैं।
निष्कर्ष -
(a) सभी bus, car हैं।
(b) सभी truck, bike हो सकते हैं।
उत्तर - केवल (b) सत्य है।
व्याख्या - कथनानुसार,

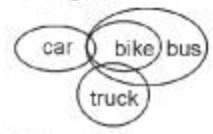

(a) x
(b) ✓

प्र. (19) **कथन -**
कुछ star, moon हैं।
कोई moon, black नहीं हैं।
कुछ black, sun है।
निष्कर्ष -
(a) कोई sun, moon नहीं है।
(b) कुछ star, sun नहीं है।
उत्तर - दोनों असत्य है।
व्याख्या - कथनानुसार,

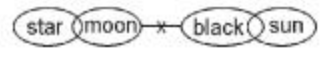

(a) x
(b) x

प्र. (20-21) यदि F, E का पति है और B, C की बहन है। H, D का पती है, जो E की पुत्रवधू है। G की केवल एक संतान है, जो A है। G, D का ब्रदन-इन-लॉ है। H, C का ब्रदर-इन-लॉ है। F, A का दादा/नाना है। B, D की बहन है।

प्र. (20) A, F से किस प्रकार संबंधित है?
(a) पुत्र
(b) वहू
(c) नातिन
(d) तय नहीं कर सकते

प्र. (21) G, E से किस प्रकार संबंधित है?
(a) पुत्र
(b) नाती
(c) पुत्री
(d) पोती

उत्तर - **(20-21)**
(d) तय नहीं कर सकते
(a) पुत्र

व्याख्या - **(20-21)** प्रश्नानुसार,

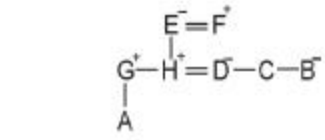

प्र. (22-25) आठ व्यक्ति एक इमारत की आठ अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबसे नीचे वाली मंजिल को 1 गिना जाता है और इसी क्रम से सबसे ऊपरी मंजिल को 8। M, एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन दूसरी मंजिल पर नहीं। चार व्यक्ति M और V के बीच रहते हैं। पांच से अधिक व्यक्ति T से ऊपर रहते हैं। दो व्यक्ति T और L के बीच रहते हैं। R, X से ऊपर रहता है लेकिन X के ठीक ऊपर नहीं। S, N के नीचे रहता है। L और S के बीच एक व्यक्ति रहता है। T और S के बीच दो से अधिक व्यक्ति रहते हैं।
प्रश्नों के उत्तर दीजिए -

प्र. (22) X के ठीक ऊपर कौन रहता है?
(a) V (b) T
(c) N (d) L

प्र. (23) N और T के मध्य कितने लोग हैं?
(a) 3 (b) 4
(c) 5 (d) 2

प्र. (24) 6th मंजिल पर कौन रहता है?
(a) M (b) S
(c) R (d) T

प्र. (25) R के ठीक नीचे कौन रहता है?
(a) L (b) T
(c) S (d) N

उत्तर - **(22-25)**
(22) → (a) V
(23) → (c) 5
(24) → (b) S
(25) → (a) L

व्याख्या - **(22-25)** प्रश्नानुसार,
8 → M
7 → N
6 → S
5 → R
4 → L
3 → V
2 → X
1 → T

- ऋचा दुबे
(लेखिका, बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी विषयों पर लिखती हैं)

महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए

सेफ सिटी कार्यक्रम क्रियान्वित

भोपाल, मध्यप्रदेश में महिलाओं, लड़कियों और बच्चों पर विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर हिंसा और उत्पीड़न को रोकने और उन्हें सुरक्षित करने के मद्देनज़र सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐसी घटनाओं की निंदा करते हुए सख्त कदम लेने के निर्देश दिए हैं।

सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन छः शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर एवं छिंदवाड़ा में किया जा रहा है। हाल ही में मंत्रिपरिषद द्वारा इसकी मंजूरी दी गयी है। महिला-बाल एवं विकास इस कार्यक्रम के नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा जो राज्य एवं जिला स्तरीय गतिविधियों के नियोजन, क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएगा।

सेफ सिटी कार्यक्रम का लक्ष्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरों और सार्वजनिक स्थलों को सुरक्षित रूप से विकसित करना है ताकि हर उम्र, समुदाय की लड़कियों और महिलाएं सभी प्रकार की हिंसा के भय से मुक्त होकर उनका उपयोग कर सके। शिक्षा, स्वस्थ्य, प्रशिक्षण, रोज़गार जैसी बुनियादी सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो और वे सशक्त और स्वावलम्बी जीवन यापन कर सकें।

यह एक बहुआयामी और बहुस्तरीय कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न शासकीय विभाग पुलिस, परिवहन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, स्मार्ट सिटी मिशन, स्कूल, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण, पर्यटन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के साथ ही समुदाय स्तर पर नागरिक संस्थाएं , व्यापारिक और सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संस्थानों, समूहों तथा शौर्या दल की महिलाएं और बालिकाएं शामिल हैं।

वर्ष 2021-22 थीम सेफ सिटी कार्यक्रम की वार्षिक थीम 'लड़कियों और महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्वक नज़रिये एवं व्यवहार देना तथा छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण' करना है। इस वर्ष सर्वप्रथम छेड़छाड़ उन्मूलन पर वृहद स्तर पर कार्य किया जायेगा।

चयनित शहरों में व्यापक रूप से लड़कियों शहर के सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टॉप, मोहल्ले, मार्किट, लोक परिवहन के साधनों आदि को भयमुक्त बनाने के लिए कार्य किया जायेगा।

इसके तहत शहर में हॉट स्पॉट का चिन्हांकन, सीआरपी का चयन और प्रशिक्षण, जिला मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण बाल संरक्षण समिति की सहभागिता, चयनित हॉटस्पॉट पर समुदाय में संवाद कार्यक्रम एवं प्राथमिक सर्वे का कार्य किया जायेगा।

उपार्जन नीति में प्रावधानों से किसानों को होगी और अधिक सहूलियत

भोपाल, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज़ अहमद किदवई ने बताया कि उपार्जन नीति में नए प्रावधानों से किसानों को अपनी उपज बेचने में और अधिक सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम में दूसरे प्रदेशों से कम दर पर उपज खरीदकर प्रदेश में निर्धारित दर पर बेचने वाले बिचौलियों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।

किसान की उपज में पिछले वर्ष की तुलना में अप्रत्याशित वृद्धि मिलने पर एसडीएम एवं तहसीलदार द्वारा उसका सत्यापन किया जायेगा कि किन कारणों से अचानक वृद्धि हुई है। उसके बाद उसकी उपज निर्धारित मूल्य पर क्रय की जा सकेगी। जिससे अन्य राज्यों की फसल गलत तरीके से बिचालिये किसान के नाम पर प्रदेश में निर्धारित मूल्य पर नहीं बेच सकें।

उन्होंने बताया कि अभी तक उपार्जन का काम केवल सहाकारी समिति एवं एनआरएलएम के समूह ही किया करते थे परंतु अब नए प्रावधानों में एफ.पी.ओ. (फार्मर प्रोडक्स आर्गनाइजर) को भी इसका दायित्व सौंपा जाएगा जिससे उपार्जन कार्यों में बढ़ती भारी भीड़ एवं देरी को कम किया जा सकेगा।

प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि अब मिलर्स केंद्रों पर ही उपार्जन केंद्रों की स्थापना का प्रावधान भी रखा गया है। वर्तमान में उपार्जन केंद्रों से अनाज को परिवहन कर भंडार गृह में सुरक्षित रखने के लिए भेजा जाता था। उसके बाद उसे मिलर्स प्वाइंट तक पुनः परिवहन कराया जाता था एवं मिलिंग के बाद आवश्यकता अनुसार पुनः शेष धान को भंडारण किया जाता था। परंतु अब नए प्रावधान से मिलर्स प्वाइंट पर ही उपार्जन केंद्र बनाए जाने से उपज को सीधे ही मिलर्स केंद्रों पर भेजा जाएगा।

26 दिसम्बर

सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिये होगा एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट

●केंद्र सरकार शैक्षणिक सत्र 2021-22 से सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिये

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
National Testing Agency

एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट लागू करने जा रही है। सरकार ने इसके लिये सात सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति उच्च गुणवत्ता वाले योग्यता परीक्षण के तौर-तरीकों की सिफारिश करेगी। यह कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये आयोजित होगा। केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव श्री अमित खरे ने बताया कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होने की उम्मीद है। इस टेस्ट का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा किया जायेगा। इस टेस्ट को वर्ष में दो बार आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह टेस्ट कम्प्यूटर आधारित होगा, जिसमें सामान्य योग्यता के साथ-साथ विषय विशिष्ट सवाल पूछे जायेंगे।

●मध्य अफ्रीकी देश कांगो में एक नाव दुर्घटना में 30 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। कांगो के इटुरी प्रांत के प्रवक्ता जीन मैरी न्योलो ने बताया कि अलबर्ट लेक में समुद्री रास्ते से एक नाव पर सवार होकर युगांडा से 41 लोग कांगो आ रहे थे, लेकिन नाव पलटने से इनमें से 33 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 7 लोगों को बचा लिया गया है। बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण कांगो और युगांडा की सीमाएं कई महीनों से बंद थीं, जिसके कारण ये लोग युगांडा में लंबे समय से फंसे हुये थे।

●ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नये स्ट्रेन को देखते हुये जापान सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुये सभी विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थाई प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। जापानी विदेश मंत्रालय के अनुसार यह प्रतिबंध उन विदेशी नागरिकों पर लागू होगा, जो जापान में नहीं रहते हैं। माना जा रहा है कि यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2021 तक प्रभावी रहेगा।

27 दिसम्बर

वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ी

●केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे वाहन संबंधी

दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। इस फैसले से उन सभी लोगों को राहत मिलेगी, जो वर्ष 2020 में लॉकडाउन के कारण अमान्य हो चुके दस्तावेजों का अब तक नवीनीकरण नहीं करा पाये थे। मंत्रालय इससे पहले तीन बार मोटर यान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता बढ़ा चुका है।

●केंद्र सरकार दिव्यांगजन के कल्याण के लिये दिव्यांग और पुनर्वास विज्ञान विश्व-विद्यालय स्थापित करने की तैयारी कर रही है। यह दिव्यांग और पुनर्वास विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन के लिये अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस संबंध में विकलांग अध्ययन और पुनर्वास विज्ञान विधेयक-2021 का मसौदा तैयार किया है। इस विश्वविद्यालय में स्नातक से लेकर रिसर्च तक के कोर्स उपलब्ध होंगे।

●ईरान की राजधानी तेहरान के उत्तरी इलाके में भूस्खलन और हिमपात के कारण 10 लोगों की मौत हो गई। ईरानी अधिकारियों के अनुसार अलबुर्ज पर्वत श्रृंखला पर्वतारोहियों और स्कीयर के बीच मशहूर है। यहां हिमपात के कारण कई लोग फंसे हुये हैं। रेड क्रिसेंट नामक संगठन ने इस इलाके में राहत एवं बचाव ऑपरेशन चलाकर लगभग 14 पर्वतारोहियों की जान बचाई है।

28 दिसम्बर

नये कोरोना स्ट्रेन के खिलाफ कारगर हो सकती है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन

●ब्रिटेन की दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा

विकसित कोरोना वैक्सीन नये कोरोना स्ट्रेन के खिलाफ कारगर साबित हो सकती है। एस्ट्राजेनेका के सीईओ पास्कल सोरियोट ने कहा कि यह वैक्सीन शत-प्रतिशत सुरक्षित है। पास्कल ने कहा कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की तरह 95 प्रतिशत सुरक्षित है, लेकिन एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है। भारत में एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की वैक्सीन को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में कोविशील्ड नाम से तैयार किया जा रहा है। यह वैक्सीन भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी हासिल करने की दौड़ में सबसे आगे है।

●अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस राहत एवं खर्च विधेयक

पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर के इस राहत पैकेज से कोरोना प्रभावितों को सरकारी सहायता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस पैकेज में अमेरिकी लोगों को 600 डॉलर प्रति व्यक्ति देने का प्रावधान है। हालांकि अमेरिकी नागरिकों ने इस पैकेज को नाकाफी बताते हुये इसका विरोध किया है।

29 दिसम्बर

भारत ने लॉन्च की न्यूमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन

●केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने न्यूमोनिया का पहला

स्वदेशी टीका निमोसिल लॉन्च किया। इसका पूरा नाम न्यूमोकोकल पॉलीसैक्राइड कांजुगेट (पीसीवी) है। इस वैक्सीन को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया है। डॉ. हर्षवर्धन ने इस अवसर पर कहा कि यह टीका आत्मनिर्भर भारत के प्रयास में सार्थक कदम है। उन्होंने कहा कि भारत अभी तक न्यूमोनिया के टीके के लिये विदेशी कंपनियों पर निर्भर था, लेकिन अब भारत में न्यूमोनिया से निपटने के लिये स्वदेशी टीका उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि विश्व में प्रत्येक वर्ष 10 लाख से ज्यादा बच्चे (पांच से कम उम्र) न्यूमोनिया के कारण काल का ग्रास बन जाते हैं।

●रूस का एक जहाज नोवाया जेम्लिया द्वीप समूह के पास समुद्र में डूब गया। रूस के सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस जहाज पर 19 लोग सवार थे, ये सभी मछलियां पकड़ने के लिये बैरेंट्स सागर में गये थे। माना जा रहा है कि समुद्र में जहाज बर्फ से टकराया और डूब गया। जहाज में सवार दो लोगों को बचा लिया गया है, वहीं 17 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है।

●ब्रिटेन और फ्रांस में तबाही मचाने वाला चक्रवाती तूफान बेला अब ग्रीस पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के कारण ब्रिटेन और फ्रांस में हजारों घर डूब गये, वहीं 20 हजार से ज्यादा घरों की बिजली आपूर्ति ठप्प हो गई। तूफान के कारण कई उड़ानें भी रद्द की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रीस में तूफान का असर कम होगा।

30 दिसम्बर

लेह में शुरू हुआ देश का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र

●मौसम विभाग ने लेह में देश का सबसे ऊंचा मौसम निगरानी केंद्र शुरू किया है। यह मौसम केंद्र 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह केंद्र कारगिल, द्रास और लद्दाख के विभिन्न इलाकों में मौसम पर नजर रखेगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस केंद्र का उद्घाटन किया। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि इस केंद्र से मौसम की स्थानीय जानकारी मिलने के साथ-साथ पूरे क्षेत्र में समय से मिलने वाली चेतावनी प्रणाली को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि लेह का मौसम, जलवायु, संस्कृति और भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। यहां तापमान माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहां बादल फटने, अचानक बाढ़ और हिमस्खलन जैसी घटनायें होती रहती हैं। ऐसे में यह मौसम निगरानी केंद्र बेहद उपयोगी साबित होगा।

●केंद्र सरकार कार में आगे की सीट पर बैठने वाले यात्री की सुरक्षा के लिये एयरबैग को अनिवार्य कर सकती है। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद ड्राइवर और उसके बगल वाली सीट के लिये एयरबैग जरूरी हो जायेगा। इस प्रस्ताव को एक अप्रैल 2021 से लागू करने की तैयारी है।

●भारत और फ्रांस की वायुसेनायें जनवरी 2021 के तीसरे सप्ताह में स्काइरॉस युद्धाभ्यास में अपना महारत दिखायेंगी। यह युद्धाभ्यास जोधपुर में किया जायेगा। इस युद्धाभ्यास में भारत और फ्रांस के रफाल तथा सुखोई लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। यह युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच नियमित अंतराल में होने वाले युद्धाभ्यास 'गरुड़' से अलग होगा। इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसैनिक पायलटों की रफाल लड़ाकू विमान उड़ाने की क्षमता का भी प्रदर्शन होगा।

31 दिसम्बर

डीआरडीओ ने हवा से गिराये जाने वाले कंटेनर का किया सफल परीक्षण

●रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर हवा से गिराये जाने वाले कंटेनर का सफल परीक्षण किया है। इस कंटेनर का नाम 'सहायक-एनजी' रखा गया है। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉप कंटेनर है। सहायक-एनजी कंटेनर जीपीएस प्रणाली से लैस है। इसमें 50 किलोग्राम तक का सामान गिराया जा सकता है। यह परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा अपनी परिचालन रसद क्षमताओं को बढ़ाने और जहाजों के लिये महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग स्टोर प्रदान करने के लिये किया गया है। यह कंटेनर गोवा के तट पर आईएल-38 एसडी विमान से गिराया गया।

●केंद्र सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब आयकर

रिटर्न 10 जनवरी 2021 तक भरा जा सकता है। इससे पहले अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2020 तक थी। आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि कंपनियों के लिये रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा में भी 15 दिन की वृद्धि की गई है। यह समय-सीमा अब 15 फरवरी 2021 तक होगी। आयकर विभाग ने बताया कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिये 29 दिसम्बर 2020 तक लगभग 4.54 करोड़ करदाता आईटीआर दाखिल कर चुके हैं।

●यूक्रेन के यात्री विमान को मिसाइल से मार गिराने वाली घटना के लिये ईरान पीड़ित परिवारों को मुआवजा देगा। ईरान विमान गिराने की घटना में मारे गये प्रत्येक परिवार को डेढ़ लाख डॉलर (लगभग एक करोड़ भारतीय रुपये) का मुआवजा देगा। इस घटना में 176 यात्रियों की मौत हो गई थी। ईरान की कैबिनेट ने मुआवजे की रकम जारी करने की मंजूरी प्रदान की है।

1 जनवरी

सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं मई और जून में होंगी आयोजित

●केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड

(सीबीएसई) की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सीबीएसई की कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं चार मई से शुरू होंगी और 10 जून तक चलेंगी। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं एक मार्च से शुरू होंगी। इन परीक्षाओं के परिणाम 15 जुलाई को घोषित किये जायेंगे। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं के लिये एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण विशेष परिस्थितियों में इस बार सीबीएसई ने कक्षा दसवीं और बारहवीं का सिलेबस 30 प्रतिशत कम किया है। ये परीक्षाएं रिवाइज्ड सिलेबस के आधार पर ही होंगी।

●केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन के लिये फॉस्टैग की अनिवार्यता की तारीख बढ़ा दी है। अब सभी चार पहिया वाहनों के लिये फॉस्टैग की समय-सीमा 15 फरवरी 2021 कर दी गई है। पहले यह समय-सीमा एक जनवरी 2021 थी। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा की हाइब्रिड लेन में 15 फरवरी तक फॉस्टैग या नगद माध्यम से टोल भुगतान किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने फॉस्टैग को एक दिसम्बर 2017 के बाद से नये चार पहिया वाहनों के लिये रजिस्ट्रेशन के समय ही अनिवार्य कर दिया था।

●भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिये इस्तेमाल की जाने वाली ई-टिकटिंग वेबसाइट और आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट मोबाइल एप को अपडेट किया है। केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने उन्नत ई-टिकटिंग वेबसाइट और मोबाइल एप का शुभारंभ किया। श्री गोयल ने कहा कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट और एप के अपग्रेड होने से रेल यात्री अब तेजी से टिकट बुक कर सकेंगे। आईआरसीटीसी ने दावा किया है कि यह वेबसाइट तत्काल बुकिंग के समय हैंग नहीं होगी। इसमें प्रत्येक मिनट 10 हजार टिकट बुक होंगे। नई वेबसाइट में तेजी से टिकट बुकिंग के लिये आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा गया है।

नगरीय निकाय निर्वाचन 20 फरवरी और पंचायत निर्वाचन फरवरी-2021 के बाद होंगे

भोपाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करने के बाद यह पाया गया है कि कोविड-19 के संक्रमण में निरंतर वृद्धि तथा जन-स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिगत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया सम्पादित किये जाने की स्थिति वर्तमान में नहीं है। अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-K एवं 243-ZA में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय निकायों के माह दिसम्बर-2020 एवं जनवरी-2021 में प्रस्तावित आम निर्वाचन, नगर परिषद नरवर जिला शिवपुरी को छोड़कर (माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार), 20 फरवरी 2021 के बाद कराये जायेंगे।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित फोटो : गूगल से साभार)

वर्ष 38, अंक 01 04.01.2021 से 10.01.2021

रोज़गार और निर्माण

www rojgaraurnirman.in

● प्रबंध संचालक - डॉ. सुदाम खाड़े
● सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह
● कार्यकारी सम्पादक - राजीव तिवारी
● प्रभारी अधिकारी - नरेन्द्र कुमार बनवट (प्रसार एवं विज्ञापन)
● प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
● आकल्पन - हेमंत वायंगणकर, आशा रोमन अरविन्द टोप्पो, सुशील लांडगे
● वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (रु. पाँच सौ) का डी.डी., मनी ऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर सम्पादक, रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें:-

रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011,
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : mpmdtp@yahoo.com**

रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

खेल चर्चा

अर्जेंटीना में आठ मैच खेलेगी भारतीय महिला हॉकी टीम

नई दिल्ली, भारतीय महिला हॉकी टीम टोक्यो ओलिंपिक की तैयारी की शुरुआत अर्जेंटीना दौरे से करेगी। भारतीय हॉकी टीम कोरोना के कारण लगभग एक वर्ष बाद मैदान पर वापसी कर रही है। भारतीय महिला हॉकी टीम अर्जेंटीना दौरे पर आठ मैच खेलेगी। दोनों टीमों के बीच पहला मैच 17 जनवरी 2021 को खेला जायेगा। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने कहा कि टोक्यो ओलिंपिक के लिए अब ज्यादा समय नहीं है। अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलकर अपनी तैयारी पुख्ता करने का यह बढ़िया अवसर है।

न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से जीता टेस्ट मैच

माउंट मोंगनुई, न्यूजीलैंड दौरे पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को एक और हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 101 रन से हराया है। मैच में न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 431 तथा दूसरी पारी में 180 रन बनाये। पाकिस्तान ने पहली पारी में 239 रन बनाये। पाकिस्तानी टीम को दूसरी पारी में जीत के लिये 373 रनों का लक्ष्य मिला था। लेकिन पाकिस्तानी टीम 271 रनों पर सिमट गई। पहली पारी में शतक बनाने वाले केन विलियम्सन को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम पर लगा दो वर्ष का प्रतिबंध

नई दिल्ली, भारत के बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह भामरा पर दो वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। सतनाम सिंह नवम्बर 2019 में डोप टेस्ट में विफल पाए गए थे। इसके बाद राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने उन्हें अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया था। नाडा की ओर से लगाया गया प्रतिबंध 19 नवम्बर 2019 से लागू होगा और 18 नवम्बर 2021 तक प्रभावी रहेगा। उल्लेखनीय है कि सतनाम सिंह अमेरिका की लोकप्रिय बास्केटबॉल लीग एनबीए में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं।

ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेलेंगे फेडरर

मेलबर्न, स्विट्जरलैंड के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। फेडरर अपने दायें घुटने की सर्जरी के बाद रिकवरी कर रहे हैं। फेडरर घुटने की चोट के कारण जनवरी 2020 से टेनिस कोर्ट से दूर हैं। फेडरर के एजेंट रहे टोनी गॉडसिक ने बताया कि फेडरर ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद एटीपी टूर से वापसी की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि फेडरर दुबई में अभ्यास कर रहे हैं।

पूर्व हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन

राउरकेला, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन हो गया है। वह 73 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से बीमार थे। किंडो वर्ष 1975 में हॉकी विश्वकप तथा वर्ष 1972 में ओलिंपिक कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। किंडो को सराहनीय प्रदर्शन के लिये वर्ष 1972 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे भारतीय टीम में फुल बैक पोजिशन पर खेलते थे।

आईसीसी अवॉर्ड्स

विराट कोहली बने दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर

दुबई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को सम्मानित किया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने दो बड़े सम्मान अपने नाम किये, वहीं महिला वर्ग में एलिस पेरी पूरी तरह छाई रहीं।

कोहली का दबदबा

आईसीसी ने विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर तथा दशक का सर्वश्रेष्ठ वन-डे क्रिकेटर चुना है। विराट ने पिछले दशक में 20 हजार 396 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाये हैं। इनमें 66 शतक और 94 अर्धशतक शामिल हैं। कोहली ने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन किया है। कोहली पिछले दशक (वर्ष 2011 से 2020) में 10 हजार रन से ज्यादा वन-डे रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। कोहली ने वन-डे में 12 हजार 40 रन बनाये हैं, इनमें 43 शतक शामिल हैं।

धोनी को मिला खेल भावना अवॉर्ड

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने आईसीसी का दशक का खेल भावना अवॉर्ड हासिल किया। धोनी ने वर्ष 2011 में इंग्लैंड दौरे पर ट्रेंट ब्रिज टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाज इयान बेल को विवादित रन आउट होने के बावजूद वापस बल्लेबाजी के लिये बुलाया था। धोनी के इस निर्णय की विश्व क्रिकेट ने प्रशंसा की थी। आईसीसी ने इसे सबसे बड़ी खेल भावना करार दिया है।

एलिस पेरी का क्लीन स्वीप

आईसीसी अवॉर्ड्स में महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर एलिस पेरी का जलवा रहा। पेरी ने महिला वर्ग के तीनों अवॉर्ड, दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, दशक की सर्वश्रेष्ठ वन-डे क्रिकेटर और दशक की सर्वश्रेष्ठ ट्वेंटी-20 क्रिकेटर का अवॉर्ड अपने नाम किया। आईसीसी ने कहा कि एलिस पेरी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान पेरी चार बार ट्वेंटी-20 विश्वकप तथा वर्ष 2013 में वन-डे विश्वकप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम की सदस्य रही हैं।

स्मिथ और राशिद को भी मिले अवॉर्ड

आईसीसी अवॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर तथा अफगानिस्तान के राशिद खान को दशक का सर्वश्रेष्ठ ट्वेंटी-20 क्रिकेटर के सम्मान से नवाजा गया। स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर की दौड़ में विराट कोहली, जो रूट और केन विलियम्सन को पीछे छोड़ा। स्मिथ ने पिछले दशक में 7040 टेस्ट रन बनाये हैं। वहीं राशिद खान ने पिछले दशक में दुनिया की तमाम टी-20 लीगों में खेला है और शानदार प्रदर्शन किया है।

एटलेटिको मैड्रिड ने कोस्टा का अनुबंध किया रद्द

मैड्रिड, स्पेन के फुटबॉल क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने स्पेन के स्ट्राइकर डिएगो कोस्टा के साथ अनुबंध को रद्द कर दिया है। कोस्टा का एटलेटिको मैड्रिड के साथ अनुबंध जून 2021 में समाप्त होने वाला था, लेकिन कोस्टा इससे पहले ही क्लब छोड़ना चाहते थे। डिएगो कोस्टा ने 27 गोल करके 2014 में एटलेटिको मैड्रिड को स्पेनिश खिताब दिलाया था। इसके बाद वह चेल्सी में चले गये थे। एटलेटिको लौटने के बाद कोस्टा ने ला लीगा में 43 मैच खेले। इसमें उन्होंने 12 गोल किये। उल्लेखनीय है कि एटलेटिको मैड्रिड स्पेनिश लीग ला लीगा में अंक-तालिका में शीर्ष स्थान पर काबिज है।

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन जैकमैन का निधन

लंदन, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर रॉबिन जैकमैन का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आईसीसी ने एक बयान जारी कर कहा कि रॉबिन जैकमैन की मृत्यु हो गई है। इस कठिन समय में विश्व क्रिकेट जैकमैन के परिवार के साथ है। वर्ष 1974 में भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले जैकमैन ने 15 वन-डे मैचों में 19 तथा 4 टेस्ट मैचों में 14 विकेट लिए थे।

जैकमैन ने वर्ष 1966 से 1982 के बीच 399 प्रथम श्रेणी मैचों में 1402 विकेट लिए तथा 17 अर्ध शतकों के साथ 5681 रन भी बनाए हैं। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से जैकमैन क्रिकेट कमेंट्री में सक्रिय थे।

भारत ने आठ विकेट से जीता बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच

मेलबर्न, भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार प्रदर्शन करते हुये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच आठ विकेट से जीता है। पहले टेस्ट मैच में करारी हार के बाद भारतीय टीम ने शानदार पलटवार कर सीरीज में बराबरी हासिल की।

मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की। भारतीय गेंदबाजों ने 38 रन पर 3 विकेट झटककर ऑस्ट्रेलिया को दबाव में ला दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 195 रनों पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लिये मार्नस लाबुशेन ने सर्वाधिक 48 रन बनाये। इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। भारत ने कप्तान अजिंक्य रहाणे के शतक (112 रन) तथा रविन्द्र जडेजा के अर्धशतक (57 रन) की बदौलत पहली पारी में 326 रन बनाये तथा 131 रनों की बढ़त हासिल की।

दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने असहाय नजर आये। ऑस्ट्रेलिया के लिये मैथ्यू वेड (40), कैमरन ग्रीन (45) और मार्नस लाबुशेन (28) ने उपयोगी पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया को 200 रन तक पहुंचाया।

भारतीय टीम को जीत के लिये 70 रन का आसान लक्ष्य मिला। भारतीय टीम ने 15.5 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अपना पहला मैच खेल रहे बल्लेबाज शुभमन गिल ने दोनों पारियों में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली पारी में 45 तथा दूसरी पारी में नाबाद 35 रन बनाये।

ग्लोब सॉकर अवॉर्ड

रोनाल्डो बने प्लेयर ऑफ द सेंचुरी

दुबई, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोब सॉकर अवॉर्ड्स में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी से नवाजा गया है। रोनाल्डो को यह पुरस्कार वर्ष 2001 से 2020 तक क्लब तथा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। इस पुरस्कार की रेस में रोनाल्डो ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा।

यह इस वर्ष रोनाल्डो का दूसरा बड़ा पुरस्कार है। इससे पहले रोनाल्डो को गोल्डन फुट अवॉर्ड दिया गया था। पुरस्कार हासिल करने के बाद रोनाल्डो ने कहा कि मैं फुटबॉल में 20 वर्ष के प्रोफेशनल कॅरियर में इस तरह का आनंद लूंगा, इसकी कल्पना नहीं की थी। रोनाल्डो ने अपने प्रशंसकों को भी धन्यवाद कहा।

लेवानडोवस्की बने प्लेयर ऑफ द ईयर

ग्लोब सॉकर अवॉर्ड में पोलैंड के रॉबर्ट लेवानडोवस्की को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। लेवानडोवस्की ने पिछले सत्र में 47 मैचों में 55 गोल किए थे। उन्होंने वर्ष 2019-20 में बायर्न म्युनिख को यूएफा चैम्पियंस लीग जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। बायर्न म्युनिख को क्लब ऑफ द ईयर चुना गया है।

बीसीसीआई ने

आईपीएल में 10 टीमों को दी मंजूरी

अहमदाबाद, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने वर्ष 2022 के सत्र में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में 10 टीमों को शामिल करने की मंजूरी दी है। बीसीसीआई की वार्षिक बैठक में आईपीएल में टीमों की संख्या बढ़ाये जाने पर सहमति बनी।

बीसीसीआई का बढ़ेगा राजस्व

बीसीसीआई ने कहा कि टीमों की संख्या बढ़ाने से ज्यादा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। आईपीएल की लोकप्रियता को देखते हुए इसके मैचों की संख्या में भी इजाफा किया जायेगा, इससे बीसीसीआई का राजस्व भी बढ़ेगा। नई टीमों के लिए अहमदाबाद, लखनऊ और पुणे शहर दावेदार माने जा रहे हैं। वर्ष 2011 में भी 10 टीमें शामिल थीं। वहीं वर्ष 2012 एवं 2013 में 9-9 टीमों ने आईपीएल में हिस्सा लिया था।

चेतन शर्मा बने मुख्य चयनकर्ता

बीसीसीआई की वार्षिक बैठक में पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा को राष्ट्रीय चयन समिति का मुख्य चयनकर्ता बनाया गया है। इसके अलावा चयन समिति में अभय कुरुविला और देवाशीष मोहंती को भी शामिल किया गया है। चयन समिति में सुनील जोशी और हरविंदर सिंह पहले से शामिल हैं। नई चयन समिति का पहला काम इंग्लैंड के आगामी भारत दौरे के लिये भारतीय टीम का चयन करना है। मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा क्रिकेट वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं।

खिलाड़ियों को मिलेगा मुआवजा

बीसीसीआई ने कहा कि सभी पुरुष और महिला प्रथम श्रेणी खिलाड़ियों को कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई खेल गतिविधियों के लिए मुआवजा दिया जायेगा। बीसीसीआई राज्य इकाईयों को एकमुश्त मुआवजा राशि देगा, जिसे वे स्वयं अपने खिलाड़ियों में वितरित करेंगे।

- **जनवरी में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद सभी घरेलू टूर्नामेंट आयोजित कराये जायेंगे।**
- **बीसीसीआई ने क्रिकेटर्स का बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया।**
- **बीसीसीआई ने अंपायर्स, मैच रेफरी और स्कोरर्स की रिटायरमेंट उम्र 55 से बढ़ाकर 60 वर्ष की।**
- **राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए।**

हंगरी और पोलैंड में प्रशिक्षण लेंगी विनेश

नई दिल्ली, भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट हंगरी और पोलैंड में 40 दिनों तक प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगी। खेल मंत्रालय ने टारगेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के तहत इसकी मंजूरी प्रदान की है। खेल मंत्रालय के अनुसार विनेश का पहला शिविर हंगरी के बुडापेस्ट में 28 दिसम्बर 2020 से 24 जनवरी 2021 तक चलेगा, वहीं दूसरा शिविर 24 जनवरी से 5 फरवरी तक पोलैंड में आयोजित किया जायेगा। विनेश इन शिविरों में अपने भारवर्ग में यूरोपीय पहलवानों के साथ अभ्यास करेंगी।

उल्लेखनीय है कि विनेश पहले ही टोक्यो ओलिंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। वे ओलिंपिक में महिलाओं की 53 किलोग्राम भारवर्ग में पदक की दावेदार मानी जा रही हैं।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

भारत - वियतनाम

दक्षिण चीन सागर में किया संयुक्ताभ्यास

भारत ने वियतनाम के साथ दो दिवसीय संयुक्त नौसेनाभ्यास दक्षिण चीन सागर में सफलता पूर्वक किया। दोनों देशों ने यह

अभ्यास समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने की नीयत से किया है। इस युद्धाभ्यास का मकसद दोनों देशों के बीच समुद्र में रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस किल्टन मध्य वियतनाम में आई बाढ़ में फंसे लोगों के लिए सहायता सामग्री लेकर गया था। वापस लौटते समय दक्षिण चीन सागर में वियतनाम की नौसेना के साथ युद्धाभ्यास किया गया।

2021 में

वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी भूमिका को मजबूत करेगा भारत : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एम्स राजकोट की आधारशिला रखी। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष ने हमें यह एहसास दिलाया है कि, जब भारत एकजुट हो जाता है तो यह प्रभावी रूप से कठिन से कठिन संकट का सामना कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रभावी कदमों के परिणामस्वरूप भारत बहुत ही बेहतर स्थिति में है और कोरोना के पीड़ितों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छा है। श्री मोदी ने कहा कि, टीकाकरण के बारे में सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि, भारत में बनने वाले टीके को तेजी से देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए जारी प्रयास अंतिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को चलाने के लिए भारत की तैयारी जोरों पर है। उन्होंने टीकाकरण को सफल बनाने के लिए एक साथ आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि, जिस तरह से हमने संक्रमण को रोकने की पुरजोर कोशिश की थी, वैसे ही संगठित प्रयास इसके लिए भी करने होंगे।

श्री मोदी ने कहा कि, एम्स राजकोट स्वास्थ्य ढांचे तथा चिकित्सा शिक्षा को

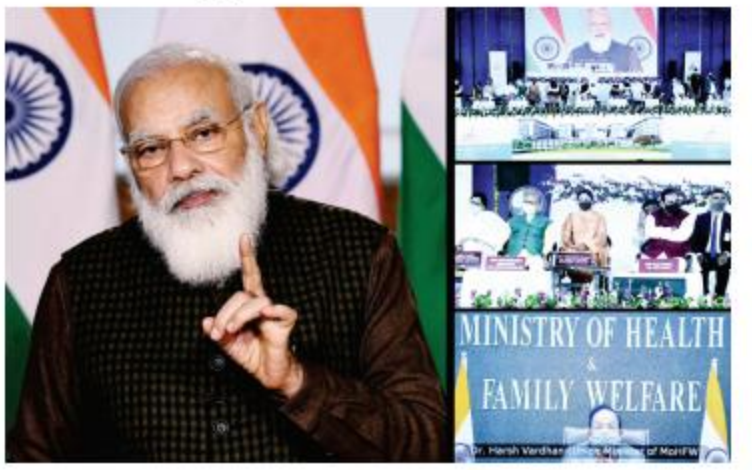

बढ़ावा देगा और गुजरात में रोज़गार के अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि, इससे लगभग 5 हजार प्रत्यक्ष रोज़गार और कई अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होंगे। कोविड महामारी से लड़ने में गुजरात के प्रयासों की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि, गुजरात ने कोविड से लड़ने में मार्ग प्रशस्त किया है। कोरोना चुनौती को कारगर तरीके से नियंत्रित करने के लिए उन्होंने गुजरात में मजबूत चिकित्सा बुनियादी ढांचे को इसका श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि, चिकित्सा क्षेत्र में गुजरात की इस सफलता के पीछे दो दशक का अथक प्रयास, समर्पण और संकल्प है।

श्री मोदी ने कहा कि, बीते 6 वर्षों में 10 नए एम्स बनाने का काम शुरू हो चुका है और कई का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि, एम्स के साथ-साथ 20 सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों का भी निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत सुदूर क्षेत्रों में लगभग 15 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है और उनमें से लगभग 50000 स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। जिनमें से लगभग 5 हजार अकेले गुजरात में ही हैं। उन्होंने कहा कि, 7000 जन औषधि केन्द्रों के द्वारा लगभग 3.5 लाख गरीब रोगियों को कम कीमत पर दवाइयां प्रदान की गई हैं।

श्री मोदी ने कहा कि, यदि 2020 स्वास्थ्य चुनौतियों का वर्ष था, तो 2021 स्वास्थ्य समाधान का वर्ष बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि, 2021 की स्वास्थ्य समस्याओं के हल के लिए भारत का योगदान समाधानों की स्केलिंग के लिए महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह से बीमारियां वैश्विक हो रही हैं, तो यह वैश्विक स्वास्थ्य समाधानों के लिए समन्वित वैश्विक प्रयासों को अंजाम देने का समय है। भारत ने यह भूमिका एक वैश्विक ज़िम्मेदार के रूप में अदा की है। उन्होंने कहा कि, भारत ने मांग के अनुसार अनुकूलन, विकास और विस्तार करके अपनी क्षमताओं को हमेशा साबित किया है। भारत दुनिया के साथ चला है और सामूहिक प्रयासों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि, भारत वैश्विक स्वास्थ्य के तंत्रिका केन्द्र के रूप में उभर रहा है तथा 2021 में हमें भारत की इस भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

कोरोना वायरस

नए स्ट्रेन से दहशत में यूरोपीय देश

कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की दहशत यूरोपीय देशों के साथ-साथ पूरे विश्व में फैल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार तकरीबन 8 यूरोपीय देश इसकी चपेट में हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्रीय निदेशक हंस क्लूगे के अनुसार यूरोपीय केंद्र ने आठ देशों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन वोक - 2020 12/01 को पाया है। वर्तमान सुरक्षात्मक उपायों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और कोर सपोर्ट ग्रुप्स में रहना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोरोना का नया स्ट्रेन पुराने वायरस के विपरीत युवा वर्ग के लोगों को तेजी से चपेट में ले रहा है।

गौरतलब है कि ब्रिटेन में पिछले सप्ताह कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता चला था, जो पुराने वायरस से 70 प्रतिशत तेजी से फैल रहा है। इसके बाद से पूरे यूरोप ने खुद को ब्रिटेन से अलग-थलग कर लिया है और अपनी विमान सेवाएं निलंबित कर दी हैं।

नाइजीरिया में

बोको हराम हमलावरों ने दस की हत्या की

नाइजीरिया के उत्तरी हिस्से में स्थित बोरनो प्रांत में आतंकी संगठन बोको हराम के हमले में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले अजारे नगर में हमला हुआ। यहां सरकारी दफ्तरों और पुलिस थाने को निशाना बनाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और हमलावरों के बीच गोलाबारी हुई। इसके बाद आतंकियों ने शफ्फा में भी हमला किया। बोरनो राज्य के गवर्नर बावागना जुलुम ने पीड़ित गांवों का दौरा किया। गवर्नर के प्रवक्ता के अनुसार हमलावरों ने चार गांवों के स्कूलों, दुकानों और धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया।

इज़रायल के फाइटर जेट ने सीरिया पर दागी मिसाइलें

इज़रायल के फाइटर जेट ने लेबनान से सीरिया पर मिसाइलें दागी हैं। सीरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी ने पुष्टि करते हुए कहा कि मध्य सीरिया स्थित मस्यफ शहर में धमाकों की आवाज स्पष्ट सुनी गई।

सीरिया के अन्य मीडिया संगठनों ने कहा कि हमा प्रांत के पास इज़रायल के इन हमलों के खिलाफ सीरिया के हवाई सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की है। क्रिसमस के दिन किए गए हमलों की गवाही बेरूत निवासियों ने भी दी है। सीरिया ने कहा कि इज़रायल की

वायुसेना ने लेबनान के वायु क्षेत्र से त्रिपोली और मसयाफ शहर में मिसाइलें दागी हैं। सीरिया के रक्षा मंत्रालय के अनुसार उनका देश जवाबी हमले की योजना तैयार कर रहा है।

क्रोएशिया में भूकंप से मची तबाही

क्रोएशिया में आए तेज भूकंप से बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। पांच से अधिक लोगों की मौत की खबर आई है।

क्रोएशिया के दक्षिण-पूर्व इलाके में ज्यादा तबाही की सूचना मिली है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार क्रोएशिया की राजधानी जगरेब से 46 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप के कारण व्यापक नुकसान हुआ है। राहत कार्य और बचाव के लिए सेना को तैनात किया गया है। भूकंप की तीव्रता के कारण पोट्रेंजा शहर में जान-माल का नुकसान हुआ है। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज

प्लेनकोविक ने जनता से धैर्य रखने की अपील की है। जानकारी के अनुसार पड़ोसी देश सर्बिया, बोस्निया और स्लोवेनिया में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद क्रस्को परमाणु बिजली संयंत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।

देश की पहली ड्रायवरलेस मेट्रो देश को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि देश आज स्वचलित ट्रेन (ड्राइवरलेस) श्रृंखला में शामिल हो गया है। ज्ञात रहे कि ट्रेन का चलना, रुकना, स्पीड पकड़ना, ब्रेक, डोर ऑपरेशन और इमरजेंसी कंट्रोल ऑटोमेटिक नियंत्रित होंगे। ट्रेन के अगले हिस्से में लगा कैमरा मेट्रो ट्रेन के आगे की पूरी तस्वीर लाइव कंट्रोल रूम में दिखाएगा। वहीं ट्रेन के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की लाइव स्ट्रीमिंग कंट्रोल रूम में होगी।

भारतीय वायुसेना के ई-गवर्नेंस पोर्टल का हुआ शुभारंभ

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने वायुसेना मुख्यालय में भारतीय वायुसेना के ई-गवर्नेंस (ई-ऑफिस) पोर्टल का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। डिजिटल इंडिया एवं ई-गवर्नेंस पहल के अंतर्गत किया गया यह क्रियान्वयन समूची भारतीय वायुसेना को 'कागजरहित कार्यालय' के रूप में रूपांतरित करेगा। भारतीय वायुसेना में ई-गवर्नेंस का शुभारंभ पत्र-व्यवहार, फाइलिंग एवं दस्तावेजीकरण के वर्तमान तौर तरीके में आमूलचूल परिवर्तन कर उनका डिजिटलीकरण कर देगा। इस व्यवस्था से पारदर्शिता का स्तर उन्नत होगा, क्षमता एवं जवाबदेही में वृद्धि होगी, डेटा की अखंडता बढ़ेगी, संग्रहित अभिलेखों की प्राप्ति सुगम होगी तथा साथ ही कागज के उपयोग में काफी कमी आएगी। इस एप्लीकेशन को स्वदेशी रूप से भारतीय वायुसेना के फाइलिंग सिस्टम की आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुकूल बनाया गया है। यह फाइलों और दस्तावेजों को तैयार करने, उन्हें रखने, इस्तेमाल करने और उनका संग्रह करने की सुविधा प्रदान करता है और त्वरित निपटान तथा तेजी से निर्णय लेने में सक्षम बनायेगा।

अमेरिका कोरोना वैक्सीन नहीं देगा तो सैन्य समझौता होगा रद्द - फिलीपीन्स

फिलीपीन्स के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर उनके देश को कोरोना वैक्सीन नहीं दी गई तो वह सैन्य समझौता रद्द कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर नए कोरोना वायरस स्ट्रेन से निपटने की वैक्सीन उनके देश को नहीं मिली तो वह विजिटिंग फोर्सेस एग्रीमेंट योजना को रद्द कर देंगे। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिकी कम से कम दो करोड़ वैक्सीन देने में असफल रहते हैं तो विजिटिंग फोर्सेस को उनके देश से चला जाना चाहिए और अगर अमेरिका वैक्सीन देना चाहता है तो

शांतिपूर्वक ढंग से दे दें। ज्ञात रहे कि इससे पहले इसी साल दुतेर्ते ने अमेरिका के साथ सैन्य समझौते को रद्द करने का आदेश दिया था। लेकिन बाद में उसे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था।

अमेरिका ने कहा

अल-साल्वाडोर की सैन्य मदद राशि में होगी कटौती

अमेरिका ने अल-साल्वाडोर की सैन्य मदद राशि में कटौती करने की घोषणा की है। इससे संबंधित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति

- **अल-साल्वाडोर के अलावा ग्वाटेमाला और होंडुरास की सैन्य मदद राशि में कटौती की जाएगी।**

डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर कर इसे शीघ्र अमल में लाने के लिए कहा है।

यह पाबंदी मध्य अमेरिका में भ्रष्टाचार रोधी प्रयासों को मजबूत करने के डेमोक्रेट सांसदों की पहल का हिस्सा है। इस कटौती

पर विशेषज्ञ आई जैकसन ने कहा कि कटौती के जरिए हम इन देशों में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं। ज्ञात रहे कि इज़रायल, मिस्र और 12 से अधिक देश, विदेश सैन्य वित्तीय कार्यक्रम के तहत अमेरिकी सैन्य उपकरणों की खरीद एवं सेवाओं के मद में वार्षिक 5.6 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता राशि पाते हैं। अल-साल्वाडोर को इस कार्यक्रम के तहत 2016 से करीब 1.5 करोड़ डॉलर की मदद मिल चुकी है। जिसमें इस साल की 19 लाख डॉलर की मदद राशि भी शामिल है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

नए साल में
कुछ भी असंभव नहीं !

प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी में देश के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान
कौटिल्य एकेडमी में प्रवेश लेना अब हुआ बहुत आसान

फीस पुरानी, नई कहानी
2021 में 2011 की फीस

10 साल पुरानी फीस का लाभ लेने के सिर्फ 8 दिन
1 से 8 जनवरी 2021 तक

नई बैचेस में प्रवेश प्रारंभ

KAUTILYA MENTORS

Mr. Shridhant Joshi
Managing Director

Mr. Ashendra Mishra
Director

Mr. Manmohan Joshi
C.E.O.

Mr. Sunil Tiwari
National Co-ordinator

Mr. Devendra Mishra
CRM

Mr. Rishi Bhosle
H.O.D. English Medium

नई बैचेस में
प्रवेश प्रारंभ

OFFLINE

COURSES
- IAS • IPS
- MPPSC
- CJ-II
- NDA-CDS
- MPSI
- SSC
- BANK
- CONSTABLE

MPPSC में लगातार टॉपर्स की परंपरा

1st Rank
Deputy Collector
2018
Harshal Choudhary

1st Rank
Deputy Collector
2018
Rajnandini Sharma

1st Rank
Deputy Collector
2016 (Female)
Ankita Jain

1st Rank
Deputy Collector
2016 (SC)
Vikas Kumar Anand

1st Rank
Deputy Collector
2016 (OBC)
Divya Patel

1st Rank
Deputy Collector
2015
Ankita Tripathi

1st Rank
Deputy Collector
2013
Ashish Pandey

1st Rank
Deputy Collector
2013
Priyanshi Bhanwar

1st Rank
Deputy Collector
2012&14
Sateesh Rai

1st Rank
Deputy Collector
2009
Namah Shivaya Arjariya

UNDER GRADUATE BATCH RESULT

IRS
UPSC - 2018
AMBUL SAMAIYA

Deputy Collector
MPPSC - 2018
KIRAN ANJANA

Deputy Collector
MPPSC - 2018
TARUN JAIN

DSP in 20 Yrs.
DC in 21 Yrs.
IRS, UPSC in 22Yrs.
AKSHAY SINGH

Deputy Collector
PRAMOD GURJAR

UPSC Rank 521
VAYAVYA CHOUBEY

Deputy Collector
GHANSHYAM DHANGAR

DY. S.P.
SATYENDRA GANGHORIYA

DY. S.P.
DEEPALI CHANDORIYA

DY. S.P.
SAURABH RATNAKAR

Nayab Tahsildar
MASTRAM GURJAR

Deputy Jailor
ANKIT CHOUHAN

कौटिल्य एकेडमी

HO: BHANWARKUA SQUARE INDORE. Ph. : 0731-4266821, 4226615, Call : 94250 68121, 98939 29541

PRESS COMPLEX
Swadesh Bhawan, Ground Floor
Press Complex, A.B. Road, Indore
M.: 81090 76501, 97555 52547

RAJWADA
Shivaji Bhawan, Jawahar Marg
Near Gurudwara Indore
M.: 91110 21931, 91110 21921

FOOTI KOTHI
102, 1st Floor, Surya Bhawan
Above Bank of Baroda, Indore
M.: 91111 01251, 91111 01351

GEETA BHAWAN
Kanchan Bagh,
Geeta Bhawan Square, Indore
M.: 91111 84111, 94250 68121

KALANI NAGAR
89, Somani Nagar, 60 Feet,
Airport Road, Indore
M.: 91110 19121, 91110 19131

VIJAY NAGAR
RH14 Scheme No 54,
Vijaynagar, Indore
M.: 91110 24126

PANKAJ

JABALPUR	BHOPAL	GWALIOR	SAGAR	CHHATARPUR	REWA	SATNA	CHHINDWARA	SHAHDOL	BALAGHAT	UJJAIN	GUNA	SHIVPURI	DHAR
96300 93350 96300 93360	70241 05230 31-32	91110 10946 91110 10947	91110 10981 91110 10982	91110 10951	91110 10721 91110 10921	91110 12281	77710 08826 27-28	9111021811	7771078631 32, 33	91110 21105 91110 21106	94250 68121	91114 78671 91114 78681	96441 07111 96441 08111

VIDISHA	TIKAMGARH	KHANDWA	BARWANI	NIWARI	KATNI	RATLAM	DAMOH	JHABUA	HOSHANGABAD	SEHORE	BETUL
9111019511 9111019611	77710 47291 77710 47391	88899 11531 88899 11631	94250 68121	94250 68121	9111010521 9111010621	91110 13151 91110 13251	94250 68121	7771005251 7771005351	96444 06691 96444 06681	77710 10351 77710 10361	91110 21141 91110 21131

Narsinghpur 88190 72888, 88190 73888 Burhanpur 95225 79111, 95225 97111 Khargone Coming Soon

R-44934/2021

स्वामी "मध्यप्रदेश माध्यम" की ओर से प्रकाशक, मुद्रक डॉ. सुदाम खाड़े, मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित एवं डी.वी. कार्प द्वारा दैनिक भास्कर, प्लाट नंबर-10, सेक्टर-वी, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित। सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह।